सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, August 7, 2024 / Sravana 16, 1946 (Saka)

HON’BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 7, 2024 / Sravana 16, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 221 – 226)	**1 – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 227 – 240)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2531 – 2760)	**51 – 280**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, August 7, 2024 / Sravana 16, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 7, 2024 / Sravana 16, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 85**
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 48TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID Shri Jitin Prasada	**285**
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERBVATIONS IN 27TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY– LAID Dr. L. Murugan	**286**
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 20TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION – LAID Shrimati Nimuben Jayantibhai Bambhaniya	**286**
MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	**287 - 302**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**303 - 16B**
Shrimati Malvika Devi	303
Dr. Bhola Singh	304
Dr. Nishikant Dubey	304
Shri Khagen Murmu	305
Shri Vijay Kumar Dubey	305

Shri Janardan Mishra	306
Dr. Sambit Patra	306
Dr. Sanjay Jaiswal	307
Shri Bibhu Prasad Tarai	307
Shri Ramvir Singh Bidhuri	308
Shri Rodmal Nagar	308
Shri Kali Charan Singh	309
Shrimati Sangeeta Kumar Singh Deo	309
Shri Ashok Kumar Rawat	310
Prof. Varsha Eknath Gaikwad	310
Shri Sher Singh Ghubaya	311
Shri Shafi Parambil	311
Adv. Adoor Prakash	312
Shri Chamala Kiran Kumar Reddy	312
Shri Daroga Prasad Saroj	313
Shri Rajeev Rai	313
Prof. Sougata Ray	314
Shrimati Pratima Mandal	314
Shri Abhay Kumar Sinha	315
Dr. Rajkumar Sangwan	315
Shri Amra Ram	316
Shri Hanuman Beniwal	316
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	316A - 16B

FINANCE (No.2) BILL, 2024 317 - 66

(Contd. – Inconclusive)

Shri Jagdambika Pal 317 - 23

Shri Hamdullah Sayeed 324 - 29

Shri Ravaindra Dattaram Waikar 330 - 32

Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal 333 - 35

@ Shri Subbarayan K. 336

Shri Balashowry Vallabhaneni 337 - 38

Shri Kalyan Banerjee 339 - 43

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 344 - 46

Kumari Sudha R. 347 - 50

Shri Rajiv Pratap Rudy 351 - 56

Shri Ram Shiromani Verma 357 - 58

Dr. Alok Kumar Suman 359 - 60

Shri N.K. Premachandran 361 - 64

Shri Gurmeet Singh Meet Hayer 365 - 66

STATEMENT RE: DISQUALIFICATION OF INDIAN WRESTLER FROM PARIS OLYMPICS 367 - 68

Dr. Mansukh Mandaviya

FINANCE (No.2) BILL, 2024 369 - 447

(Contd. – Concluded)

Shri Raghunandan Rao Madhavaneni 369 - 71

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Subbarayan K. in Tamil, please see the Supplement (PP 336A to 336C).

Shri Asaduddin Owaisi	**372 - 74**
Shri Rajesh Ranjan	**375 - 77**
Shri Shafi Parambil	**378 - 80**
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	**381 - 83**
Shri Hanuman Beniwal	**384 - 86**
Shri Umeshbhai Babubhai Patel	**387 - 88**
Adv. Chandra Shekhar	**389 - 91**
Shri Vishaldada Prakashbapu Patil	**392 - 93**
Shri Anand Bhadauria	**394 - 95**
Shri Brijendra Singh Ola	**396 - 97**
Shrimati Nirmala Sitharaman	**398 - 418**
Motion for consideration – Adopted	**418**
Consideration of clauses	**419 - 46**
Motion to Pass	**447**

xxxx

(1100/RAJ/RCP)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल, क्वेश्चन नम्बर 221.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन जी।

… (व्यवधान)

1102 बजे

(इस समय एडवोकेट डीन कुरियाकोस और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

(Q. 221)

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Hon. Speaker, Sir, my constituency Davanagere is recognised as a Smart City. It is an educational hub of Karnataka with 15 engineering colleges within a 150-kilometre radius producing thousands of graduates annually. … (*Interruptions*) Our youths have committed themselves to skill development and graduate degrees, yet employment opportunities are a few. They have to migrate to Tier 1 cities like Bengaluru. … (*Interruptions*) Such is the growing reality of many such Tier 2 and Tier 3 cities. With low cost of living, good infrastructure, educational ecosystem and excellent connectivity, Davanagere is an ideal destination for IT business. … (*Interruptions*) Decongesting the capital city and fostering balanced growth across the region is the need of the hour. … (*Interruptions*)

My question to the hon. Minister is this. Has the Government formulated a concrete strategy and effective environment policy for developing new IT hubs in the country? … (*Interruptions*) Will the Government provide financial incentives to IT companies to get them to set up IT hubs in Tier 2 and Tier 3 cities? Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक ही पार्टी के लोग हैं। अलग-अलग राज्यों की लड़ाइयां हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सभी एक ही पार्टी के लोग हैं। आप अलग-अलग राज्यों की लड़ाइयां ला रहे हैं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यहां राज्यों का विषय नहीं लाइए। आप एक ही पार्टी के माननीय सदस्य हैं। एक अलग राज्य बोल रहा है और दूसरा अलग राज्य बोल रहा है। यह ठीक नहीं है।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

1102 बजे

(इस समय एडवोकेट डीन कुरियाकोस और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

SHRI JITIN PRASADA: Respected Speaker, Sir, as far as the question raised by the hon. Member regarding IT hubs is concerned, I would like to inform, through you, the Member that as far as Davanagere is concerned, the Ministry of Electronics and Information Technology has set up a Software Technology Park in that particular region. As of now, the built-up area of that Technology Park is 10,000 square feet. But the policy of setting up of Technology Parks is such that if the State Government does give two acres of land and a built-up space area of 50,000 square feet, the Ministry of Electronics and Information Technology is prepared to set up the Park there. As of now, there is 10,000 square feet of built-up space area, and the Park is functional. There are about six companies which are operational and using the incubation facilities. There is also one company which is doing export through this Software Technology Park.

As far as the question raised about IT hubs is concerned, the Government of India does not specifically ensure or have any policy for IT hubs. But the State Governments do ensure some IT cities and hi-tech cities where they give infrastructure connectivity. As far as the Government of India is concerned, we have taken up many policies and programmes to ensure that India does become more digitally inclined. I am happy to state that as far as our country goes, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, there are about 100 crore mobile users and about 70 crore internet users in this county which is very phenomenal.

(1105/PS/KN)

In the times to come, the dominance of any country will be judged by space in the cyber space, and India is very well placed for that. We have come out with various initiatives and schemes. The electronic manufacturing hubs are being set up. Under the electronic manufacturing hubs, a 200-acre land is available, and whatever participation the State Government does, a matching grant with the Central Government will be done. There are other schemes as well, and I would like to bring to the notice of the hon. Member and the House that the Government of India is championing those schemes. We have this Next Generation Incubation Scheme for start-ups. We have the technology incubation and development centres under the TIDE scheme. We have another scheme called SAMRIDH, where we have a grant of Rs. 40 lakh for start-ups to accelerate their already started work. We have a GENESIS scheme, which has an outlay of Rs. 490 crore.

We have other initiatives in the rural areas, especially in the Tier II and Tier III cities. That is where the focus is. As of now, IT sector is more or less concentrated in seven metros. The Government plans to take this initiative to the Tier II and Tier III cities, and I can tell you that out of 65 STPI parks, 57 are in Tier II and Tier III cities. We are trying to take it further to de-congest the already congested IT hubs such as Bangalore, Hyderabad, and other cities that you have seen. And I can assure you that more initiatives will be taken for rural India and their connectivity, and also for setting up of IT hubs there.

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Sir, my concern is similar to the smart city programme.

I would like the hon. Minister and Department to have a visionary initiative to attract companies and generate employment, which he has already mentioned, but I want him to have some concrete plans in this regard. And we will definitely follow it up with the Ministry. Thank you, Sir.

SHRI JITIN PRASADA: Respected Speaker, Sir, I gladly welcome whatever initiative and idea that the hon. Member has, and I will ensure that whatever suggestions come, we will try and run those in the Ministry. But I would like to inform that as far as the IT industry is concerned, there is a revenue of about Rs. 21.3 lakh crore, out of which, Rs. 16.7 lakh crore is export-oriented. So, we

can say that the employment also that is generated by this, is about 54 lakh people. And the hon. Member will be especially happy to know that out of 54 lakh people, 36 per cent are women who are employed. So, this is a big sector, and there is an initiative for women's employment as well. As I have said before, we take various initiatives to take the IT industry to Tier II and Tier III cities of our country. We also ensure that every citizen of India gets the benefit of the IT revolution, and India, which has skilled manpower, is very well placed.

The Government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji is taking various initiatives and steps to ensure that our cyber space is also secured, and our citizens do get the benefit of the IT revolution. Thank you.

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : स्पीकर सर, मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि अमृतसर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वर्ष 2022 में बड़ी मेहनत के बाद बनकर तैयार हो गया है। अमृतसर सेंट्रल एशिया के देशों के बिल्कुल पास है। सेंट्रल एशिया की कंट्रीज से दो-तीन घंटे की फ्लाइट है और उनको भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अमृतसर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा हब बन सकता है। मेरी एक राय भी है और गुजारिश भी है, आपने जैसे बोला कि सारी बिजी सिटीज हो गई हैं एवं कंजेस्टेड हैं। आप अमृतसर को टॉप पर लीजिए। अमृतसर बिग आईटी हब बन सकता है। क्या मंत्री साहब अमृतसर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क फोर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फंक्शनल करने के लिए जल्द से जल्द कोई डेट दे सकते हैं?

श्री जितिन प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, अमृतसर बिल्कुल सरकार की खास प्राथमिकताओं में है। हमारे एक्सपोर्ट तो हो ही रहे हैं। जहां तक आईटी का सवाल है, भारत सरकार की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स खोलने की एक योजना है। मैंने पहले भी कहा है कि समय-समय पर, अभी 65 खोले हैं, जिनमें 57 टियर-2 और टियर-3 सिटीज़ में हैं।

(1110/VB/SMN)

उसका प्रावधान यही है कि अगर प्रदेश सरकार दो एकड़ जमीन देने को तैयार हो… (व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : सर, यह बन चुका है।

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) : माननीय अध्यक्ष जी, अमृतसर का एसटीपीआई बनकर कम्प्लीट हो गया है। उसमें फंक्शनलिटी जल्दी ही चालू हो जाएगी।

(इति)

(प्रश्न 222)

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने इसकी शुरुआत गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए ही की थी। गुजरात में चारण्का सोलर पार्क लगभग 4,900 एकड़ में फैला हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क प्रारंभ करवाया था। आज उनके प्रधानमंत्री की भूमिका में आने के बाद, चाहे विश्व में कार्बन एमिशन की बात हो, जी-20 में क्लाइमेट चेंज की बात हो, COP-26 समिट की बात हो या 120 देशों को साथ में मिलाकर सोलर एलायंस बनाने की बात हो, आदरणीय मोदी जी ने विश्व में प्रमुख भूमिका निभाई है। आने वाले समय में, वर्ष 2030 में जब हमने लगभग 500 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है और वर्ष 2070 में ज़ीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारी इस महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा के लिए हमारी सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या स्ट्रैटजी बनाई है और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने वाले हैं?

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जैसा कि उन्होंने कहा, एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर गुजरात इसमें एग्रेसर है। Gujarat is number one in the country as far as renewable energy is concerned. लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी, वैसे तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारी प्रायरिटी है, लेकिन नौ प्रायरिटीज में एनर्जी सेक्टर हमारी एक प्रायरिटी है। As far as renewable energy is concerned, वर्ष 2014 से, मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165 परसेंट वृद्धि हुई है। From 76.38 gigawatt in 2014, today it is 203.1 gigawatt. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने, जैसा कि मैंने बताया कि सोलर एनर्जी में पिछले 10 सालों में, वर्ष 2014 में केवल 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था, आज के दिन 85.47 गीगावाट सोलर एनर्जी कपैसिटी है। आगे बढ़ने के लिए हम, under the leadership of our hon. Prime Minister, several reforms have been unleashed in this sector. As I have said, today, we have achieved more than 200 gigawatt installed capacity. Another 151.22 gigawatt are under the various stages of implementation and 76.42 gigawatt are tendered so that the overall capacity of 430 gigawatt is already in the pipeline. जो रिन्यूएबल एनर्जीज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज- SECI, NTPC, NHPC, SJVN हैं, इन सबको 50 gigawatt per annum renewable energy power bid देने के लिए हम निर्देश दे रहे हैं। 100 परसेंट एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट अलाऊ किया गया है और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को मैनडेटरी बना दिया गया है।

(1115/SM/PC)

The Government of India has waived off the charges for inter-State transmission system. एक राज्य से दूसरे राज्य को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिट करने के लिए जो चार्जेज़ थे, वे चार्जेज़ भी रिन्यूएबल के लिए वेव-ऑफ कर दिए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़े स्टेप्स लिए हैं। इसके साथ ही साथ हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू कर दिया है, कुछ टेंडर्स अवॉर्ड हो गए हैं। इसके साथ ही साथ ऑफशोर-विंड-एनर्जी में भी वाइबिलिटी-गैप-फंडिंग का काम शुरू हो गया है।

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने राज्य गुजरात के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग और हाइड्रोजन फ्यूल जेनरेशन के लिए भारत सरकार गुजरात को स्कीम्ज़ में फाइनेंशियली क्या हैल्प कर रही है, कैसे असिस्ट कर रही है? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, जहां तक गुजरात का सवाल है, वाइबिलिटी-गैप-फंडिंग ऑफशोर-विंड-एनर्जी में 500 गीगावॉट का, टोटल 7,500 करोड़ रुपए की वाइबिलिटी-गैप-फंडिंग है। As far as offshore wind energy is concerned, उसमें एक 500 मेगावॉट का गुजरात में ही इंस्टॉल हो रहा है। उसके लिए ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया है, कैबिनेट अप्रूवल मिल गया है, टेंडर भी बुला रहे हैं। मैं इसके लिए भी अभिनंदन करता हूं।

In Gujarat, the installed capacity of renewable energy is 52 per cent. It is the highest in the country. I commend this progress. I appreciate the Gujarat Government. Whatever the Prime Minister has done when he was the Chief Minister of Gujarat, that is giving the results now. The present State Government is also doing extremely well.

MNRE has sanctioned seven solar parks to Gujarat with a capacity of 12,150 megawatts. We are giving a Central grant of Rs.12,000.12 crore for Intra-State Transmission projects under Green Energy Corridor in Gujarat. Nearly 72 per cent work is completed. ट्रांजिशन लाइन जो है, उसमें 72 परसेंट अचीवमेंट हुआ है।

In the last five years, we have released Rs.4,751.48 crore to Gujarat up to June, 2024.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगातार अग्रसर है।

महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, गैर-जीवाष्म आधारित ऊर्जा क्षमता में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह पर्यावरण की दृष्टि से देश के लिए बहुत ही अच्छा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बिहार में, खासकर महाराजगंज संसदीय क्षेत्र सहित राज्य के अन्य हिस्सों में जीवाष्म आधारित बिजली संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है? इसके लिए अभी तक कितने प्रयास किए गए हैं? बिहार को इसके लिए कितना धन आवंटित हुआ है?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as far as Bihar is concerned, we have sanctioned around 1,60,000 pumps under Component-C for feeder level solarisation. हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज़ ऑब्लिगेशन मैनडेट्री किया है, उसमें बिहार का अचीवमेंट 66 परसेंट है। टोटल स्मॉल हाइड्रो में 526.98 मेगावॉट का स्टेट में पोटेंशियल है। उसमें 70.7 मेगावॉट इंस्टॉल हो चुका है।

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Sir, in 2000, there were some Sustainable Development Goals set by the United Nations Organisation. When the review was done, we fell short of the target. About 215 Sustainable Development Goals were set. Among them, one was on the focus of alternate energy or renewable energy.

Is there any mechanism to ensure that we will be able to achieve the goal by 2030? We are importing coal more and more which is against the policy of Sustainable Development Goals.

(1120/CS/RP)

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, मैं कोल का भी उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन आज के दिन मैं कोल हैंडल नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कोल का सवाल है, कोल का प्रोडक्शन मोदी जी के नेतृत्व में डबल हो गया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज रिन्यूएबल एनर्जी का प्रश्न है। जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा काम चल रहा है, मैं उसके बारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक रिन्यूएबल एनर्जी में टोटल एक्सपेंडिचर 6,091 करोड़ रुपये था। इस मंत्रालय की स्थापना वर्ष 1992 में हुई, लेकिन एक्सपेंडिचर गत 10 साल में हुआ है। जहाँ दुनिया ने शुरू कर दिया था, दुनिया आगे बढ़ रही थी, हमारा सिर्फ सिक्स थाउजेंड करोड़ था। आज के दिन में, सिर्फ इस वर्ष का बजट हमारा 21 हजार करोड़ रुपये है। टोटल हमने आज तक, मोदी जी के कालखंड में 36,952 करोड़ रुपये का खर्चा किया है। यह मोर दैन 500 परसेंट इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल एनडीसी का जो टारगेट है, उसमें 33 परसेंट एमिशन टारगेट ऑफ दी जीडीपी, उसमें भी 9 साल से आज तक, वर्ष 2020-21 तक हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट के लक्ष्य के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके अनुसार इंवेस्टमेंट हो रहा है और स्कीम जो लागू की हैं, मैं ऑलरेडी उनके बारे में बता चुका हूँ। इसके साथ ही साथ इसको अचीव करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सहित पीएम-कुसुम, पीएम-सूर्य घर, ऑफशोर के लिए वीजीएफ और हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल के लिए वीजीएफ, यह सब मिलाकर आज के दिन में हमारी 1,60,000 करोड़ रुपये की ओवरऑल स्कीम्स हैं… (व्यवधान)

श्री अमरा राम (सीकर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सौर ऊर्जा में राजस्थान में कितनी कैपेसिटी इंस्टाल हो गई है और कितनी अभी पाइपलाइन में है? पावरग्रिड की जो बड़ी लाइनें 766 केवी की राजस्थान में बिछायी जा रही हैं, उन किसानों को, जिनके खेत में से वे लाइनें गुजर रही हैं तो प्रति किसान पावरग्रिड ने उनको क्या मुआवजा देने का व्यवस्था की है? मंत्री महोदय इस बारे में बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हम उसमें काम करते हैं। जो पावर का प्रोजेक्ट लगाते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेट का रोल होता है। Installed capacity of Renewable Energy (RE) in the State of Rajasthan is 28.17 GW, which is 66 per cent of its total installed capacity. …(व्यवधान) जहाँ तक प्रोजेक्ट लगाने की बात है, उसे प्राइवेट लोग लगाते हैं। लैंड प्राइवेट लोग खरीदते हैं। अगर उसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाती है तो इस काम को स्टेट गवर्नमेंट देखती है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पहले तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में जो अचीवमेंट सरकार ने प्राप्त किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। खासकर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो पीएम-कुसुम योजना है, छोटे सोलर पावर प्लांट लगाने की जो योजना है, वह बहुत ही अच्छी योजना है। बिहार में इसका टेंडर भी फ्लोट हुआ था, लेकिन वह एक निश्चित जगह पर कर दिया गया था। जैसे मेरे जिले में धनहा, ठकराहा, जहाँ सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, उसी जगह पर स्पेसिफिक कर दिया था। अब यह गलती बिहार सरकार की ब्यूरोक्रेसी की थी या कहाँ की थी, यह तो मालूम नहीं है, लेकिन पीएम-कुसुम योजना का बिहार के सभी किसानों को लाभ मिले और वे अपनी अनुपयोगी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगा सकें। क्या केंद्र सरकार बिहार सरकार को यह निर्देश देने पर विचार कर सकती है कि जहाँ पर इसकी जरूरत हो, वहाँ लगाएँ। उसके कारण आज जितना कोटा आपने हमारे बिहार को एलॉट किया है, उतने भी सोलर पावर प्लांट हमारे किसान नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे किसान आराम से सोलर पावर प्लांट लगा सकें, ऐसा होना संभव हो सके, क्या इसके लिए माननीय मंत्री जी बिहार सरकार से कोई बात करेंगे?

(1125/NKL/IND)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, as I have already explained, we have sanctioned about 1,60,000 pumps under Component C for Feeder Level Solarization. रिन्यूएबल परचेज ऑब्लीगेशन भी 66 परसेंट है। जो विषय पीएम-कुसुम योजना का किसी पर्टिकुलर एरिया के संबंध में है, इसे मैं एग्जामिन करके माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा। We allocate it to the States as per their demand. PM-KUSUM is a demand driven scheme. जिस राज्य से हमें डिमांड आती है, उसके अनुसार हम एलॉकेट करते हैं और कहां लगाना है, वह राज्य सरकार डिसाइड करती है। यदि ऐसा कोई इश्यू है, तो हम इसके बारे में देखेंगे।

(इति)

(प्रश्न 223)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड उपलब्ध है? यदि हाँ तो तत्संबंधी विवरण क्या है? वर्ष 2014 से आज तक सौर ऊर्जा की राज्यवार स्थापित क्षमता क्या है?

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अपने पहले दिए गए उत्तर में कहा कि प्राइवेट कम्पनीज प्रोजेक्ट लगाती हैं और भूमि का एक्विजिशन वगैरह राज्य सरकार करती है। वेस्ट बंगाल में बहुत पोटेंशियल है। वेस्ट बंगाल के साथ हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। हम सारे देश में जहां ज्यादा पोटेंशियल हैं वहां रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ सैंट्रल गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : अध्यक्ष जी, क्या सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

श्री प्रहलाद जोशी : अध्यक्ष जी, स्टडी लगातार होती ही रहती है। जहां ज्यादा पोटेंशियल है, उसके लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और उस योजना को कहां इम्प्लीमेंट करना है, यह राज्य सरकार डिसाइड करती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवि किशन जी – उपस्थित नहीं।

डॉ**.** टी**.** सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you very much, Speaker Sir, for giving me this opportunity.

There is an estimate that solar waste in India is going to jump to lakhs of tonnes by 2030 from the current one lakh tonnes due to rapid deployment of new solar capacities. This is quite concerning and alarming, especially given the fact that we do not have a proper waste management or disposal system for solar waste. Heavy metals in solar panels, including lead and cadmium can contaminate groundwater and affect plant life which is a huge threat. Through you, I would like to ask the hon. Minister whether the Government is waiting for a pyramid of hazardous solar waste to accumulate before focussing on disposal mechanism. What measures does the Government propose to take in this regard to safely dispose of the solar waste?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, actually, the question is related to the assessment of land available और बंजर भूमि के बारे में है।

(1130/VR/RV)

फिर भी, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the e-Waste Management Rules in 2022 with effect from 1st April, 2023. These Rules have been amended from time to time. The Rules are applicable to the solar photovoltaic modules, panels, cells subject to the provisions of the Rules. *....(Interruptions)* These Rules are applicable to every manufacturer and producer of the solar photovoltaic modules*....(Interruptions)*

Sir, the Central Pollution Control Board has issued guidelines on how to dispose of the waste. That has to be carried out by the respective State Pollution Control Board.

(ends)

(प्रश्न 224)

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि हम उपज के भंडारण के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जहां एफ.सी.आई. के बहुत सारे गोडाउन्स इतनी खराब अवस्था में हैं कि उन्हें रेनोवेट करने की जरूरत है।

महोदय, मेरा प्रश्न है कि सरकार ने बजट में जो घोषणा की थी, उसके अन्तर्गत महाराष्ट्र में एफ.सी.आई. के गोडाउन्स को कब तक रेनोवेट किया जाएगा और सरकार ने महाराष्ट्र में ए.सी. गोडाउन्स बनाने के लिए क्या प्रावधान किए हैं? वे किन-किन स्थानों पर बनाएं जाएंगे और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और क्या उसे पूरा करने की समय-सीमा निर्धारित हो गयी है?

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, so far as storage capacity is concerned, the total owned storage capacity of the FCI is 9.3 lakh metric tonne in Maharashtra. The hired storage capacity is 7.19 lakh metric tonne. So, the total storage capacity is 16.42 lakh metric tonne. स्टेट एजेंसी के पास स्टेट स्टोरेज कपैसिटी 6.98 लाख मीट्रिक टन है। इन सबको मिलाकर हमारा टोटल स्टोरेज 23.40 एल.एम.टी. है।

सर, जहां तक इसके अपग्रेडेशन का सवाल है तो यह एक कंटीन्युअस प्रोसेस है। अभी हमने बजटरी सपोर्ट के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए और आई.टी., इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी और स्टोरेज कपैसिटी के ओवरऑल अपग्रेडेशन के लिए और यहां तक कि जो बिल्डिंग खराब अवस्था में हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए हमने एफ.सी.आई. को 1,500 करोड़ रुपये दिए हैं। They will decide the priority. It is an ongoing continuous process. The FCI will decide on it. If the hon. Member raises issues pertaining to a particular FCI storage building which is in a dilapidated condition, we will issue the necessary instructions to the FCI.

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड के अनुसार हमारे देश में पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस के कारण 18.5 बिलियन डॉलर का अनाज बर्बाद होता है। एफ.सी.आई. के सारे गोडाउन्स में अनाज खुले में सड़ते हैं या इन्हें चूहे खा जाते हैं। फिर उस अनाज को एफ.सी.आई. डिस्पोज कर देती है। क्या हम उसे री-साईकिल करके इथेनॉल या खाद बना सकते हैं?

महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगी, जिसमें वेस्टेड फुड ग्रेन्स को री-साईकिल किया जा सके?

श्री प्रहलाद जोशी : सर, जैसा मैंने पहले भी कहा है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है, हम उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। Certain steps have been taken by the FCI to safeguard the quality of the foodgrains at the preventive stage. The foodgrains are stored by adopting a proper scientific Code of Storage Practices. These are scientifically built godowns. Storage is done by using adequate dunnage materials such as wooden crates, bamboo mats, polythene sheets. ये सब हम उपयोग कर रहे हैं। Fumigation covers, nylon ropes, nets, insecticides

for the quality control of the stored grains, etc. have been provided to all the godowns. वैसे तो बहुत मेजर्स हैं।

(1135/SAN/GG)

पहले तो हम ट्रेडिशनली वीट ओपन स्टोरेज में रखते थे। आज सभी ओपन कवरेज हमने बंद कर दिए हैं। The grain bags used to be kept on the plinth and covered with polythene sheets. अभी तो रेग्युलर कंस्ट्रक्टिड गोदाम हैं। इसके साथ ही साथ, लगभग 180 LMT of CAP, that is, Cover and Plinth, has been phased out. इसके साथ, मैं गर्व से यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा राइस का वेस्टेज़ है, यह वर्ष 2014 में 0.39 पर्सेंट था और आज के दिन में 0.07 पर्सेंट है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। Wheat transit loss is reduced from 0.35 in the year 2013 to 0.14 as of now. Rice transit loss is reduced from 0.058 in 2013-14 to 0.019 as on date. इस प्रकार से दिन प्रति दिन हम सुधारते जा रहे हैं। इसके लिए भी जो वेस्टेज़ का डिस्पोज़ल करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी पॉलिसी एग्ज़िस्ट करती है।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा और नागर हवेली संसदीय क्षेत्र से आती हूँ, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां किसानों की हालत काफी दयनीय है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी भंडार नहीं है, जिससे किसानों को कहीं और जा कर अपना अनाज बेचना पड़ता है और उसके लिए किसानों को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। दादरा और नागर हवेली में चावल का कुल उत्पादन लगभग 33 हज़ार मीट्रिक टन है।

महोदय, यदि भारतीय खाद्य निगम वहां पर खरीद शुरू करती है तो वहां के अन्नदाता किसान भाइयों का अनाज भी सरकारी एमएसपी दर पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्याप्त भंडार क्षमता एवं स्थानीय किसानों को खाद्यान्न की खरीदी हेतु सरकार अनाज के भंडार के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई गोदाम बनाने का प्रायोजन है? अगर है तो कहां है और उस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उसे पूरा करने की क्या समय सीमा तय की गई है, जिससे मेरे क्षेत्र के किसानों द्वारा अनाज खरीदा जा सके, किसानों को उसका डायरेक्ट लाभ मिल सके और किसानों को कहीं और जाने की आवश्यता नहीं पड़े।

श्री प्रहलाद जोशी : सर, आज के दिन में दादरा और नागर हवेली के लिए हमारा डिपो वलसाड में है, लगभग 13 हज़ार मीट्रिक टन की सप्लाई उधर से होती है। दादरा और नागर हवेली में गोदाम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, my question is a little bit complicated. The present foodgrains storage capacity of the FCI godowns is not sufficient but one group is going to take over the foodgrains storage facility and it will be keeping the foodgrains in a special-style godowns called, ‘silo’ godowns. These silo godowns are being established and are being installed by a group by the name Adani Group.

Sir, I expected that at least the Minister would come out with the truth and tell us about these godowns because they have taken over the market of the farmers of the whole country by installing their silo type of godowns.

Sir, I have seen silo godowns because I was the Chairman of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

(1140/SNT/MY)

These are sophisticated godowns which are very big ranging from 50,000 metric tonnes to about 2,00,000 metric tonnes. These godowns are very updated. But these silo godowns are mainly going to be set up in Gujarat and Maharashtra now. I want to ask the hon. Minister whether you are planning to give the complete installation of silo project by removing the FCI godowns functioning at present, to be implemented by the Adani Group throughout the country.

श्री प्रहलाद जोशी: सर, जहां तक स्टोरेज कैपेसिटी की बात है, आज के दिन में एफसीआई की जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टेट में भी हम स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन से लेते हैं, हायर पर लेते हैं, इन सबको मिलाकर आज के दिन में हमारे पास 837.68 एलएमटी है। नॉर्मली, हम 652-700 एलएमटी स्टोर करते हैं, इसीलिए हमारे पास स्टोरेज के शॉर्टेज का सवाल आज के दिन में नहीं है। वह पहले आपके कालखंड में रहा होगा। आज हमारे कालखंड में ऐसा नहीं है।

सर, इसमें ट्रांसपैरेंट सिस्टम है, ऑनलाइन टेंडरिंग होता है।… (व्यवधान) In the first phase of the Hub and Spoke model, silos of 34.87 LMT capacity at 80 locations are planned to be constructed. Out of this, 10.125 LMT capacity at 14 locations would be under the DBFOT mode at FCI's own land. And 24.7 LMT capacity at 66 locations under the DBFOO mode at private land has been awarded. I do not know which company has got it. … (*Interruptions*) But I want to say that it is the most transparent online tendering process. अगर ये लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सुदीप बंदोपाध्याय जी को पार्टिसिपेट करने दीजिए।… (व्यवधान)

सर, जो दूसरी बात है, ये लोग हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आपका निर्देश आया है, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। यह आपका आदेश है, उसे मैं पालन करता हूं। लेकिन, उन्होंने जो नाम उठाया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह इंडी गठबंधन के साथ बैठे हैं। इन्होंने तेलंगाना में अभी-अभी क्या किया है? इन्होंने ऐसे ही अवार्ड किया है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वहां किसने एलॉट किया था?… (व्यवधान) केरल में किसने किया है? हर राज्य में एक ओपन टेंडर ट्रांसपैरेंट सिस्टम से होता है। इसीलिए, बिना तथ्य आरोप लगाना ठीक नहीं है। जब से ये अपोजिशन में बैठे हैं, तब से बिना तथ्य के आधार पर आरोप लगाना इनका काम है।… (व्यवधान) इनके समय में काम तो कुछ नहीं हुआ है। अभी मोदी जी के समय में काम हो रहा है। इसीलिए, ये लोग ऐसे आरोप लगता हैं।

(इति)

(प्रश्न 225)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में 32 परसेंट पॉपुलेशन ट्राइबल है, 12 परसेंट पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है और 42 परसेंट एरिया जंगल से घिरा हुआ है। वहां पहाड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में वहां पर कितनी ट्रेन्स निरस्त की गई हैं? साथ ही छत्तीसगढ़ जोन से जो रेवेन्यू मिलती है, वह रेवेन्यू देश में कौन-से स्तर पर है? छत्तीसगढ़ के दुरूह क्षेत्रों में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, भविष्य में माननीय मंत्री जी वहां पर रेल लाइन बिछाने के लिए क्या करने वाले हैं? उसके लिए क्या योजना है? इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अश्विनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के बारे में जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा कि एक आदिवासी बहुल राज्य है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। दुर्भाग्य से एक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे।

(1145/CP/AK)

आज फंड्स भी दिए जा रहे हैं और काम भी हो रहा है। …(व्यवधान) माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय रखा है, उसको भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 56 मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स और 121 पैंसेजेर ट्रेन्स होती थीं, जबकि आज 58 मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं और 128 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। इतने पर ही रुकने की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में करीब 37 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। 8 नई लाइन्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे 1,358 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बन रही है। इसमें 20 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट हो रहा है। 17 डबलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 1,373 किलोमीटर नए ट्रैक बिछेंगे। उस पर 16,604 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट हो रहा है। कई जगह थर्ड लाइन, कई जगह फोर्थ लाइन बन रही हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, हम छत्तीगढ़ की पोजीशन को देखें तो कोलकाता से मुंबई का जो सबसे बड़ा कोरीडोर है, इस कोरीडोर से जाने वाली सारी की सारी ट्रेन्स छत्तीसगढ़ होते हुए जाती हैं। छत्तीसगढ़ में कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। दस साल पहले मात्र 311 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए होता था, उसे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी 6,922 करोड़ रुपये, यानी 22 गुना ज्यादा इनवेस्टमेंट आज दे रहे हैं। इसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। पहले मात्र साढ़े 6 किलोमीटर पूरे साल में छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य में काम होता था। जैसा माननीय सांसद जी ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत सारा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में मात्र साढ़े 6 किलोमीटर एक साल में काम होता था। आज 100 किलोमीटर प्रतिवर्ष यानी पहले से 15 गुना ज्यादा काम हो रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय के समक्ष यह विषय रखना चाहूंगा कि जब रेलवे में काम बहुत ज्यादा होता है, तो रेलवे के नए ट्रैक को एग्जिस्टिंग नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हैं, तब जरूर गाड़ियों के कैंसलेशन की तकलीफ आती है। मैं उस तकलीफ के प्रति संवेदनशील हूं और इसीलिए काम का एक नया मैथड भी स्टार्ट हुआ है। पिछले 7-8 महीनों में इसके ऊपर बहुत अभ्यास करके एक नया मैथड भी निकाला है, जिससे मैक्सिमम काम जिसको एनआई वर्किंग कहते हैं, नॉन इंटरलॉक वर्किंग कहते हैं, उससे पहले-पहले हो जाए, ताकि कनेक्शन के दौरान मिनिमम डिसरप्शन हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिलासपुर रेलवे जोन है, वह जोन, पूरे देश में जितनी कमाई होती है, उसका कितना हिस्सा देता है? उस हिस्से के रूप में मेरा आपसे एक बात का आग्रह भी है कि वहां पर ट्रेन्स लगातार कैंसल होने के कारण और वहां सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वहां पर यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। भविष्य में क्या आप यह निर्देश करेंगे कि अति आवश्यक होने पर ही ट्रेन्स कैंसल हों, अदरवाइज कैंसल न हों।

मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 200 से ज्यादा ट्रेन्स पिछले तीन सालों में निरस्त की गई हैं और बार-बार उन्हें चालू किया गया। इसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। वह परेशानी आपके काम के कारण हो रही है, यह भी मुझे जानकारी है। … (व्यवधान) आपके काम के कारण परेशानी हो रही है, डबलिंग हो रही है, नई रेल लाइन बिछ रही है। माननीय मंत्री जी, बिलासपुर का रेलवे जोन देश में कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा देता है और उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में रेलवे में जो खर्च किया जाना चाहिए, क्या वह खर्च किया जा रहा है?

श्री अश्विनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह बात सही है कि 10 साल पहले छत्तीसगढ़ के प्रति न्याय नहीं होता था।…(व्यवधान) आज न्याय हो रहा है। …(व्यवधान) आज सफिशिएंट फंड्स एलोकेट हो रहे हैं और काम भी बढ़ रहा है। …(व्यवधान) जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा, काम जिस तेजी से हो रहा है, उसके कारण ट्रैफिक में, पैंसेजर गाड़ियों की कैंसलेशन की दिक्कत भी हुई। इसके लिए मैं संवेदनशील भी हूं। …(व्यवधान) मान लीजिए एनआई करने में, यानी कनेक्शन करने में 4 दिन लगते थे, तो अब प्रयास कर रहे हैं कि तीन ही दिन लगें। इस तरह का बहुत प्रयास चल रहा है।

अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से अभी काम चल रहा है, उससे इतनी अच्छी कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी कि कई सारी समस्यायें जो कैपेसिटी की कमी के कारण थीं, वे भी समाप्त हो जाएंगी। …(व्यवधान)

(1150/NK/UB)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I heard the hon. Minister’s answer. While answering the question, the hon. Minister is misleading the House. The hon. Member asked a question about the cancellation of trains in the last two years. The hon. Minister started talking about the UPA Government’s 10 year period.

In my own constituency, there is a project of doubling the railway line from Kayamkulam to Ernakulam via Alleppey. Every year, the Government is providing fund. I have no complaint about that. The Government provided fund this year and last year also. But when it comes to sanctioning of work, the Union Government is not giving the sanction. Not even a single rupee was spent. The hon. Minister said the Government has given this much amount of money but when it comes to expenditure, there is no expenditure because the Government is not giving the sanction, especially for a railway line project in Ambalapuzha. I want to ask the hon. Minister whether the Government is going to give the sanction for the work.

Further, Vande Bharat is a good initiative. But introducing Vande Bharat Trains has created a lot of hardships for the local commuters. I want to ask the hon. Minister whether he is going to reschedule the train timings for the convenience of the passengers.

श्री अश्विनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, सदन को मिसलीड करने की बात नहीं है। मैंने सांसद महोदय के प्रश्न का एकदम स्पष्ट जवाब दिया है कि कोविड से तीन साल पहले 56 मेल एक्सप्रेस थी, 121 पैसेंजर्स ट्रेन थी। आज 58 मेल एक्सप्रेस है और 128 पैसेंजर्स ट्रेन है। काम करने के दौरान ट्रेनें कैंसिल हुई हैं।

अगर रेलवे में तेजी से काम होता है, जब एक नया ट्रैक एग्जिसटिंग नेटवर्क के साथ जुड़ता है तब ट्रेन कैंसिल करना ही पड़ता है। हाईवे में क्या होता है, आप एक डाइवर्जन बनाते हैं और डाइवर्जन से ट्रक या ट्रेन कोई भी जा सकता है। ट्रेन में एक गाड़ी पटरी से नीचे उतर कर फिर वापस चढ़ना संभव नहीं होता है। इसलिए गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ता है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को नया जोड़ते हैं। यह टेक्नीकल रिक्वायरमेंट है। जहां तक केरल की बात है, केरल का प्रश्न अलग से माननीय सांसद कभी भी पूछ सकते हैं। केरल में लैंड एक्विजिशन की सीरियस प्राब्लम है। मैं माननीय सांसद मोहदय से राज्य सरकार को भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सांसद राज्य सरकार के साथ जरूर कोऑर्डिनेशन करें और लैंड एक्विजिशन के लिए प्रयास करें। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि केरल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए फंड्स की कभी कमी नहीं रहेगी।

श्री चिन्तामणि महाराज (सरगुजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सांसद बन कर आया हूं और प्रश्न पूछने का पहला अवसर मिला है, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मेरे रेलवे से संबंधित तीन-चार ही सवाल हैं। अंबिकापुर से दिल्ली निजामुद्दीन एक्सप्रेस सप्ताह में केवल एक दिन चलती है। यह सप्ताह में दो दिन चले तो वहां के व्यापारियों और लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। अंबिकापुर दिल्ली एक्सप्रेस का स्टॉपेज विसरामपुर और सूरजपुर में नहीं है। इसका स्टॉपेज हो जाने से बहुत अच्छा होगा। अयोध्या दर्शन के लिए जो भक्त ट्रेन से जाते हैं, वे सरगुजा संभाग से जाते हैं।

(1155/SK/SRG)

अम्बिकापुर ट्रेन जिस रास्ते से आती है, वहां लोगों को 100 किलोमीटर आना पड़ता है और फिर वहां से वापस घर जाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जहां से यात्री आते हैं, वहीं से उनको लिया जाए। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन पर एक ही प्लेटफार्म होने के कारण दूसरी ट्रेन विश्रामपुर या कमलपुर में रुकती है, जबकि यहां तीन और प्लेटफार्म्स की आवश्यकता है।

श्री अश्विनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अम्बिकापुर से दिल्ली ट्रेन का जिक्र किया है। यह डिमांड लंबे समय से थी और यह ट्रेन डेढ़ वर्ष पहले चालू की गई थी। माननीय सांसद ने रिक्वेस्ट की है कि इस ट्रेन को हफ्ते में एक दिन के बजाय दो दिन चलाया जाए, मैं माननीय सांसद के साथ बैठकर इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। अगर संभव हुआ और फिजिबल हुआ तो जरूर इसे चलाया जाएगा।

(इति)

(प्रश्न 226)

श्री विवेक ठाकुर (नवादा) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दस वर्षों में आईटी और इलैक्ट्रानिक सैक्टर में जो प्रगति हुई है, वह अभूततपूर्व है। इसके साथ-साथ यह भी देखा गया है कि विशेषकर फाइनेंशियल साइबर क्राइम के क्षेत्र में अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी डेटा बहुत चौंकाने वाला है जो 24.4 परसेंट है। टेक्नोलॉजिकल डेवलमेंट्स के साथ अपराध का आकार और प्रकार नया होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि युवक और युवतियां, दोनों इन्वाल्व होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं स्वीकार्यता भी मिलती जा रही है। आईटी एक्ट के तहत मुकदमा तो होता है लेकिन बड़ी आसानी से बेल भी हो जाती है। कन्विक्शन रेट मात्र 1.3 परसेंट है। दुख तब होता है जब रिटायर्ड पेंशनर्स और बजुर्ग सबकी एक मिनट में जमा पूंजी साफ हो जाती है। मेरे ख्याल से काउंसलिंग और स्ट्रिंजेंट लॉ, दोनों की बराबर आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय साइबर अपराध से संबंधित सभी धाराएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जमानत युक्त धाराएं हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री जितिन प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूं, जहां तक इलैक्ट्रानिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सवाल है, आईटी एक्ट अधिनियम में आईटी मिनिस्ट्री विभिन्न श्रेणियों के दंड का प्रावधान करती है। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, यह गृह मंत्रालय के अधीन है।

माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उनकी जानकारी में सुधार करना चाहता हूं। आईटी एक्ट में 18 ऐसे प्रावधान हैं जो ऑफेंस की कैटेगिरी में आते हैं। इनमें 6 नॉन-बेलेबल हैं और 12 बेलेबल हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सब में छूट है, ऐसा नहीं है। अभी गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 अधिनियम के तहत 1 जुलाई, 2024 से प्रावधान किया गया है, इसमें सैक्शन 111 के तहत कठोर दंड साइबर ऑफेंसेस के लिए तय किया गया है। सरकार को पूरा संज्ञान है और यह बहुत महत्वपूर्ण, इवॉल्विंग और चैलेंजिंग सिचुएशन है। मैंने पहले भी कहा कि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, 70 करोड़ इंटरनेट कनैक्शन्स हैं और हर सात सैकिंड में एक नया सब्सक्राइबर आ जाता है। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वास दिलाते हैं कि साइबर स्पेस को सुरक्षित रखा जाएगा, नागरिकों के हितों की रक्षा की जाएगी और सभी प्रावधान लाए जाएंगे।

(pp. 18-30)

श्री विवेक ठाकुर (नवादा) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है और मैं संतुष्ट भी हूं, लेकिन कन्विक्शन रेट का डेटा थोड़ा चौंकाने वाला है। 1.3 परसेंट सिर्फ कन्विक्शन रेट है।

(1200/KDS/RCP)

इसकी ग्रोथ लगभग 25 परसेंट है। दिल्ली में भी हम लोगों ने देखा कि आकार जो इसका बदलता है, काउंसलिंग की भी उतनी ही आवश्यकता है। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड लेकर आधी दिल्ली को पैसे उड़ा दिए। सेक्टरवाइज इनकी जो ग्रोथ हो रही है, उसे चेक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री जितिन प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों में थोड़ा इजाफा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या और हर सात सेकेंड में नया सबस्क्राइबर आ रहा है, मगर हमारी विभिन्न संस्थाएं हैं। नैशनल साइबर को-आर्डिनेशन सेंटर, जो इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। जहां कहीं गड़बड़ी होती है, तुरंत उससे विभिन्न संस्थाओं को अवगत कराता है। ब्लॉकेज करने के साथ-साथ तमाम ऐसी धाराएं हैं, जिसमें दंड भी दिया जाता है। हम लोगों ने काफी सफलता प्राप्त की है। गृह मंत्रालय की एक संस्था है- इंडियन साइबर क्राइम को-आर्डिनेशन सेंटर, जिसके तहत नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर शिकायतों का पूरा ब्योरा दिया जा सकता है। थाने जाने की जरूरत नहीं है। एक हेल्पलाइन 1930 नंबर के तहत जारी की गई है।

मैं माननीय सदस्य को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि करीब 2 हजार 400 करोड़ जो ऐसे घोटाले हुए हैं, उनको रोका गया है। करीब साढ़े सात लाख सिटिजन्स की साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग द्वारा रक्षा की गई है। जहां तक कनविक्शन का सवाल है, वह राज्य सरकारों के अधीन आता है, तो वह भी कराया जा रहा है। धन्यवाद।

(इति)

QUESTION HOUR OVER

1202 hours (Shri P.C. Mohan *in the Chair*)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Hon. Members, the Speaker has received a number of notices of Adjournment Motion on different subjects and he has not admitted any such notices.

PAPERS LAID ON THE TABLE

1202 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, Papers to be laid on the Table; Dr. Jitendra Singh.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाओं के लिए निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अंतर्गत भारत के लोकपाल, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.203(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मैं मंत्रियों द्वारा सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

सोलहवीं लोक सभा

(1)	विवरण सं. 33	चौथा सत्र, 2015

सत्रहवीं लोक सभा

(2)	विवरण सं. 23	पहला सत्र, 2019
(3)	विवरण सं. 17	तीसरा सत्र, 2020
(4)	विवरण सं. 18	पांचवां सत्र, 2021
(5)	विवरण सं. 11	आठवां सत्र, 2022
(6)	विवरण सं. 8	नौवां सत्र, 2022
(7)	विवरण सं. 6	दसवां सत्र, 2022
(8)	विवरण सं. 6	ग्यारहवां सत्र, 2023
(9)	विवरण सं. 3	बारहवां सत्र, 2023
(10)	विवरण सं. 3	चौदहवां सत्र, 2023
(11)	विवरण सं. 2	पंद्रहवां सत्र, 2024

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग एक- समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो- समर्पित विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2022-2023 के लिए रेल मंत्रालय के विनियोग लेखे (भाग दो- समर्पित विनियोग लेखे – अनुबंध - छ)।

(चार) वर्ष 2022-2023 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार – वित्त लेखे (भाग एक और दो)।

(पांच) वर्ष 2022-2023 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार – विनियोग लेखे (खंड एक और दो)।

(छह) वर्ष 2022-2023 के लिए संघ सरकार – विनियोग लेखे (डाक सेवाएं)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2024 का संख्यांक 5) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और भारतीय रेल में पार्सल सेवाओं का प्रबंधन संबंधी (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केंद्रीय स्वायत्तशासी निकायों के बारे में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा - (2024 का संख्यांक 3)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) अनुज्ञप्तिकरण आवश्यकताओं को हटाना, भंडार सीमाएं और विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर संचलन प्रतिबंध (दूसरा संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 11 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2718(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अनुज्ञप्तिकरण आवश्यकताओं को हटाना, भंडार सीमाएं और विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं पर संचलन प्रतिबंध (पहला संशोधन) आदेश, 2024 जो दिनांक 21 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2403(अ) में प्रकाशित हुआ था।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Respected Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table –

(1) A copy of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Deputy Director of Administration (Amendment) Recruitment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 364(E) in Gazette of India dated 4th July, 2024 under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 8 of the Cinematograph Act, 1952:-

(i) The Cinematograph (Adjudication of Penalty) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 317(E) in Gazette of India dated 7th June, 2024.

(ii) The Cinematograph (Certification) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R. 214(E) in Gazette of India dated 15th March, 2024.

(3) A copy of Audited Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Prasar Bharati, (Broadcasting Corporation of India) for the year 2022-2023.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना, 2024 जो दिनांक 8 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Hon. Chairperson, Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Railway Servants (Discipline and Appeal) (Second Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 409(E) in Gazette of India dated 16th July, 2024 under Article 309 of the Constitution.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2023 का संख्यांक 20) मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन 'भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का भंडारण प्रबंधन और संचलन' संबंधी प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मेरे सहयोगी श्री जॉर्ज कुरियन की ओर से मैं हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत हज समिति (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 369(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 48TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, on behalf of my colleague Shri Ashwini Vaishnaw, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 48th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on "Citizens' Data Security and Privacy" pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology.

(1205/PS/MK)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 27TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY-- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, with your kind permission, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on 'Ethical Standards in Media Coverage' pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 20TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRIMATI NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA): Respected Sir, with your permission, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on 'Quality Control Cells (QCCs)' pertaining to the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Hon. Members, we are taking up 'Zero Hour' now.

Since the time is short, I request hon. Members to be brief.

Shri Saptagiri Sankar Ulaka.

*MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

1206 hours

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

The Odisha Government has proposed to develop greenfield airports in five locations to boost intra-State and inter-State civil aviation facilities mainly catering to industrial hubs.

Sir, Rayagada is a perfect place for setting up of an airport given the number of industries it has, especially JK Paper Mill, IMFA, Utkal Alumina International Limited, and Hindalco Plant at Kansariguda, which is coming up and so is a new plant at Rayagada. Also, the Rayagada railway division is said to be operational very soon, making it a major railway junction. It is a potential tourist hub with Majhighariani Temple, Chatikona, and Minajhola, etc. It has 21 banks, autonomous educational institutions, and ITIs and engineering colleges. A lot of people from Rayagada have settled abroad and they are working in Bluechip companies, which can really be utilised for airport tickets.

Sir, on the availability of land, the Jeypore Sugar Mill is closed, and around 500 acres of land is now available with the State Government which can be leveraged for either airports or medical colleges.

I request the Government to kindly consider the request to start air service from Rayagada at the earliest. At the same time, the runway at the Jeypore Airport is only 1200 metres and there is a need to increase it to 2700 metres; and also, the width of the runway is required to be increased from 30 to 45 metres, so that it can be upgraded from 2C to 3C category. So, I would like to request the Ministry to consider the request with regard to Jeypore airport as well.

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) : धन्यवाद सभापति महोदय। महाराष्ट्र में मेरे लातूर लोक सभा चुनाव क्षेत्र में उदगीर एक अग्रणी सरकारी मिल्क पाउडर प्रोडक्शन यूनिट था, जिसका परिचालन पिछले कुछ सालों से बंद कर दिया गया है। विगत वर्षों में उस यूनिट को पुन: शुरू करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली है। उसके बाद, राज्य सरकार ने उस प्रोजेक्ट के पुनरुत्थान के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सौंपे जाने के लिए केंद्र सरकार के पास काफी समय पहले एक प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने उस पर अपनी सहमति दे दी थी और

* Please see p. 302 for list of Members who have associated

एनडीडीबी को उस पर आगे कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए थे, परन्तु अभी तक एनडीडीबी की ओर से कागजात से बाहर धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बंद पड़े मिल्क पाउडर प्रोडक्शन यूनिट को व्यापक जनहित में पुन: चालू करने की कोशिश करे और जल्द से जल्द उसे चालू करके वहां के किसानों को राहत दे। धन्यवाद।

श्री रुद्र नारायण पाणी (धेन्कानल) : धन्यवाद सभापति महोदय। ओडिशा के तालचेर में एक फर्टिलाइजर प्लांट वर्ष 1970 के दशक में शुरू किया गया था। बाद में, गलत परिचालन के कारण वह वर्ष 1990 के दशक में बंद हो गया था। Now, there is a joint venture with regard to Talcher Fertilizers Limited. उसके काम में कैसे प्रगति हो और वह प्रोजेक्ट कैसे जल्दी समाप्त हो, उसके लिए मेरा निवेदन है। 22 सितम्बर, 2018 में प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाकर उसका शिलान्यास किया था। उस समय उस पर जितनी लागत तय की गयी थी, अब वह अपने-आप बढ़ती जा रही है। इसलिए, तालचेज फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफएल) का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उससे पूरे राज्य को, धेन्कानल लोक सभा क्षेत्र को और संबलपुर लोक सभा क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद

(1210/SMN/SJN)

*SHRI BAJRANG MANOHAR SONWANE (BEED): Hon. Chairperson, today, I would like to talk about the farmers of Beed District in Maharashtra. The farmers of this district regularly pay the insurance premium for the Crop Insurance Scheme. This entire area is extreme drought- affected but still the farmers anyhow manage to pay the insurance premium. The farmers from the adjoining Dharashiv, Parbhani and Latur Districts received the insurance benefits but my district has been excluded.

So, I would like to request you to kindly instruct the insurance companies to pay the compensation claimed by the farmers. Last year, in 2023-24, the farmers from my Beed District had taken the insurance cover, but no advance and final compensation has been disbursed. Please instruct the insurance companies to extend the insurance benefits to the poor and the needy farmers of my Beed District. Thank you.

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): Mr. Chairman, I would like to draw the attention of the House and the Government of India to the crisis that Manipur has been experiencing for the last 14 months.

Sir, a peace effort has been made and there was an agreement achieved between the two communities in the district of Jiribam on 1st August mediated by the security forces. But unfortunately, it is subverted by communal, divisive and sectarian forces and they started attacking the villages and so on. Sir, I think the Government of

* Original in Marathi

India must take stern action against these communal and divisive forces which have created havoc in the State for the last 14 months. I would like to remind the Government of India and this House that the Government of India has a historical, political, moral and legal responsibility to defend Manipur as an entity that existed before the commencement of this Constitution as stated in the Schedule I of the Constitution.

In fact in the Instrument of Accession signed by the then Maharaja of the State on 11th August, 1947, the Defence of the State was handed over to the Government of India and, therefore, the Government of India must take stern action against these divisive forces aided by the foreign elements and we need to take necessary steps to delineate citizens from the non-citizens because we have foreign elements and illegal immigrants who are creating havoc with these divisive elements within the State.

I appeal to this House as well as the Government to make sure that the Article 19 works in the State of Manipur and people have the capacity to move freely on the Highways as well as territories within the State of India. It should not be restricted because one belongs to one community or the other.

In the end, I would like to conclude with this remark that the properties of internally displaced people must be protected. There have been images of houses being blown up and villages being wiped out in order to subvert the peace process and they want to destroy the villages. As a result, you cannot just go back. This has been happening. I think the Government of India must take immediate action to ensure that the properties of the displaced people are protected in the State of Manipur.

Thank you, Mr. Chairman.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Honourable Chairman, Sir, I would like to address a serious concern that affects the livelihood of numerous rubber farmers in our country. There are reports indicating that the Government is considering implementing a maximum price limit or slab for natural rubber, which will have far-reaching and devastating consequences for the farmers who depend on it for their survival. It is also learned that rubber cultivation is crucial to the economy of several states, especially in Kerala where many small and marginal farmers rely on it for their livelihood. These farmers already struggle with fluctuating market prices and increasing

production costs. It is important to note that, up to this point, there has been no Minimum Support Price (MSP) for rubber in India. Instead of imposing a maximum price slab, the Government should focus on establishing a fair and remunerative Minimum Support Price for rubber. This would provide farmers with a guaranteed income and protect them from market fluctuations.

I urge the Government to reconsider implementing a maximum price and to engage with stakeholders, including farmer associations and industry experts, to develop a solution that supports the interests of our rubber farmers.

Thank you.

(1215/SM/MM)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Thank you, Sir. I want to raise an important issue of stepmotherly treatment of North East Frontier Railway Zone towards Assam and the rest of North Eastern States.

During COVID-19, many trains were closed down. Even now when the COVID-19 has passed, those trains, which had been stopped, are still not resumed. I want to raise a point that 05819 Dekargaon-Dibrugarh Intercity Express, 55904 Mariani-Jorhat-Golaghat-Dimapur passenger train, 12525 Dibrugarh-Kolkata weekly superfast Express, 15771 Alipurduar-Kamakhya Intercity Express, 55818 Guwahati-Rangiya passenger train etc., are some of the important trains which were running prior to COVID-19. At the time of COVID-19, these trains were stopped. Now, COVID-19 has passed. But these trains are still not in operation. In addition to this, there are demands for a level-crossing near Longpotia Gaon in Charaideo district; extension of Brahmaputra Mail to its original destination of Dibrugarh and the land compensation for Kulajan-Kareng Ghat area near Dhamaji district. There is a need for new railway lines between Sivsagar-Jorhat, Salona-Khumtai and Tezpur-Silghat. In many cases, DPR had been submitted in 2020 or 2021. But there has been no progress.

Lastly, the point that I want to raise is that the vacancies in North East Frontier Railway Zone should be filled up by local youths. The local youths are unemployed. They are agitating and they are not getting jobs in their own railway zone. Therefore, I demand that the North East Frontier Zone should come up with a criterion that North East youths get priority in terms of employment. Thank you.

श्री यूसुफ पठान (बहरामपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों और जूट उद्योग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जूट एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल रेशा फसल है, जो मुर्शिदाबाद, हुगुली और नादिया जिलों में उगाई जाती है। यह उद्योग हजारों परिवारों का जीवनयापन करता है, लेकिन वर्तमान में यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक बैग के बढ़ते हुए उपयोग के कारण कई जूट मिलें बंद हो गयी हैं। जूट की कम कीमत मिलने के कारण कई किसान इस फसल को उगाने में संकोच कर रहे हैं। सरकार ने प्लास्टिक की बैग पर प्रतिबंध लगाया है और जूट बैग का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं दिख नहीं रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जूट मिलों और जूट की खेती को बंद होने से रोकने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाए ताकि जूट की खेती करने वाले किसानों को उसका सही मूल्य मिल सके और जूट श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान किया जा सके।…(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सर, विनेश फोगाट को डिसक्वालिफाई कर दिया गया …(व्यवधान) उनको किस आधार पर डिसक्वालीफाई किया गया…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): No.

… (*Interruptions*)

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं जो देश की साख और विश्वसनियता से जुड़ी हुई समस्या है।…(व्यवधान)

महोदय, हमारे देश में कई इस तरह के रियल एस्टेट कारोबारी बिल्डर्स हैं, जो निवेश के मनाम पर गलत सपना दिखाकर देश और विदेश में रहने वाले हमारे एनआरई भाई से पैसा जमा करा लेते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं।…(व्यवधान) रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले बिल्डर्स के पास उनका हजारों-करोड़ रुपया जमा है।…(व्यवधान) मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसा निवेश करने वाले अप्रवासी भारतीयों की सहायता हेतु वह कोई सूची तैयार करेगी? …(व्यवधान) क्या ऐसे बिल्डर्स पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? …(व्यवधान) मैं सरकार से चाहता हूं कि गुड़गांव की M3M कंपनी और तमाम ऐसी कंपनियां हैं, उनकी सूची मेरे पास है। यदि सरकार मुझे मौका देगी तो मैं सहायता भी करने को तैयार हूं।…(व्यवधान) मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर देश के मान-सम्मान और गुडविल के खातिर आवश्यक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।…(व्यवधान)

(1220/YSH/RP)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chair, Cuttack has become very saturated. The lines from Bhubaneswar to Kapilas Road via Cuttack and from Barang to Kapilas Road *via* Cuttack have become very saturated. A large number of freight trains are running from Talcher to Paradip though there is a different line or a second line from Haridaspur to Paradip which has been commissioned. It is a just a single line for freight traffic.

Therefore, it is necessary, now, to have a third line from Barang to Kapilas Road. Earlier, 20 years ago, a second line has been constructed from Kapilas Raod to Barang. There is a need for construction of three or four railway bridges on rivers Birupa, Mahanadi, Kathajodi, and also Kuakhai. There is a need, now, to have a third line from Barang to Kapilas Road so that most of the superfast trains can travel through Cuttack. Some long-distance trains, which are travelling to Amritsar and Jaisalmer and bypassing Cuttack, need to ply through Cuttack Railway Station also. I would be happy if the Government takes up this third line on an urgent basis.

Thank you, Sir.

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सभापति जी, 10 जनवरी, 2022 को उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में दो निर्देश दिए थे। … (व्यवधान) पहले निर्देश में उन्होंने यह कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन ऐसे किसी नक्शे को पारित नहीं करेगा, जो तीन मंजिली मकान को तीन फ्लैट में तब्दील करता हो। … (व्यवधान) उसके साथ-साथ उन्होंने एक दूसरा निर्देश यह दिया था कि ऐसा कोई एमओयू पंजीकृत नहीं होगा, जो किसी ऐसी कार्रवाई के ऊपर अमलीजामा पहनाता हो कि जब तक जो विरासतीय कमेटी है, वह विरासतीय कमेटी रिहायशी सेक्टर्स की रिडेंसिफिकेशन के ऊपर पुनर्विचार नहीं कर लेती है। … (व्यवधान)

अब जो विरासतीय कमेटी थी, उसने पुनर्विचार करके यह सुनिश्चित किया कि जो विरासतीय रिहायशी इलाके हैं, हैरिटेज सेक्टर्स हैं, उनमें कोई रिडेंसिफिकेशन की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शायद चंडीगढ़ प्रशासन उच्चतम न्यायालय के फैसले को ठीक तरह समझ नहीं पाया। … (व्यवधान) उसको अपने संज्ञान में नहीं ले पाया और 9 फरवरी, 2023 को उन्होंने एक आदेश जारी किया, जिससे चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी की जो शेयर वाइज़ सेल है, उस पर पूरे चंडीगढ़ में रोक लगा दी गई। इससे लाखों लोगों को तकलीफ हो रही है। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, वहां पर कोई कैंसर पीड़ित है। … (व्यवधान) कोई अपने बच्चे को शिक्षा के लिए बाहर भेजना चाहता है। अब वे अपनी प्रॉपर्टी को अपने कोऑनर्स के अलावा किसी को बेच नहीं पा रहे हैं। जो 100 की चीज है, वह 10 रुपये में बेची जा रही है। … (व्यवधान)

मैं आज गृह मंत्रालय से यह मांग करना चाहता हूँ कि 9 फरवरी, 2023 के फैसले को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। … (व्यवधान)

(1225/NKL/RAJ)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. … (*Interruptions*) I wish to bring to your notice an important issue regarding a new rule imposed by the Education Department for admission in Kendriya Vidyalayas. … (*Interruptions*)

Sir, the Kendriya Vidyalayas were established with a purpose to support the families of those employed under the Centre and States who are frequently bound to get transfers during the course of their employment. … (*Interruptions*) Until the last academic year, it was going on in a smooth manner for all the students. However, with the introduction of a new rule from March 2024 by the Education Department, the admission on transfers are allowed only if it is within the permissible upper limit. … (*Interruptions*) Earlier, the transfers were allowed over and above the sanctioned strength of each class. But with the imposition of the new rule, the children of para-military employees, Army personnel or any Government employees, are unable to get admission at the new place of posting. … (*Interruptions*) It is affecting the education of the children and also leading to mental agony among parents. I request the Government to reinstate the old policy. … (*Interruptions*)

Sir, the basic purpose of establishing KVs was to help the transferable Government employees to have a uniform school system and comfortable admission to their wards at the new place of posting. … (*Interruptions*) Therefore, this scheme should be completely withdrawn, and the old provisions of transfer policy should prevail. … (*Interruptions*)

I request the hon. Minister to have a lenient view on this and restore the old transfer policy immediately. Thank you. … (*Interruptions*)

DR. RANI SRIKUMAR (TENKASI): Sir, I wish to bring to your notice a matter of urgent importance related to Railways, which is pending for a long time in my Tenkasi Constituency and causing a great deal of suffering to the general public and residents of Sankarankovil. … (*Interruptions*)

Sir, Sankarankovil, located in my Constituency, which is popularly known as a Temple City is a Grade-1 Municipality and a developing city. … (*Interruptions*) There is a railway level crossing at the Sankarankovil-Rajapalayam State Highway, which is a nightmare for the people in that region as it creates frequent road blocks and traffic congestion every day. …

(*Interruptions*) There are 12 regular and four express trains which go this way every day. Additionally, there are four weekly trains that crosses this level crossing. … (*Interruptions*) Every two hours, a train cross from this level crossing because of which traffic gets choked for another half an hour every time. There are more than 50,000 vehicles of various types which cross this level crossing every day. There are four big schools in the surroundings, and around 5,000 students use this level crossing to go to their schools and get back to their homes again. … (*Interruptions*) There are Government employees working in the nearby Power Station, Block Development Office and private companies situated in the surroundings. … (*Interruptions*) Apart from this, there are small street vendors and farmers taking their vegetables and flowers to the nearby markets who suffer losses because of the waiting at this level crossing. … (*Interruptions*) Even the patients or the ambulances cannot cross this level crossing easily because of the traffic jam that happens every day. The senior citizens and children are the worst sufferers. … (*Interruptions*)

Therefore, I request the Union Government, through you, to take necessary steps immediately and construct a flyover at the Sankarankovil-Rajapalayam highway, engineering a special class level crossing number 472 at Sankarankovil, Tenkasi district. Thank you. … (*Interruptions*)

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल (खरगौन) : माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के खरगौन-बड़वानी जनजातीय लोक सभा से चुन कर आया हूं।…(व्यवधान) मैं खरगौन और बड़वानी जिले की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार माननीय सांसद के रूप में चुना है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।…(व्यवधान) मैं देश के जनजातीय समाज के 11 करोड़ लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को यहां रखना चाहता हूं।…(व्यवधान) सिकल सेल एनिमिया एक गंभीर बीमारी है, जो रक्त से जुड़ी हुई बीमारी है और यह कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है।…(व्यवधान) यह ब्लड की बीमारी है।…(व्यवधान) इससे हाथ पैर में दर्द, अपचन और भूख रहती है और रोगी को बार-बार रक्त भी चढ़ाया जाता है।…(व्यवधान)

(1230/KN/VR)

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि देश भर के साइंटिस्टों, वैज्ञानिकों के माध्यम से इस गंभीर सिकल सेल बीमारी का इलाज का रास्ता सुलभ करें। … (व्यवधान) यह आनुवांशिक बीमारी है, जिससे हमारे जनजातीय समाज का वर्चस्व भी खत्म हो रहा है।… (व्यवधान) इसलिए जनजातीय समाज को बचाने के लिए इसकी रिसर्च की जाए और इसका इलाज किया जाए।… (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करता हूं कि इस सिकल सेल एनीमिया को 'आयुष्मान कार्ड' की योजना में जोड़ा जाए... (व्यवधान) इसमें मिलने वाली जो पेंशन है, उसे 2500 रुपये कर दिया जाए, जिससे हमारे जनजातीय समाज को इसका लाभ मिल पाए... (व्यवधान) मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं... (व्यवधान)

1231 hours

(At this stage, S/Shri Harendra Singh Malik, Adv. Chandra Shekhar and some other hon. Members came and stood near the Table)

SHRI PARTHA BHOWMICK (BARRACKPUR): Thank you, Chairperson. I wish to bring to the kind attention of the hon. Minister of Culture, Government of India a very important issue. *....(Interruptions)*

Sir, the repertory grants given to many theatre groups in West Bengal have been stopped without assigning any satisfactory reason. *....(Interruptions)* These groups are doing excellent work in the field of theatre on a regular basis. *....(Interruptions)*

*Hon. Chairperson Sir, once Sri Ramkrishna Paramhansa Dev had said, "Theatre is the education for the masses". Listening to hundred speehes might not be able to achieve what one great theatre performance can do. It will be etched in the mind. Through you, I want to convey something to the hon. Minister. Meghnad Bhattacharya is a reputed actor and thespian working on the stage for the past the fifty years with his theatre group "Sayak". His grant has been discontinued without assigning any reasons to it. Through you, I want to bring this to the notice of hon. Minister that the salary grants have been decreased for the theatre groups of Rudraprasad Sengupta, Bibhas Chakraborty, and Bohurupee, which carries the legacy of its great pioneer Shambhu Mitra. This is a massive blow on Bengal's culture. It is my request to the hon. Minister that he should reconsider this move, at the same time he should not get provoked by anyone and should publish the original list in order to rectify this. Otherwise, the people of Bengal will be bound to draw parallels between this move and the deprivation of Bengal in MGNREGA and Awas Yogana. They will think that the Central Government is trying to commit an ethnocide by taking active steps to destroy Bengal's culture. I am repeatedly

* Original in Bengali

requesting the hon. Minister to at least once have a discourse with the Members of his party, who regularly watch theatre and reconsider your decision.

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।… (व्यवधान)

मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में गर्रा, खन्नौत, गंगा, बहगुल, रामगंगा, शारदा नहर बहती है।… (व्यवधान) इस बार जुलाई माह में विभिन्न बांधों से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण जनपद में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण काफी लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गये और उनकी फसल भी नष्ट हो गई।… (व्यवधान)

मैं सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में भीषण बाढ़ की आपदा में प्रशासन को युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए राहत बचाव कार्य के आदेश दिए।… (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में हमने प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करते हुए आपदा एवं बाढ़ पीड़ितों को बचाने हेतु सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, राहत सामग्री वितरण करने का आदेश दिया।… (व्यवधान)

मान्यवर, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ से हुई क्षति का एक केन्द्रीय टीम से आकलन करवाकर पीड़ितों को तुरन्त केन्द्रीय सहायता एवं आवास उपलब्ध करवाए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।… (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1235/VB/SAN)

श्री कुलदीप इंदौरा (गंगानगर) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।… (व्यवधान)

मेरे लोक सभा क्षेत्र में दूषित जल आ रहा है, इसके संबंध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वहाँ जो किसान हैं, आमजन हैं, वे दूषित पानी के कारण काफी पीड़ित हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुरा में आज भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूषित पानी की समस्या के कारण पिछले छ3 महीने से धरने पर बैठे हैं।… (व्यवधान)

मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पेयजल आ रहा है, वह तीन परियोजनाओं- भाखड़ा, गंग कैनाल और आईजीएनपी से आता है।… (व्यवधान) पहली बात तो यह है कि इन तीनों परियोजनाओं में 18 हजार क्यूसेक पानी चलनी चाहिए, जिसके स्थान पर केवल 10 हजार क्यूसेक पानी ही चलती है। गंग कैनाल, जो ढ़ाई हजार क्यूसेक की नहर है, वहाँ मात्र 1800 क्यूसेक पानी चल रहा है, वह भी दूषित पानी आ रहा है और पानी कम आ रहा है, जिसके कारण उससे सिंचाई का काम हो पा रहा है। दूषित पानी के कारण जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि दैनिक भाष्कर के द्वारा गुरुग्राम केयर लैब के द्वारा जाँच करवायी गई।… (व्यवधान) जाँच में पाया गया कि पानी में कैंसरजन्य तत्व तय मानक से ज्यादा खतरनाक

हैं। इस लैब के माध्यम से पता चला कि यहाँ गंदे पानी में एल्यूमिनियम 144 गुना अधिक है, लोहे की मात्रा 5 गुना अधिक है, इसी प्रकार से आयरन निकिल एवं अन्य प्रकार के तत्व भी मौजूद हैं, जो हमारे शरीर के लिए घातक हैं। मैंगनीज जो कैंसर और लीवर के रोगों एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण है, इससे तमाम लोग रोगग्रस्त हैं। इससे 15 जिले प्रभावित हैं एवं यहाँ के दो करोड़ लोग प्रभावित हैं।... (व्यवधान)

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसे गंभीरता से लें। उक्त पत्रिका के सर्वे के बाद यह रिपोर्ट उजागर हुई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे गंभीरता से लिया जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों का आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके।... (व्यवधान)

धन्यवाद।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर) : माननीय सभापति जी, वाघा बॉर्डर ट्रेड, जो बहुत पुराना ट्रेड है, यह अमृतसर से लगता है और यहाँ से पाकिस्तान के साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था।... (व्यवधान) लेकिन बालाकोट अटैक के बाद 200 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद उसको बंद कर दिया गया, जो वायबल नहीं रहा। यह पुरातन ट्रेड है।... (व्यवधान) सामाजिक और ऐतिहासिक तौर पर हमारी सभ्याचार एक है। यहाँ इम्पोर्ट के लिए लगभग 500 ट्रक्स डेली आते थे। लेकिन बालाकोट अटैक के बाद उसको बंद कर दिया गया।... (व्यवधान) इसके कारण लगभग 10 हजार लोग बेरोज़गार हो गए। हम एक तरफ तो इंडस्ट्रीज लगाने की बात करते हैं, रोज़गार देने की बात करते हैं, लेकिन जो रोज़गार था, उसको बंद कर दिया गया। जब वहाँ व्यापार बंद हुआ, तो बहुत से ट्रक वाले और वर्कशॉप वाले सारे बेरोज़गार हो गए।... (व्यवधान)

सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि वाघा बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। आईसीबी 120 एकड़ में बनी है। 13 अप्रैल, 2012 को इसका उद्घाटन हुआ था। अमृतसर और लाहौर का पुरातन रिश्ता है। ये व्यापार के केन्द्र रहे हैं। यहाँ से अफगानिस्तान और यूएई तक व्यापार होता था। बंगाल से लेकर यहाँ तक जो शेरशाह सूरी रोड बना है, वह यह दर्शाता है कि पुरातन समय में यह इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी।... (व्यवधान) लेकिन सरकार ने इसको बंद कर दिया। सन् 1962 और 1971 में भी जंग हुई थी, लेकिन तब भी यहाँ से व्यापार बंद नहीं हुआ था, वह तब भी शुरू रहा। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, हमें रोज़गार चाहिए, हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं नहीं। इसलिए वाघा बॉर्डर ट्रेड को शुरू किया जाए। सरकार इसका संज्ञान ले। यह 10 हजार लोगों के रोज़गार का सवाल है।... (व्यवधान)

SHRIMATI RACHNA BANERJEE (HOOGHLY): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak here today.

Sir, I rise today to draw the attention of this esteemed House to a grave issue that has been plaguing the people of my constituency, Hooghly. The relentless Ganga riverbank erosion in Balagarh region is causing severe distress and devastation to the lives and livelihoods of our citizens. …(*Interruptions*)

The Ganga River traverses through Hooghly District for approximately 78 kilometres, of which around 34 kilometres are urban and about 44 kilometres are rural. The rural stretch predominantly falls within the Balagarh Block. A more than two-kilometre stretch of the riverbank area from Guptipara Ferry Ghat onwards in Balagarh is experiencing rapid erosion, affecting nine Gram Panchayats. … (*Interruptions*)

(1240/SNT/PC)

In the rural areas, there are several char lands. Thousands of families are losing their homes, agricultural lands and access to basic amenities due to this relentless force of nature in this whole region. Lack of proper dredging has further aggravated the situation, leading to the formation of sand bars. These sand bars obstruct the natural flow of the Ganga River, causing erosion and further damage. … (*Interruptions*)

Chairman Sir, there is an urgent need for a comprehensive Balagarh Master Plan to undertake works to: (i) Commission a comprehensive study to evaluate the extent of erosion and understand the underlying causes and vulnerability zones; (ii) Construct and maintain robust embankments by reinforcing the vulnerable stretches; and (iii) Initiate timely dredging operations to maintain the river's depth, prevent sand bar formation, and stabilize the riverbanks. … (*Interruptions*)

I request the Government to protect our riverbanks, safeguard our communities, restore hope to the people of Balagarh, and ensure that their plight is alleviated through timely and effective action.

Thank you so much, Sir. … (*Interruptions*)

1242 hours

(At this stage, Adv. Chandra Shekhar, Shri Rajesh Ranjan *and some other hon. Members went back to their seats.)*

*SHRI GOPAL JEE THAKUR (DARBHANGA): Hon. Chairperson, Sir, this is one of the most important issues pertaining to the Mithila region. It has been under consideration for long to establish a Division Bench of the Patna High Court at an important centre of attraction in North Bihar-Darbhanga. The Government under the most popular leadership of the hon. Prime Minister Narendra Modi ji has sanctioned to set up an airport, AIIMS, IT Park, Super Specialty Hospital, first-class six-lane express way, ROB which were inevitably required for the

* Original in Maithili

northern Bihar. After Independence, the successive Governments of Shri Narendra Modi have provided the aforementioned facilities to us. Now an important demand for the entire Mithila region is for the establishment of a Division Bench of Patna High Court in Darbhanga to enable the 7-8 crore of people living in 22 districts doorstep delivery of justice. That is yet to be fulfilled. I humbly request the hon. Minister of Law and Justice to give instruction for taking necessary steps to sanction a Division Bench of Patna High Court at Darbhanga. Such steps will definitely increase facilitation of judicial work in Mithila region and also relieve the Patna High Court of its present workload. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Dr. Prashant Yadaorao Padole.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will call you. Three more speakers are there. After that, I will call you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Navaskani K.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Rajabhau Parag Prakash Waje.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Hon. Chairperson, Sir, I want to bring to your attention a long-pending demand for a local train service between Nashik road and Kasara and Kalyan stations.

The existing service till Kasara station is inadequate, causing hardships for thousands of daily commuters from Nashik to Mumbai. Despite a successful test run, the project was stalled, leaving the people of Nashik and Thane districts in the lurch. I request, through you, Sir, to investigate and identify the reasons for the delay in this project.

(1245/AK/CS)

I urge you to direct the Central Railway to commence this service as soon as possible by providing a timeline for completion. … (*Interruptions*) I would also request you to take immediate action to address the concerns of the people of Nashik, Mumbai and North Maharashtra. … (*Interruptions*) Thank you, Sir. … (*Interruptions*)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, कुछ माननीय सदस्य जो इस विषय को उठा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि इस संबंध में हमारे खेल मंत्री जी तीन बजे जवाब देंगे।... (व्यवधान) इस पर हमारे खेल मंत्री जी एक स्टेटमेंट देने वाले हैं।... (व्यवधान) कुछ माननीय सदस्य ओलंपिक से संबंधित जो विषय उठा रहे हैं, उस विषय पर ही तीन बजे खेल मंत्री जी एक स्टेटमेंट देने वाले हैं।... (व्यवधान)

1246 hours

(At this stage, Shri Anto Antony, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members came and stood near the Table)

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Shri Rahul Gandhi ji.

… (*Interruptions*)

1246 hours

(At this stage, Shri Anto Antony, Shri Rajesh Ranjan and some other hon. Members went back to their seats.)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record.

… (*Interruptions*) *… (Not recorded)*

HON. CHAIRPERSON: Shri Rahul Gandhi ji.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing is going on record. You can speak.

… (*Interruptions*) *… (Not recorded)*

HON. CHAIRPERSON: Let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Are you not going to allow him to speak about Wayanad? … (*Interruptions*) He is going to speak about Wayanad. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI): Sir, there has been a tragedy in Wayanad. … (*Interruptions*) I am absolutely amazed that they are not allowing us to give a statement on this. … (*Interruptions*)

Sir, thank you for permitting me. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have given a notice on Wayanad. Please speak only on Wayanad.

… (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI): I am speaking on Wayanad. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What is your problem? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rahul ji, you speak.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rahul ji, you speak.

… (*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI (RAEBARELI): Sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. … (*Interruptions*) I visited Wayanad with my sister some days back and I saw with my own eyes the devastation, the pain and the sufferings that resulted from this tragedy. … (*Interruptions*)

(1250/UB/IND)

Sir, thank you for permitting me to raise the issue of the tragedy in Wayanad.

I visited Wayanad with my sister some days ago and I saw with my own eyes the devastation, the pain, and the suffering that were resulted from this tragedy. Almost two kms of the hill had just collapsed and a river of stones and mud had come down. More than 200 people are dead and a vast number of people are missing. The eventual casualties are going to be 400 plus as it seems. I would like to commend the work of the Union and the State Governments, NDRF, SDRF, Army, Navy, Coastguard, district administration, Forest Department, Fire and Rescue Department, and the health personnel. An assistance was also given by States like Karnataka, Tamil Nadu and Telangana. It was also nice to see that all communities came together. Everybody came together to help the people. People from different ideologies and different communities came together and helped.

The landslides have cut vital routes and made it nearly impossible for the rescue teams to reach the affected area. This is a huge tragedy and a very concentrated tragedy took place in one specific area. So, I would urge the Union Government to give a comprehensive rehabilitation package for Wayanad, including for building disaster resilient infrastructure and help the affected communities. I would also like to urge the Union Government to enhance the compensation that people are getting. And finally, I would also like to urge the Government to declare the Wayanad landslides as a national disaster.

I saw it with my own eyes and I have seen many disasters. Many times, I have visited different places where the disasters have taken place but it was very, very sad to see here that in a number of cases, only one member of a family is left. Mother, father, grandmother and brother - everybody is dead, and there is only a person remaining. Sometimes, the person left is a child or an adult. It was a real tragedy to see that. I would like to thank the entire House for the support that everybody has given to the people of Wayanad.

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Bajrang Manohar Sonwane	Shrimati Supriya Sule Shri Navaskani K.
Dr. Shivaji Bandappa Kalge	Shri Navaskani K.
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	Shri Navaskani K.
Dr. Angomcha bimol akoijam	Shri Navaskani K.
Shri Anto Antony	Shri Navaskani K.
Shri Gaurav Gogoi	Shri Navaskani K.
Shri Yusuf Pathan	Shri Navaskani K.
Shri Bhartruhari Mahtab	Shri Sudheer Gupta Shri Navaskani K.
Shri Gajendra Singh Patel	Shri Sudheer Gupta
Shri Virendra Singh	Shri Navaskani K.
Shri Manish Tewari	Shri Navaskani K.
Shri M. K. Raghavan	Shri Navaskani K.
Dr. Rani Srikumar	Shri Navaskani K.
Shri Gurjeet Singh Aujla	Shri Navaskani K.
Shrimati Rachna Banerjee	Shri Navaskani K.
Shri Partha Bhowmick	Shri Navaskani K.
Shri Kuldeep Indora	Shri Navaskani K.
Shri Rahul Gandhi	shri Arvind Ganpat Sawant Shri Anil Yeshwant Desai

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1253 hours

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which the text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Need to declare Sunabeda in Kalahandi district of Odisha, a Tiger reserve forest

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I would like to request our Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change to declare and start Sunabeda as a Tiger Reserve Forest located in the Nuapada district of my constituency Kalahandi of Odisha. It covers an area of 1,004.31 sq kms. It features a mix of forests, including dry deciduous, moist deciduous, and tropical forests, with several water bodies and hills. The Sunabeda forest is home to Bengal tigers, Leopards, bears, Elephant, Sambar deer, Chousingha (four-horned antelope) and other species of flora and fauna. Once declared a reserve forest it should have anti-poaching camps and patrolling teams to preserve our wildlife and environment. It should have community outreach and habitat restoration programmes. The reserve forest should offer bird watching, trekking and eco lodges and guest houses. It would be a great tourist spot and would bring in huge amounts economically and help in the development of Nuapada district. It would generate revenue for the local tribal people while preserving our forest. Hoping our Hon'ble minister will declare it as a reserve soon and inaugurate it himself.

(ends)

Re: Need to amend the admission guidelines 2024-2025 of Kendriya Vidyalaya Sangathan

DR. BHOLA SINGH (BULANDSHAHR): The Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has issued new Admission Guidelines for the academic session 2024-25. In a move causing widespread concern among parents, the number of seats in Central Schools has been cut down. Earlier there were 40 seats per division, out of which 8 seats have been reduced now, citing revised admission criteria. The available seats have now been fixed at 32 per division. Now, securing admission has become a difficult task even for first category of Armed Forces and Paramilitary personnel who are facing a waiting list. Recent amendments to the transfer system have further complicated the challenges faced by the common people. Previously, parents relocating due to transfers could effortlessly enroll their children in Kendriya Vidyalaya schools at the new location, by providing the transfer certificate. However, with the revised system, the admissions are unattainable for children of parents employed in the Armed Forces and Paramilitary. I request the Hon’ble Minister of Education to amend the new admission guidelines 2024-25 so that wards of Armed Forces and Paramilitary personnel for whom the KVs were initially opened, may get admission by removing the ceiling of 32 seats per class and by allowing over and above the maximum seats per class.

(ends)

Re: Need to expedite establishment of Sainik School in Godda/Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): I wish to draw your kind attention to the backwardness of Santhal Pargana region in general and the area(s) of Godda and Deoghar, in particular which happens to be my Lok Sabha constituency. The overall condition of Education in this region is a subject-matter of utter neglect inspite of the fact that since time immemorial, the entire region was considered to be a harbinger of ancient education practices and dissemination of social norms and mores. There has been a vociferous demand of establishing a Sainik School in Godda/Deoghar so that this area could also share the pride of having quality education to their children. In February 2016, the then Hon'ble Defence Minister, visited my constituency and after acknowledging the backwardness of the region, he was kind to announce setting up of a Sainik School in Godda/Deoghar. Further, as a consequence to the said announcement, the Project for establishing a Sainik School was immediately sanctioned by the Ministry of Defence. However, it is a matter of concern that since then, more than five years have elapsed, but the entire Project has not witnessed any visible progress.

(ends)

Re: Establishment of airport in Maldaha Parliamentary Constituency

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मालदा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण शहर है जहाँ केन्द्र सरकार के कार्यालय रेलवे डिवीजन, बीएसएफ कैंप 2 केंद्र विद्यालय एनटीपीसी पावर ग्रिड के अलावा व्यापारिक गतिविधियाँ भी हैं। यहाँ के नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या वायु यातायात की है। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डे बागडोगरा और कोलकाता हैं। मालदा से बागडोगरा की दूरी 250 किमी तथा कोलकाता की दूरी 350 किमी है। देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी एक शहर से हवाई अड्डे इतनी दूरी पर हैं। इसके लिये इमरजेंसी सेवाओं मे चिकित्सा हेतु भी इसकी परम आवश्यकता है। अतः इन परिस्थितियों में मालदा मे हवाई परिवहन सेवा हेतु हवाई अड्डे का निर्माण आवश्यक है। इस हेतु मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पुराने हवाई अड्डे के नवीनीकरण से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अतः पुनः आपके माध्यम से मै मालदा को हवाई यातायात के नक्शे पर जोडने के लिये मै आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूँ।

(इति)

Re: Establishment of educational institutes for higher & professional education in Kushinagar Parliamentary Constituency

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : देश के अंतिम छोर पर बसा हमारा लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। आज मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को अवगत कराना चाहता हूँ कि कुशीनगर मे उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए संस्थानों की बहुत ही कमी है। कुशीनगर की धरती हमेशा से ही इस मामले मे पिछड़ा महसूस करता है। आज भी यहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों के तरफ ही जाते है | देश आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मंत्री जी के नेतृत्व मे शिक्षा मे क्षेत्र मे काफी आगे निकल चुका है। आज मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हमारे लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर मे भी IIM, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज व अन्य व्यवसायिक पढ़ाई के लिए कॉलेज की स्थापना की जाए।

(इति)

Re: Establishment of a Navodaya Vidyalaya in Mauganj district, Madhya Pradesh

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : रीवा जिले के सबसे पिछड़े भाग में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है। मऊगंज जिले की लगभग सम्पूर्ण आबादी सुदूर जंगली व पहाड़ी इलाके में रहती है। शिक्षा के लिए कोई श्रेष्ट विद्यालय नहीं है। मऊगंज जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। अत: आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने का कष्ट करे।

(इति)

Re: Need to take comprehensive measures to revive the traditional applique work (Chandua) of Pipili in Puri, Odisha

DR. SAMBIT PATRA (PURI): I request the Ministry of Textiles and Ministry of Culture to take urgent measures to revive the traditional appliqué work (Chandua) of Pipill, Puri. This includes financial support for artisans, creating new markets for their products, and launching initiatives to engage the younger generation in this craft, ensuring its sustainability and growth.

The village of Pipili in Puri Parliamentary constituency is renowned for its traditional appliqué work, known as Chandua, which has historical roots dating back to the 12th century and the culture of Lord Jagannath. This craft, essential to the town's economy, is globally recognized for its intricate designs and vibrant colours, significantly contributing to religious festivals such as the annual Rath Yatra.

Despite its historical and cultural significance, Pipili's applique work is now facing a crisis as the Artisans are struggling financially, and the youth are increasingly reluctant to continue this tradition due to limited income and market opportunities. The craft, which once brought global fame to Pipili, is on the brink of extinction.

To preserve this heritage, it is imperative to provide financial assistance to the artisans, develop new markets, and initiate programs that attract and engage young people in this craft By doing so, we can ensure that the legacy of Pipill's appliqué work continues to thrive and contribute to our cultural heritage.

(ends)

Re: Protection of crops from damage caused by Nilgai in Bihar

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : बिहार में घोड़परास या नीलगायों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने का इतिहास रहा है, जिससे फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंगा और गंडक बेसिन वाले कई जिलों में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बिहार में घोड़परास/नीलगाय सैकड़ों हजार किसानों के लिए खतरा बन गई है क्योंकि कोई भी निवारक उपाय काम नहीं कर रहा है। कटाई के लिए तैयार उपज वाले भूमि के बड़े हिस्से को नीलगायों के झुंड नष्ट कर देते हैं। किसानों के लिए अपनी पकती फसल को नीलगायों से बचाने के लिए रात भर बाहर बैठना बहुत मुश्किल है और ना ही किसी किसान को इसका कोई मुआवजा मिला है। मैं केंद्र सरकार से इस चिंताजनक स्थिति के ठोस समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं, जहां घोड़परास/नीलगाय बिहार के विभिन्न जिलों में फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं और गरीब किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं।

(इति)

Re: Need for construction of sea-wall along the East coast stretch from Ganjam to Balasore in Odisha

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Sagarmala Project, Government's flagship programme to develop and modernise ports and coastal highways, has been substantially contributing to the growth of Country's GDP. A global study has predicted that more than 200 kms of Odisha's coastline will face erosion by 2050 due to a significant decline in the flow of sediments and water volume in seven major rivers of Odisha. If this trend continues, six major coastal districts of Odisha are going to face problems of erosion. About 45 % of the 485 kms coastline will face erosion and 55 % may witness accretion by 2050. Hence, there is an urgent need for construction of sea wall along the East Coast stretch in Odisha from districts Ganjam to Balasore, which will not only protect the lives and livelihood of millions of fishing and other communities, but also protect the infrastructure based under Sagarmala Project. Further, the loss of livelihoods demands long-term climate resilient adoption strategies by constructing sea wall in the coastal stretch of Odisha. Also, for all round development of industrial clusters to protect the agriculture base of the coastal inhabitants and to develop the tourist spots along the coastal towns, construction of sea wall is the way forward. It will also act as convenient communication by reducing the distance from Ganjam to Balasore. (ends)

Re: Widening of Master Plan Road passing through Jaunapur-Madi area in South Delhi Parliamentary Constituency

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जौनापुर-माडी से गुजरने वाली मास्टर प्लान रोड को चौड़ा न करने में हजारों लोगों को प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड की चौड़ाई 30 फुट है और मास्टर प्लान 2021 में इसे 200 फुट चौड़ा करने का प्रावधान था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह रोड महरौली-गुडगाव रोड से होती हुई फरीदाबाद गुड़गांव रोड को जोड़ती है। इस रोड पर यातायात का दबाव बहुत ही ज्यादा है। ट्रैफिक की इतनी भीड़ के कारण यहां कई हादसे हो चुके हैं। लोगों को घटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। यहां तक कि ऐसी घटना भी हुई है कि एम्बुलेंस के जाम में फँसने के कारण मरीज की मौत हो गई।

इस रोड को चौड़ा करने के लिए उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली सरकार को कई बार निर्देश दिए है लेकिन दिल्ली सरकार इस सड़क की तरफ ध्यान नहीं दे रहीं। दस साल पहले जो सड़क बन जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं बनी है। मेरा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए वह दिल्ली सरकार से कोई सार्थक उपाय करने के लिए करें ताकि मास्टर प्लान के अनुसार इस रोड को चौड़ा किया जा सके।

(इति)

Re: Establishment of processing industries in Rajgarh Parliamentary Constituency based on crops produced in the region

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ अति पिछड़ा क्षेत्र था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी से आशान्वित जिले में सम्मिलित कर मोहनपुरा ,कुंडालिया तथा रेशई-पार्वती डैम के साथ ही पार्वती -कालीसिंध-चंबल सिंचाई लिंक परियोजना से क्षेत्र में 6 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित करने की दिशा में कदम बढ़ाये है,राष्ट्रीय राजमार्गो एवं रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन की सौगात देकर राजगढ़ संसदीय क्षेत्र को विकासशील क्षेत्र की दौड़ में सम्मिलित किया है। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन फसलो का उत्पादन हमारे राजगढ़, खिलचीपुर, ब्यावरा, सुसनेर, सारंगपुर, नरसिंहगढ़,चांचौड़ा एवं राघौगढ़ आदि स्थानो पर हो रहा है उनकी प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित कर औद्योगिक कॉरिडोर बनाने में सहयोग प्रदान करें।

(इति)

Re: Extension of electricity connection to villages under Lawalong Block in Chatra Parliamentary Constituency

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा झारखंड के लावा लौंग प्रखंड के लगभग 75 गांवों में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग बिजली कनेक्शन से वंचित है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर बिजली पहुंचाई जाए, लेकिन मेरे लोक सभा क्षेत्र के लावा लौंग प्रखंड में आज भी लोग बिजली की मूलभूत अधिकार से वंचित है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम तत्काल किया जाए जिससे इन गांवों की जनता को सुविधा हो और इनका विकास हो।

(इति)

Re: Need to establish an Agriculture College in Bolangir, Odisha

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Agriculture is the backbone of our economy, and Odisha is predominantly an agrarian state. However, the region of Bolangir lacks a dedicated institution for agricultural education and research. Establishing an Agriculture college in Bolangir would greatly benefit the local farming community, providing them with access to modern agricultural practices, technology, and expertise. This would lead to improved crop yields, better resource management, and increased farmers' income. The Agriculture college would offer undergraduate and postgraduate courses in agriculture and allied sciences, as well as conduct research in areas relevant to the region's agricultural challenges. Additionally, it would serve as a hub for extension services, transferring knowledge and technology to the farmers. I urge upon the Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare to establish an Agriculture college in Bolangir which would have a positive impact on the agricultural development and welfare of farmers of my Parliamentary constituency and the region as a whole.

(ends)

Re: Need to expedite construction of R.O.B. near Sandila Railway Station in Misrikh Parliamentary Constituency

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ.प्र.) के मुरादाबाद डिविजन के अंतर्गत संडीला रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे संपर्क संख्या-249 पर आरओबी का निर्माण कार्य हो रहा है। लेकिन निर्माण कंपनी का कार्य इतना धीमा है कि इसको पूरा करने में कई वर्ष लग जाएंगे आरओबी का कार्य तेजी से नहीं होने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा जाम की स्थिति बनी रहती है। स्कूल के बच्चों की बसें एवं एंबुलेंस की गाड़ियां भी फस जाती है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जनहित में संडीला रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे संपर्क संख्या- 249 पर आरओबी बनाने वाली कंपनी को रेलवे के उच्च अधिकारियों की निगरानी में कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाय।

(इति)

Re: Need to review the funnel height policy to enable redevelopment projects coming under Airport Funnel Zone

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मुंबई हवाई अड्डे के आसपास के फ़नल हाइट प्रतिबंधों के कारण विले पार्ले में हज़ारों इमारतों को प्रभावित करने वाले एक तात्कालिक मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। निवासियों से जब मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि कैसे इन प्रतिबंधों ने पुनर्विकास परियोजनाओं में मुश्किल खड़ी कर दी है, जिससे हजारों मुंबईकर असुरक्षित, पुराने ढांचे वाले घरों में रह रहे हैं। यहां की ज्यादातर बिल्डिंग ५० साल से ज्यादा पुरानी हैं। निवासी चाहते हैं कि फ़नल हाइट की पॉलिसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, साथ ही हाइ फ्रीक्वेंसी रिसीविंग स्टेशन का स्थानान्तर हो। उनकी ये भी मांग है कि ट्रांसफर ऑफ़ डेवलपमेंट राइट्स (TDR) के माध्यम से अतिरिक्त निर्माण अधिकार भी दिए जाएं ताकि परिसर का विकास हो। मेरा उड्डयन मंत्री जी से अनुरोध है कि उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों, मुंबई महानगरपालिका, MMRDA, इत्यादि संस्थानों और निवासियों के साथ जल्द एक समन्वय बैठक बुलाई जाए और इस समस्या का हल निकाला जाए।

(इति)

Re: Menace of stray dogs in Punjab

श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोज़पुर) : पंजाब राज्य में हिंसक कुत्तों का बड़ा आतंक है, कई ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसमें छोटे बच्चों को कुत्तों ने मार कर खा लिया है, ऐसी कई घटनाएं पंजाब में घटी हैं, जो दिल को दहला रही है। पशुओं पर क्रूरता कानून के अंतर्गत सरकार इन आवारा कुत्तो पर नियंत्रण लगाने में असमर्थ है, कई माताओं ने अपने नवजातों को खो दिया है जो बहुत ही पीड़ा दायक है। मैं स्वयं भी चाहता हूं कि पशुओं पर कोई भी क्रूरता ना हो लेकिन इस तरह के हिंसक प्पशुओं पर नियंत्रण किये जाने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए! अतः मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे किसी पशु पर कोई क्रूरता ना हो और मानव की रक्षा हो सके।

(इति)

Re: Need to provide a special package for Vilangad region in Vadakara Parliamentary Constituency, Kerala affected by landslides

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Many consecutive landslides occurred in Vilangad Panchayat of Vadakara Constituency on 30th June, 2024 affecting a large number of people living in the locality. The landslips have destroyed 15 bridges, including the recently constructed ones, in the village. Roads connected to these bridges are in a dilapidated state and over 800 persons affected by the landslip are now staying in various relief camps opened in Vanimel Panchayat. More camps are likely to be opened for the stay of people in other stranded villages. Many houses were washed away. Although the landslides were similar to what happened in Wayanad, the casualties were avoided because people were vigilant. Members of these stranded families in the upland area are solely depending on the supply of a help desk opened by the Panchayat authorities, which is finding it difficult to meet the requirements. Since the devastation caused by the landslide has affected the entire region, the rehabilitation process needs maximum support from the Central Government. Hence, I request the Union Government to announce a special package for the Vilangad region on an urgent priority basis.

(ends)

Re: Need to increase the number of minimum employment days in a financial year along with revision of working hours under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) plays a significant role in addressing the rural distress. But the wages paid under the scheme remains below the minimum wages in many states even after wage revision this year. Parliamentary Standing Committee had recommended to revise the wages according to the minimum wages. It is necessary to increase the minimum employment days in a financial year. The budget allocation for the scheme should be enhanced to meet these requirements. It is also to be noted that MGNREGS workers have been plagued with insensitive practices. According to the new geo-tagging feature, workers have to travel back to the spot where they started their work initially to mark their attendance. It is unjustifiable that the efficient workers who cover larger tracts of work to distant places are compelled upon to return to the starting point of work to capture their photo. This can be conducted at the finishing point of their work. The women workers are finding it difficult to take care of their children as they have to work till 5PM. If the working hour is fixed up to 4PM it would be convenient for them.

(ends)

Re: Need for construction of foot over-bridges and underpasses on National Highways 65 and 163 in Bhongir Parliamentary Constituency in Telangana

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): I would like to draw your attention to the disturbing surge in accidents and fatalities on National Highway 65 and National Highway 163 in Bhongir Parliamentary Constituency. Recent data reveals a serious concern: 25 lives lost at unmanned railway crossings, 50 accidents at Anantharam junction, and 15 pedestrians injured at Ramchandrapuram due to the absence of foot over bridges. India ranks first in road accident fatalities, a grim reminder of our nation's vulnerability, with an alarmingly high number of fatalities every year. I request the Honourable Minister of Road Transport and Highways to immediately commence the construction of 8 vehicular underpasses, 1 foot over bridge, and 1 service road on NATIONAL HIGHWAY 65 and NATIONAL HIGHWAY 163 to address the critical situation and if required, additional infrastructure improvements. Furthermore, I request prompt action to replicate this initiative on other highways across TELANGANA and the entire nation to prevent accidents, ensure road safety, and save precious lives. Additionally, I bring to your attention the pending compensation for land holders of Malkapuram Andolmaisamma temple in Choutuppal, and request that the compensation amount be released at the earliest.

(ends)

Re: Power situation in Lalganj parliamentary Constituency and also non-payment of wages under MGNREGS in a time-bound manner to labourers

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज में इस समय धान की रोपाई चल रही है और बहुत से खेतों में रोपाई चल रही है परंतु कई नहरों में पानी नहीं आ रहा है जिससे बहुत कठिनाई हो रही है किसान बेहाल है एक तरफ जहां नहरों में पानी नहीं आ रहा है वहीं दूसरी तरफ बिजली की कटौती जबरदस्त चल रही है और ट्रांसफार्मर आये दिन जल रहा है। ट्रांसफार्मर की सप्लाई करने वाली कम्पनी बहुत ही खराब क्वालिटी के ट्रांसफार्मर की सप्लाई कर रही है जिससे आये दिन ट्रांसफार्मर जल रहा है साथ ही मनरेगा जाब कार्ड धारकों को उनकी मजदूरी समय पर नहीं दी जा रही है, जबकि नियम कहता है कि उनकी मजदूरी हर महीने की मिल जाए। परंतु तीन महीने चार महीने तक भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के जाबकार्ड धारकों में काफी निराशा रहती है साथ ही मनरेगा मजदुरी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम है मात्र 237 रूपए हैं जो कि बहुत ही कम है वहीं अन्य प्रदेशों में मजदूरी बहुत ज्यादा है देश में सबसे ज्यादा जाबकार्ड धारक हमारे उत्तर प्रदेश में ही है परंतु मजदूरी बहुत ही कम है। (इति)

Re: Need to run intercity train from Dohrighat in Mau district to Allahabad in Uttar Pradesh and also run trains from Mau to Mumbai, Chennai and Bengaluru and increase the frequency of Mau – Delhi railway service

श्री राजीव राय (घोसी) : मऊ ज़िले में रेल यातायात सुविधा को और सुदृढ़ करने के विषय में मैं आज एक बहुत ही बुनियादी विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मऊ जिले की geographical संरचना ऐसी है कि मऊ अपने ज़िले के एक छोर पर स्थित है। यहाँ की मुख्य आबादी वाली जगह को दोहरी घाट के नाम से जाना जाता है जो कि मऊ से करीब 40 -50 km दूर स्थित है। जो भी Train उपलब्ध है, वो मऊ से है। जिसके कारण वहां के लोगों को Train पकड़ने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। मेरा रेल मंत्री से निवेदन है कि मऊ के लिए Train का संञ्चालन दोहरी घाट से किया जाए। मऊ जिले के बहुत सारे युवा वर्ग के लोग Allahabad University में पढाई करते हैं और competitive परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है है कि मऊ से Allahabad की रेल connectivity अच्छी नहीं है। Direct Train निमित मात्र है। इससे विद्यार्थिओं और जन समान्य को Allahabad पहुंचने में बहुत असुविधा होती है। मेरी सरकार से मांग है कि daily basis पर सुबह और शाम में मऊ (दोहरी घाट) से Allahabad तक Inter-City एक्सप्रेस Train चलाई जाए। इससे छात्रों को और आम नागरिक को बहुत सुविधा होगी। मऊ और आस पास के ज़िले बुनकर बहुल क्षेत्र है। ज्यादातर बुनकर समाज के लोगों का व्यवसायिक सम्बन्ध Mumbai, Bengaluru और Tamil Nadu से है। अक्सर व्यापार के कारण बुनकरों को Mumbai, Bengaluru और Tamil Nadu तक यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन मऊ की Bengaluru और Chennai से कोई direct train connectivity नहीं है। इसके कारण बुनकर क्षेत्र के जुड़े व्यापारियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। मुंबई से मऊ को जोड़ने के लिए कोई सुपरफास्ट ट्रैन नहीं है। एक-दो रेल गाड़ी जो है वो भी प्रतिदिन नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मुंबई से मऊ के बीच regular ट्रैन की व्यवस्था की जाय और सप्ताह में कम से कम दो दिन चेन्नई और बेंगलुरु के लिए सुपर फास्ट ट्रेन दी जाय।

इसके अलावा वर्त्तमान में मऊ से दिल्ली (आनंद विहार) की Train सप्ताह में दो दिन ही चलती है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन हैं की इस Train को प्रति दिन कर दिए जाय। (इति)

Re: Need to increase allocation for Bengal Chemicals and Pharmaceutical works and Bengal Immunity in West Bengal

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Bengal Chemicals & Pharmaceutical Works was established in Kolkata, West Bengal by Prafulla Chandra Ray. The company was nationalized by the Govt. of India in 1980 and has been functioning as a CPSU under the Ministry of Chemicals & Fertilizers. Since that time, it has got works in Panihati in my constituency. Bengal Immunity was another company set up with its main factory in Baranagar in Dum Dum Parliamentary constituency. It has been lying closed for a long time due to a High Court injunction. Its management was handed over to Bengal Chemicals. Now, in this year’s budget, a meager allocation has been given to both Bengal Chemicals and Bengal Immunity. With this allocation, neither can Bengal Chemicals function nor can Bengal Immunity be opened. I demand that the allocation for both of these companies be increased substantially.

(ends)

Re: Need to allocate funds for reconstruction of road from Dakshin Barasat Railway Station PWD road to Dhrubchand Haldar College in West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to draw the kind attention of the Hon’ble Minister of Railways to the issue that I spent more than Rs. 30 Lakh from my MPLAD Fund for construction of a black top road from Dakshin Barasat Railway station PWD road to Dhrubchand Halder College in the year 2017-18. The road has become dilapidated in regard to its present condition and one of the main reasons is two big water bodies adjacent to this road which are also the property of Railways and this particular road falls under the jurisdiction of railways. I would like to request the Hon’ble Minister of Railways to kindly allocate funds for reconstruction of the said road and include the said particular road in the railway maintenance map.

(ends)

Re: Need to provide stoppage of train No. 13151/52 at Paraiya Railway Station and extend the train No. 12836 up to Gaya in Bihar

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : गाड़ी संख्या 13151/52 सियालदाह जम्मूतवी एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या 13009/10 हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस दोनो ही महत्वपूर्ण स्थानो को जोड़ती है, इस मार्ग पर परैया नामक स्टेशन है, जिस पर ठहराव के लिए स्थानीय नागरिको, सामाजिक संस्थाओं द्वारा वर्षों से मांग की जा रही है। यहाँ के यात्रियों को जम्मू, कोलकाता तथा हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी दूर से पकड़नी पड़ती है, जिससे उनको काफी परेशानी हो रही है।

इसी तरह गाड़ी संख्या 12835 हटिया से चलकर बैगलुरु जाती है, और गाड़ी संख्या 12836 जो बैंगलुरु से चलकर हटिया आती है। इस गाड़ी का हटिया से आगे गया तक विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि गया तथा तिरुपति बालाजी दोनो ही बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिनका आपस में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है जो आसानी से आपस में जुड़ सकेंगा और दूसरा कारण यह है कि गया व उसके आसपास के हजारो की संख्या में श्रमिक व कर्मचारी बैंगलुरु तथा उसके आसपास के क्षेत्रो में रोजगार कर रहे है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त तीनो मांगो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to establish an AIIMS in Bagpat Parliamentary Constituency

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बागपत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर है। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को उचित और समय पर चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यहाँ तक कि मामूली बीमारियों के लिए भी लोगों को मेरठ, दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व में भी कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बागपत में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण जनता को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्थिति और भी अधिक विकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद दयनीय हैं, और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इसलिए, मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ कि बागपत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाए जाएँ। विशेष रूप से, हमारे क्षेत्र में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना की जाए। AIIMS जैसी प्रतिष्ठित संस्था का होना न केवल हमारे क्षेत्र के नागरिकों को उत्तम चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेगा, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक वरदान सिद्ध होगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर शीघ्रता से विचार करेगी और बागपत के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

(इति)

Re: Payment of crop insurance claims of farmers of Churu, Hanumangarh, Sikar & Nagaur in Rajasthan

श्री अमरा राम (सीकर) : राजस्थान में चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, नागौर में फसल बीमा क्लेम बकाया वर्ष 2021, 2022, 2023 रबी व खरीफ दोनों फसलों का क्लेम कंपनी द्वारा किसानों को देना बकाया है। उनकी तहसील वाइज सूची देने का कष्ट करें तथा भुगतान करवाने हेतु इन जिलों में जिन किसानों का पटवार हल्का बैंक या कंपनी ने बदल दिया जबकि उक्त हल्के में क्लेम कितने किसानों को मिल गया था व कितने किसानों का बकाया है । जिन किसानों का प्रीमियम बैंक द्वारा कंपनी को नहीं भेजा गया था उन कंपनियों द्वारा एतराज करके क्लेम देने में देरी भी हुई है। उनका भुगतान ब्याज सहित करवाने हेतु तथा फसल बीमा को स्वैच्छिक किया है उस आदेश को बदला जावे जो किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं वह बैंक में लिखकर दे उन्हीं किसानों का प्रीमियम काटा जाए।

(इति)

Re: Establishment of Kendriya Vidyalaya in Nagaur Parliamentary Constituency

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बागपत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर है। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को उचित और समय पर चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। यहाँ तक कि मामूली बीमारियों के लिए भी लोगों को मेरठ, दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व में भी कई सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बागपत में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण जनता को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्थिति और भी अधिक विकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ बेहद दयनीय हैं, और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इसलिए, मैं पुनः सरकार से आग्रह करता हूँ कि बागपत में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाए जाएँ। विशेष रूप से, हमारे क्षेत्र में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना की जाए। AIIMS जैसी प्रतिष्ठित संस्था का होना न केवल हमारे क्षेत्र के नागरिकों को उत्तम चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेगा, बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी एक वरदान सिद्ध होगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर शीघ्रता से विचार करेगी और बागपत के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।

(इति)

Re: Need to take measures to increase the height of platforms of railway stations in Thoothukkudi Parliamentary Constituency through which Pearl City Express is enrouted

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): The platforms at railway stations in my Thoothukkudi Parliamentary constituency have not been modified with respect to the upgraded broad-gauge lines.

I have already raised the demand through letters for increasing the heights and extension of platforms in many stations of my constituency. Still, some of them are pending. The platforms at Kovilpatti, Kadambur, Maniyachi, Tuti Melur, Thoothukkudi, Kayalpattinam, Nazareth and Thathankulam railway stations have not been modified.

It is creating a lot of inconvenience and safety issues for passengers while boarding and deboarding, especially the elderly and differently-abled persons. Even recently the passengers travelling in the Pearl City Express faced issues in safe boarding and deboarding at the Thoothukkudi railway station.

Therefore, I request you to take measures to increase the platform height in the Kovilpatti, Kadambur, Maniyachi, Tuti Melur, and Thoothukkudi railway station through which the Pearl City Express passes. I would also request you to sanction for the extension and raising of platforms in Nazareth and Thathankulam railway stations respectively.

(ends)

FINANCE BILL (No. 2) 2024 – contd.

HON. CHAIRPERSON (SHRI P.C. MOHAN): Shri Jagdambika Pal.

1254 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2024-25 के फाइनेंस बिल के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं कल से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की बात फाइनेंस बिल के संबंध में सुन रहा हूं। मैंने देखा कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी फाइनेंस बिल पर कम बोल रहे थे और राजनीति ज्यादा कर रहे थे। जब हम बजट पारित कर चुके हैं, विनियोग विधेयक को पारित कर चुके हैं और वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि हमारा बजट में 9 प्राथमिकताएं होंगी।

(1255/RV/SRG)

माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस देश में चार वर्ग हैं, चार जातियां हैं – युवा, महिला, किसान, और गरीब। इन चार वर्गों के लिए नौ प्राथमिकताएं तय की गयीं, जो एक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में उस यात्रा को तेज करेंगी। आखिर, इस फाइनैंस बिल से हम बजट के संबंध में क्या उपाय करेंगे?… (व्यवधान) इस फाइनैंस बिल से हमने जो बजट प्रस्तुत किया है, उससे 'विकसित भारत' की 9 प्राथमिकताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे टैक्स को सिम्प्लीफाई करना, जो टैक्सपेयर्स हैं, उनकी सर्विसेज़ में सुधार करना इत्यादि हैं।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I request the hon. Members to please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदय, यहां वरिष्ठ नेतागण हैं, सांसद हैं। यहां गौरव गोगोई जी, सुदीप दादा हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा। माननीय सांसद यहां खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं।… (व्यवधान) सुरेश जी इतने सीनियर हैं।… (व्यवधान)

वे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं।… (व्यवधान) पर, आप देखिए कि वहां क्या चल रहा है।… (व्यवधान) मेरी दरख्वास्त है कि वरिष्ठ नेतागण अपने सांसदों को कम से कम यह बताएं कि पार्लियामेंट में किस तरह से बिहैव करना है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Suresh ji, please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Gogoi Ji, please ask your colleagues to sit down.

… (*Interruptions*)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मान्यवर, यह उनकी आदत है कि वे बोलते हैं और बोल कर चले जाते हैं। एक नयी परम्परा शुरू हुई है कि उनके बोलने के बाद उनके प्रश्नों या उनके ही बिन्दुओं का जवाब देने के लिए जब माननीय प्रधान मंत्री जी खड़े होते हैं तो ये लोग 'वेल' में आकर दो घंटे तक नारे लगाते हैं। इस तरीके की संसदीय परम्परा, जो राहुल गांधी के एल.ओ.पी. बनने पर हुई है, यह शायद हमारी संसदीय परम्परा और प्रणाली पर एक कुठाराघात है और यह देश को शर्मसार करने वाली घटना है।… (व्यवधान) जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी के बोलने पर हस्तक्षेप किया गया, यह ठीक नहीं है।… (व्यवधान) इस सदन का एक डिकोरम रहा है, यह देश का सर्वोच्च सदन है।… (व्यवधान) अभी जैसा कि हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा, इस तरह की परम्परा नहीं होती है। वे उप नेता हैं। मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि अभी फाइनैंस बिल पर चर्चा हो रही है, इसमें सभी लोग भाग लें।… (व्यवधान)

मान्यवर, जैसा कि मैं कह रहा था, इस फाइनैंस बिल का मकसद केवल यह है कि हमने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें 9 प्राथमिकताओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। 'विकसित भारत' का संकल्प माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार का एक संकल्प है। इसको प्राप्त करने के लिए हम इस फाइनैंस बिल के माध्यम से काम कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, टैक्स का सिम्प्लीफिकेशन किस तरीके से होगा, टैक्सपेयर्स की सर्विसेज़ में किस तरीके से सुधार होगा, जो अनावश्यक लिटीगेशन्स होते हैं, उनको कैसे कम किया जाए, इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह कितना बड़ा अचीवमेंट है कि आज जब हम सिम्प्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेज़ की बात करते हैं तो आज जब इस फाइनैंस बिल पर चर्चा हो रही है तो इसमें जो टैक्सेशन सिस्टम की रूपरेखा है, तो वर्ष 2022-23 में जो टैक्सेशन सिस्टम था, उसकी तुलना में यह बजट टैक्सेशन सिस्टम को 58 प्रतिशत सिम्प्लीफाई करेगा, जो अपने आप में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा कि 58 प्रतिशत का सिम्प्लीफिकेशन होने जा रहा है।

(1300/GG/RCP)

यह जो वर्ष 2022-23 के कॉर्पोरेट टैक्स का सरलीकरण हो रहा है, यह उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में, दो तिहाई से अधिक जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए नई पर्सनल टैक्स की जो स्कीम आई है, उसका विकल्प चुना था। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में, जो भारत का एक वित्तीय परिदृश्य है, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण बदलाव भी पेश किए गए हैं।

1301 बजे (श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं)

इसमें प्रमुख रूप से जो हाइलाइट्स हैं, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टैक्स स्लैब में संशोधन किया गया है। यह शायद पहली बार हुआ होगा कि आज इस बजट में और वर्ष 2024-25 के इस फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, देश के वेतनभोगी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए जो नई कर व्यवस्था लागू की गई है या उसकी जो संरचना हुई है, उसको संशोधित किया गया है। अब सभी वेतनभोगी, हमारे जो देश के कर्मचारी हैं, उनको 17,500 रुपये का लाभ होगा। यह अपने आप में निश्चित तौर से एक बड़ा कदम है, जो सरकार ने उठाया है। इस संशोधन का उद्देश्य है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कर प्रणाली को उपयोगी बनाया जाए, उनके अनुकूल बनाया जाए और उसका अनुपालन कर के करदाताओं पर वित्तीय बोझ कम किया जाए, इस तरीके की रचना की गई है और यही इसके अमेंडमेंट में है। इससे उद्देश्य का परिणाम होगा कि व्यवस्था भी सरल होगी। जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके साथ पेंशनभोगियों को भी काफी राहत दी गई है, जिसको मैं अभी आपसे कहूंगा। इस तरीके से डिस्पोजल आय वालों को भी बढ़ाना। देश की समग्र आर्थिक इकाई को भी लाभ पहुंचा है। मैं इसमें आपसे कहना चाहता हूँ कि जो वर्ष 2024-25 का हमारा फाइनेंस बिल है, इसमें सबसे पहला बिंदु टैक्स रिफॉर्म है, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर इन्फ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं। टैक्सेशन में किस तरह की ट्रांसपेरेंसी हो या हमारे टैक्स के स्ट्रक्चर में एक ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था हो। जितनी भी सोशल वैलफेयर की स्कीम्स हैं, चाहे वह हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारे पैरामीटर्स पर हम काम करेंगे। इस संबंध में हमने जो प्रयास किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

महोदय, जब कल हमारे निशिकांत जी बोल रहे थे, तो उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री का नाम ले लिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि सच्चाई क्या है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सैक्शन 56(2) में किस सन् में एंजिल टैक्स लगा और उस एंजिल टैक्स का क्या परिणाम हुआ? उस परिणाम पर सरकार ने फिर क्या कदम उठाए थे? इसकी चर्चा तो सदन में होगी। आज प्रधान मंत्री जी ने यह ऐतिहासिक फैसला किया है, एंजिल टैक्स को खत्म नहीं किया है, देश के युवाओं के स्टार्ट-अप, एम्पलॉयमेंट, निवेश को बड़ी राहत मिली है और देश को फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स, 1961 के सैक्शन 56(2) में, वर्ष 2012 में जब उनकी सरकार थी, उस समय कौन वित्त मंत्री था, मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय एक एंजिल टैक्स लगाया गया कि अगर कोई युवा स्टार्ट-अप शुरू करेगा, कोई युवा उद्यमी निवेश करेगा, तो वह मार्केट से, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से या बैंक से स्टार्ट-अप के लिए अगर पूंजी लेगा, तो उसको एंजिल टैक्स 30 पर्सेंट देना पड़ेगा। उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरे देश की एमएसएमई सैक्टर क्राइसिस में आ गई। कोविड के दौरान

जब पूरी दुनिया क्राइसिस से जूझ रही थी, दुनिया के सामने ब्रेड एण्ड बटर का संकट हो गया था, उस समय भी हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट्स को तीन लाख करोड़ रुपये की सहायता की थी। आज उसी का नतीजा है कि एमएसएमई सैक्टर रिवाइव हो गया है और एमएसएमई सैक्टर आज देश के लोगों को रोज़गार दे रहा है। एमएसएमई का कोई व्यक्ति, कोई युवा, कोई नौजवान जब वह रिबेट लेता है, तब वह अपने प्रोजेक्ट का एक डीपीआर बनाता है।

(1305/MY/PS)

अब उसने उसके अगेन्स्ट बैंक या कहीं मार्केट से लोन लिया, अगर उस पर 30 परसेंट का टैक्स एंजेल टैक्स के रूप में कट जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। हमारे, आपके या प्रतिपक्ष के क्षेत्र में भी रोज ऐसा होता है कि हमने इतने करोड़ रुपये की पूंजी ली थी। हमने राइस मिल खड़ी कर दी। अब राइस मिल का काम पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि 30 परसेंट एंजेल टैक्स दे दिया। अब अगर उसने घर की पूंजी लगा कर राइस मिल लगा दी, तो उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, ताकि वह किसानों से धान खरीद सके और फिर चावल बना कर बेच सके। अब एक नौजवान ने लोन ले लिया। बैंक का ईएमआई चलने लगा। उसके एंजेल टैक्स के कारण वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। आज तक यह एंजेल टैक्स नहीं हटा। इस देश के युवा उद्यमियों का स्टार्टअप सफल होगा और उनको कैपिटल भी मिलेगा। अब उनका प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। आज इस एंजेल टैक्स को समाप्त करने से यह लाभ हुआ है। यह स्वाभाविक है कि आज इतना बड़ा कदम उठाया गया है, उस एंजेल टैक्स पर भी बात की जा रही है। उस पर 30 परसेंट लग रहा है। यह किसी भी स्टार्टअप के लिए ठीक नहीं था।

आज हमारी सरकार ने कहा कि हम थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे। क्या थर्ड इकोनॉमी अपने-आप बनती है? 10 साल पहले हम दुनिया के 11वें पायदान पर खड़े थे। आज उस अर्थव्यवस्था में 10 वर्षों में कोविड की क्राइसिस भी आई। जब सारी जगह निवेश घटने लगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अमर सिंह जी थे, वह हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि एफडीआई नहीं आ रही है। एफडीआई डिक्रीज हो रही है। एफडीआई का निवेश नहीं हो रहा है। इस पर मैं आगे बताऊंगा। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की हमारी बहन ने कहा, आज एफडीआई आती है, आज जिस तरीके से उस क्राइसिस के बाद हम11वें पायदान से पाँचवे पायदान पर पहुंचे हैं। आज अगर दुनिया की टॉप फाइव इकोनॉमी बनी है, जिस समय वर्ष 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इसी पार्लियामेंट में डिसकस होता था, हम लोग सदस्य थे, कि आज भारत की टॉप फाइव फ्रेजाइल इकोनॉमी की चर्चा होती है। भारत की इकोनॉमी टॉप में नहीं, बल्कि फ्रेजाइल है, मतलब चरमराती हुई, टूटती हुई अर्थव्यवस्था थी। यहां के जिन लोगों ने अपनी पूंजी निवेश कर रखी थी, उन्होंने भी विदड्रॉ कर लिया।... (व्यवधान)

सभापति जी, अभी तो मेरी बात शुरू हुई है। आप कृपा कीजिए। वह टॉप फाइव फ्रेजाइल से टॉप फाइव इकोनॉमी में आया है। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार के प्रयास को बधाई दूंगा। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। वर्ष 2027 में हम इसको दुनिया की टॉप थर्ड इकोनॉमी बनाएंगे। इसी तरह के फैसलों से जब हम टैक्स रिफॉर्म्स से लेकर एंजेल टैक्स को खत्म कर रहे हैं, उसी तरीके से बनाएंगे।

मैं आपसे कहना चाहता हूं। Dr. Amar Singh talked about FDI. He said, 'FDI in India is low in the last few years'. But what about the actual figures of FDI? I want to show the figures.

सभापति जी, आप देखें कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक एफडीआई कितना था, तो भारत में 408.79 बिलियन डॉलर था, जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक हमारे पास 408.79 बिलियन डॉलर एफडीआई था। आज नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में 408.79 बिलियन डॉलर से बढ़कर 667.41 बिलियन डॉलर हो गया है। यह हमारे देश की एफडीआई है। एफडीआई के विषय में जिस तरीके से बात आ रही है, उसके संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं कि एफडीआई किस तरीके से आ रही है। जब कोविड था, उस समय भी जब पूरी दुनिया में एफडीआई कम हो रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में उस समय भी 13 परसेंट था। आप याद कीजिए कि जब चाइना के वुहान से कोविड के वायरस ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था, उस समय लोग चाइना से निकलने लगे थे। तब उन्होंने जापान को नहीं चुना, कोरिया को नहीं चुना, यूरोप को नहीं चुना। सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आने लगा। उस समय भारत में यह रिकॉर्ड है कि 13 परसेंट एफडीआई आया। चाइना में केवल चार परसेंट, इंग्लैंड में 100 परसेंट एफडीआई कम हुआ। यह स्थिति एफडीआई की थी।

आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स में विश्वास है। दावोस के आर्थिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निवेश के लिए सबसे सुरक्षित है। भारत में सुरक्षा भी है। भारत में निवेश करने का अवसर भी है। आज पूरी दुनिया के लोगों को विश्वास हुआ है। आज उसी कारण दुनिया में एफडीआई का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन भारत बना है। यहां नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है।... (व्यवधान)

महोदया, मुझे और पाँच मिनट का समय दे दीजिए। आज आप देखें कि हमने टीडीएस में किस तरीके से कम किया है। मैं दो ही बिंदू कहूंगा। मैं पूरे फाइनेंस बिल पर नहीं कहूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं कि आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। अभी तक इंश्योरेंस, लॉटरी और हाउस रेंट पर ऑनलाइन खरीदारी होती थी। पहले टीडीएस पाँच परसेंट कटता था।

(1310/CP/SMN)

इसमें एक बहुत बड़ा एक बैरियर था। मैं जल्दी-जल्दी कह देता हूं कि टीडीएस में, सैक्शन 194 डी में, payment of insurance commission in case of other than company जो आज तक 5 पर्सेंट टीडीएस कट रहा था, उसको इस बार 2 पर्सेंट किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई दूंगा।

सैक्शन 194 डी(ए) में, payment in respect of Life Insurance Policy. We are all affected. We are all related to the Life Insurance Policy. इसका 5 पर्सेंट टीडीएस था, वह 2 पर्सेंट हो गया, मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। On commission on sale of lottery ticket, इसके लिए भी 5 पर्सेंट टीडीएस था, वह 2 पर्सेंट हो गया है। Section 194H - Payment of commission on brokerage यह भी 5 पर्सेंट था। Payment of rent by certain individuals or Hindu Undivided Family इस पर भी 5 पर्सेंट टीडीएस था, जो अब 2 पर्सेंट हो गया है। Payment of certain sums by certain individuals or Hindu Undivided Family यह भी 5 पर्सेंट से 2 पर्सेंट हुआ। सबसे महत्वपूर्ण सैक्शन 194 (ओ) में अमेंडमेंट हुआ है। 194-O – Payment of certain sums by e-commerce operator हम कहीं से खाना मंगाते थे, तो उस पर भी हमारा 1 पर्सेंट टीडीएस कटता था। आम कॉमन मैन को, घरों में चाहे फ्लिपकार्ट को, एमेजॉन को या कहीं से कोई सामान या खाना मंगा रहे हैं, उस पर अभी तक 1 पर्सेंट टीडीएस कटता था। इसे 1 पर्सेंट से घटाकर 0.1 पर्सेंट किया गया है। निश्चित तौर से इससे देश के आम उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

मैं पेंशन के संबंध में कहना चाहता हूं। अभी तक पेंशनर्स के लिए 10 पर्सेंट डिडक्शन का प्रोविजन था। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। अब वर्ष 2024 के बजट में इसको बढ़ाकर 14 पर्सेंट कर दिया गया है। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को एक बड़ा निवेश मिलेगा, उनकी सुरक्षा बढ़ेगी।

मैडम, आप इस पर मेरी बात सुन लीजिए। Now, there is an increase in deduction on employer contribution to pension scheme. Section 80CCD provides a deduction for the employers' contribution to the pension scheme upto 10 per cent. Budget 2024 has now increased the deduction limit to 10 to 14 per cent of the salary of an employee during

the previous year. In the same way, on STT on futures and options, there is a tax. Then, there is reporting of ITR. मैं आखिरी बात कहकर खत्म कर रहा हूं। मुझे कहा गया था कि आधा घंटा मिलेगा, अभी तो शायद 7-8 मिनट हुए होंगे। मैं फॉरेन कंपनीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्यों इनवेस्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि यहाँ सिंगल विंडो नहीं है। भारत के तमाम रूल्स, एंड रेग्युलेशंस हैं। इसके लिए भी मैं बधाई दूँगा कि इस तरह के तमाम रूल्स एंड रेग्युलेशंस को खत्म किया है। आज फॉरेन इंवेस्टमेंट के लिए जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनकी नेट इंकम, उनके प्रॉफिट पर जिस तरीके का टैक्स लगता था, उसको भी 40 परसेंट से घटाकर 35 परसेंट किया है। जिसके कारण इतना बड़ा निवेश बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में भारत से ज्यादा कहीं निवेश नहीं होगा। आप इसका समर्थन करें। आज यह फाइनेंस बिल जिस तरीके से आया है, इस फाइनेंस बिल पर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत निश्चित तौर से, चाहे अपने टैक्स सिंपलीफिकेशन से और तमाम काम उन्होंने किए हैं, उससे बहुत लाभ होगा।

मैं कैपिटल गेन की बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लांग टर्म कैपिटल गेन हुआ और लांग टर्म कैपिटल गेन में जो सिक्योरिटी बांड है या जो म्युचुअल फंड है, उनकी जो सिक्योरिटीज की प्रतिभूतियाँ थीं, अभी तक उनकी होल्डिंग कैपेसिटी केवल 12 महीने की थी। उनको 12 महीने के बाद रिनुअल करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर इसे 2 साल कर दिया है। उससे लांग टर्म कैपिटल गेन में उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को इससे लाभ होगा कि अब जो लांग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें 1 लाख रुपये की जगह पर 1.25 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। जो पहले 10 परसेंट टैक्स था, उसको 12.5 परसेंट किया, यह इसलिए संभव हो पाया है कि आज प्रधानमंत्री चाहते हैं आधुनिक विकसित सोच का भारत बने। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। आज ये सारी चीजें हमें मिली हैं, इसलिए कि डिजिटल ट्रांसफर्स हो रहा है। डिजिटल माध्यम से इन कामों को हम कर रहे हैं, पहले ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, वह भी पैसा लेता था और सारी चीजें लेता था, चाहे एलआईसी हो, शेयर मार्केट हो, एसबीआई हो। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1315/NK/SM)

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदय, जब से पार्लियामंट का सेशन शुरू हुआ है तब से मैं जीरो ऑवर के लिए नोटिस लगा रहा हूं लेकिन आज मुझे बोलने का मौका मिला है।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यह जीरो ऑवर नहीं है, फाइनेंस बिल पर चर्चा है।

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदय, मैं जानता हूं, फाइनेंस बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं यह बता रहा हूं कि जीरो ऑवर के लिए रोज नोटिस लगता था, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। मैं आज बहुत खुश हूं कि फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका मिला।

माननीय सभापति: आप निर्धारित समय में कम्पलीट कीजिएगा।

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदय, जैसे सभी माननीय सदस्यों को समय देते हैं, वैसे ही मुझे भी टाइम देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

Madam, I would like to thank my leader, Shri Rahul Gandhi ji, Leader of Opposition and my Party, Indian National Congress, for giving me an opportunity to speak in this august House on Finance Bill.

This is my second term in the Lok Sabha. I would also like to thank the people of my constituency who have elected me. I represent Lakshadweep parliamentary constituency. I have gone through the General Budget and read the speech of the Finance Minister.

The Finance Bill is essential for implementing the budget proposals. It is a legislative proposal, detailing the Government’s plans and financial measures. It encompasses the Government’s fiscal policies, taxation, expenditure, borrowing etc. for the financial year. Article 110 of the Constitution of India has classified it as a Money Bill and it is designed to achieve macroeconomic stability, promote growth and ensure equitable distribution of resources.

Madam, when we talk about taxation, there are two kinds of taxation. One is direct tax and the other one is indirect tax. Income tax, house tax, property tax, gift tax – all of them come under direct tax as they are directly taken from the individual or citizen of this country. Indirect taxes are all taxes which do not fall under direct taxes.

If we look into the income tax slab, from Rs.0 to Rs.3,00,000, there is no taxation. From Rs.3,00,000 to Rs.7,00,000, there is 5 per cent taxation. From Rs.7,00,000 to Rs.10,00,000, there is 10 per cent taxation. From

Rs.10,00,000 to Rs.12,00,000, there is 15 per cent taxation. From Rs.12,00,000 to Rs.15,00,000, there is 20 per cent taxation and from Rs.15,00.000 and above, the taxation is 30 per cent. If we look at the revenue generated by the Government from individual taxation, it is more than that of corporate taxes.

We are talking about the common man. Giving solace to the common man should be the motto of any Government. The present Government has given more leverage to the corporates and it has given relaxation in corporate tax. I would urge and request the Government to look into it. That should be taken into account at the time of formulating the Budget or formulating the Finance Bill.

Madam, with regard to generation of revenues, as I mentioned, it is more from the income tax than the corporate tax. Therefore, there should be a relook on this. The Government should have a relook on this.

Indexation has been completely removed. It will affect the individuals because it is going to be a big problem for everyone. Earlier, indexation was provided. Now, it has been removed. As far as short-term capital gain tax is concerned, it has been increased from 15 per cent to 20 per cent. It should be relooked. Long-term capital gain tax has also been increased from 10 per cent to 12.5 per cent. It should also be relooked and it should be withdrawn. This is my suggestion.

I would also like to speak about health and life insurance. As far as India is concerned, it has a huge population of 140 crore people. Nearly 60 per cent of this population have taken health insurance and life insurance. You have increased GST on health and life insurance. This is a burden on the common man’s pocket. The Government should think on this and try to reverse this. It should reduce GST on health and life insurance.

I come from Lakshadweep. There is only one Member of Parliament from Lakshadweep. I would also like to highlight a few issues which are directly related to my constituency. This Budget has given nine priorities for a Viksit Bharat. What are these priorities? They are: productivity and resilience in agriculture. That is a priority of the Government for a Viksit Bharat.

(1320/RP/SK)

In Lakshadweep, the Agriculture Department wound up. It has been completely closed down. The staff of the Agriculture Department has been attached to some other department. Similarly, the Animal Husbandry Department has been closed down. The staff which has been attached to this Department has been deployed in some other department.

In Lakshadweep, our coconut is 100 per cent organic. We do not require certification. We already have an organic certification.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Hon. Member, please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): Madam, this is only three minutes. You should not be prejudiced sitting on the Chair. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please complete your speech.

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): You had given him 10 minutes. I have seen my watch.

HON. CHAIRPERSON: Please complete your speech.

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): As far as agriculture is concerned, 100 per cent organic coconut is being produced without using any chemical or fertilizer or pesticide. Earlier, when the UPA Government was in power, NAFED used to purchase that and help the farmers in giving them a good price. But, today, the Agriculture Department has been wound up. I feel, that this is totally contradictory to the Government's first priority in the Budget which talks about productivity and resilience in agriculture.

As far as the Fisheries Department is concerned, we have the best tuna canning factory in Lakshadweep where the fish is processed, canned, and exported. Now, that has been completely wound up on the pretext that it is a loss-making unit. If it is a loss-making unit, how did it work for so many decades? All of a sudden, it becomes a loss-making unit. The Government should take note of this and ensure that the tuna canning factory is restarted.

The most burning issue of Lakshadweep today is the land issue. Ever since Lakshadweep became a Union Territory under the States Reorganisation Act of 1956, the land issues of Lakshadweep are being regulated as per the Land Revenue and Tenancy Regulation, 1965, and

subsequent rules which were notified in 1968. So, based on these rules or laws, the land is being regulated in Lakshadweep. Today, on the pretext of development, the Lakshadweep Administration is acquiring land without giving any proper notice, without taking consent of the land owners, and without giving compensation to the land owners. Any development which has to be done in a particular area has to be in consonance, in consent, and with the concurrence of the local people. There should not be any acquisition without the consent or the concurrence of the local people. The development is for the people and it should be in consonance with the ideas and views of the people. Just for the sake of doing development, the Government should not use it as a weapon to target or subjugate the people. This is my submission.

The land has been classified into various categories like Pandaram, Janmam, and so on. As far as the Pandaram land is concerned, the Government is claiming that this land belongs to the Government. पिछले 150 साल से हमारे पूर्वज इस जमीन पर एंज्वाय कर रहे हैं, इससे जो हमें मिलता है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने एक दम से नोटिफाई कर दिया है कि यह सारी जमीन सरकार की है। सरकार की कैसे हो गई? पिछले 150-200 साल से लोग रह रहे थे। डेवलपमेंट लोगों के लिए है, लोग जिस पर सहमत हों, उस पर डेलवपमेंट होनी चाहिए। अपनी मर्जी से डेवलपमेंट के मुद्दे ला रहे हैं, हमें इस तरीके की डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

अब मैं बेरोजगारी की बात कहना चाहता हूं। बजट की दूसरी प्रॉयरिटी एम्पलायमेंट और स्किलिंग है। आप एम्पलायमेंट और स्किलिंग को निकाल दीजिए, इसकी जगह बजट की प्रॉयरिटी अनएम्पलायमेंट और अनस्किलिंग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी में करीब 1200 परमानेंट पोस्ट्स वैकेंट हैं, अभी तक कुछ नहीं किया गया है, जबकि 750 पोस्ट एबालिश करने के लिए कह दिया है और साथ ही 4000 लोगों को डिसएंगेज कर दिया है। क्या आप नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे? पोस्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि पोस्ट्स क्रिएट करनी हैं। 1200 पोस्ट्स हैं, इसे आप फिलअप कीजिए। 4000 पोस्ट्स कांट्रेक्चुअल और लेबर इम्लपाइज़ की डिसएंगेज हैं, आप उनको लगाइए। आप उनको लगाने के बजाय रिट्रेंच कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि बजट में एम्पलायमेंट और स्किलिंग प्रॉयरिटी है।

मैडम, बजट की प्रॉयरिटी में सातवां नंबर इन्फ्रास्ट्रक्चर का है। शिपिंग एंड पोर्ट इसमें आता है।

(1325/KDS/NKL)

हमें रेलवे की जरूरत नहीं, हम पानी में हैं, हमें रोडवेज की जरूरत नहीं, हम पानी में हैं। पिछले 10 सालों में एक भी नया जहाज लक्षद्वीप में नहीं आया। 10 शिप चल रहे थे, उनमें से अभी केवल 3 शिप चल रहे हैं। 7 शिप नहीं चल रहे हैं। Who is responsible for this? Kindly note that timely dry docking and maintenance of ships is important. ऑनलाइन टिकटिंग कर रखा है। पूरे भारत में रेलवे का टिकट यदि आज मुझे लेना हो, तो मैं ऑनलाइन भी ले सकता हूं, ऑफलाइन भी ले सकता हूं। हमारे लक्षद्वीप प्रशासन ने यह कर दिया कि सब ऑनलाइन करो। जो कम्प्यूटर नहीं जानता, जो टैक्स-पेयी नहीं है, वह कैसे खरीदेगा? इसमें हैकिंग होती है। इस पर सरकार, लक्षद्वीप प्रशासन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संज्ञान ले, हमारा संघ राज्य क्षेत्र है। जैसा पहले होता था, वैसा ही करें। इसके अलावा लक्षद्वीप में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए मरीजों को एयरलिफ्ट किया जाता है। हेलीकॉप्टर सर्विस है। लोग कहते हैं कि अभी हम लक्षद्वीप को टूरिज्म में प्रमोट करेंगे। लक्षद्वीप में एयरपोर्ट आने के बाद वैसे ही यह ग्लोबल मैप में आ गया था। 1997 में जब कांग्रेस सरकार थी, तो वह एयरपोर्ट लेकर आई। लक्षद्वीप एक ही एयरपोर्ट है, जो ग्लोबल मैप में आ चुका है। मेडिकल फैसिलिटीज में, हेलीकॉप्टर में जब आप इवैकुएट करते हैं, अभी प्रशासन का नया प्रपोजल है कि मैंगलूर भेजेंगे। हमारे सारे मरीज हेल्थ इंश्योरेसं कोचीन, कालीकट में लेते हैं। मैं मैंगलूर के खिलाफ नहीं हूं। इससे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इलाज करना मुश्किल है। हमारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस यहां लिया हुआ है, तो एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर यहां लेकर आना चाहिए, लेकिन आप वहां लेकर जा रहे हैं। आप परेशान करने के लिए उल्टा काम कर रहे हैं। 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, जिसे खत्म कर दिया। इसके अलावा आपने जीएसटी, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बढ़ा ही दिया।

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : आपका समय पूरा हो गया है। अब आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप) : मैडम, दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। हमें आपका संरक्षण चाहिए। You are sitting in the Speaker's Chair. आंद्रोट 739 में एक भी ब्रेक वाटर नहीं है। आंद्रोट में स्टॉपेज ब्रेक वाटर का प्रपोजल था, जिसे जल्द से जल्द इनीशिएट किया जाए। पिछले 10 सालों में एक भी टेट्रापोड, एक भी पत्थर हार्बर डिपार्टमेंट का नहीं लगा। कलपेनी में लोग शिप से उतरने के बाद बोट से, जेट्टी में मैट लगाने के बाद कूदते हैं। क्यों, पिछले 10 सालों में एक भी पत्थर, एक भी बोल्डर या टेट्रापोर्ट नहीं लगा। क्यों नहीं

लगा? ये तो वही जानें। सीआरजेड रिलैक्सेशन की बात करें, कोस्टल रेग्युलेटरी जोन, सी इरोजन और बीच इरोजन की वजह से मिट्टी समुद्र में चली जाती है, तो बीच और सी इरोजन होता है। इसकी वजह से जो दिक्कत आती है, उसमें सीआरजेड कौशल रेगुलेटरी जोन को रिलैक्स करने की बजाय ये बोलते हैं कि आपका घर बना हुआ है, शेड बना हुआ है, जो किनारे पर है, इसलिए यह सीआरजेड को वॉयलेट करता है? क्यों वॉयलेट करता है? क्योंकि सी इरोजन और बीच इरोजन हुआ। यह मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। इसके लिए पोर्ट में और किनारे पर आपको हार्बर डिपार्टमेंट लगाने की जरूरत थी, जो कि नहीं किया गया।

मैडम, सबसे महत्वपूर्ण है कि लक्षद्वीप प्रशासन के कर्मचारियों को एमएसी भी अभी तक अवार्ड नहीं किया गया, जिसे जल्द से जल्द किया जाए। क्यों नहीं किया जा रहा है? Gratuity Act, 1972 के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और आशा वर्कर्स को पैसा नहीं दिया। पूरे भारत में इसको दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहां नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक जजमेंट है- The Anganwadi workers, helpers and ASHA workers are working all over India like a regular employee with meagre honorarium. They shall carry out the survey within their area of duty and shall update the records regularly. It is as per the judgment of the hon. Supreme Court in a Civil Appeal of 2022 and 2017 titled Maniben Maganbhai Bhariya v. District Development Officer Dahod & others. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सिविल अपील नंबर 22, वर्ष 2017, मनीबेन, मगनभाई, भारिया और जिला डेवलपमेंट अधिकारी दाहौद एंड अदर्स। The hon. Supreme Court of India, in its judgment dated 25th August, 2022 has directed the State of Gujarat to extend the benefits of gratuity envisaged under the Payment of Gratuity Act, 1972. अत: मैडम, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं फाइनेंस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था। I oppose this Bill because it requires a lot of relooking into the policies formulated, which are anti-people, anti-Lakshadweep, and anti-poor. Thank you.

(ends)

(1330/MK/VR)

1330 बजे

श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदया, आज फाइनेंस बिल पर हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ। मैं एक कोट के माध्यम से इस फाइनेंस बिल और बजट को समराइज करता हूँ-

> “The Budget reflects a choice - not an easy choice, but the right choice. And, when you think about it, the only choice, the choice to take the responsible, prudent path to fiscal stability, economic growth and opportunity.”

महोदया, आज हम जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम बहुत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ की महाराष्ट्र राज्य को केंद्र सरकार ने क्या दिया है। केंद्र सरकार ने मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर इन चारों शहरों का विकास किया है। महाराष्ट्र में सड़कों के लिए 75,000 करोड़ रुपये की निधि दी गई है। रेलवे के लिए 2.10 लाख करोड़ रुपये की निधि दी गई है। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए अलग से एक लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। हवाई अड्डों के विकास के लिए 4.04 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। छह लेन वाले अटल सेतु के लिए निधि दी गई है। पालखी मार्ग के लिए 11,000 करोड़ रुपये की निधि दी गई है। पिछले 10 वर्षों में रेलवे के लिए 5,800 किलोमीटर के लिए 34 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य के 9 हवाई अड्डों के विकास कार्यों के लिए 561 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मत्स्य पालन के लिए केंद्र ने 2,600 करोड़ रुपये दिए हैं।

महोदया, सरकार ने इस टैक्स रेवेन्यु से जितने काम किए हैं और उनसे जितने बेनिफिट्स हुए हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। जन धन योजना में 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट खोले गए, जिसने आर्थिक समग्रता को बढ़ावा दिया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 55 करोड़ गरीब परिवारों को इलाज में आर्थिक सहायता दी गई है। 25,000 जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएं दी गई हैं। 10 करोड़ गैस कनेक्शन्स उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को दी गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए 4 करोड़ मकान बनाये गए हैं और इस नए कार्यकाल में 3 करोड़ नए घरों को स्वीकृति मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस अर्थ संकल्प में 11,11,111 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा माध्यम है। सरकार इसके लिए और आर्थिक विकास पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा भविष्य ग्रीन इरा, यानि हरित युग का है। सरकार हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहा है, जिससे ग्रीन जॉब्स बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं।

महोदया, इसी प्रकार से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी 46.06 लाख किसानों के कृषि पंपों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं, जिसके लिए सरकार के 14,761 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ‘लाड़ली बहन योजना’ के माध्यम से 2 करोड़ माताओं और बहनों को 1500 रुपये पर-मंथ मिलेगा और उसके लिए हम 46,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' के तहत हम प्रत्येक परिवार को साल में तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में देंगे, जिससे 52,16,412 परिवार लाभान्वित होंगे। 'गाँव तिथे गोदाम' योजना के तहत 100 नए गोदामों का निर्माण और मौजूदा गोदामों की मरम्मत की जाएगी, जिससे

किसानों का पोस्ट हारवेस्टिंग लॉस कम होगा और उनके फसले बर्बाद नहीं होंगी। महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2023-24 में महाराष्ट्र को 1.25 लाख करोड़ रुपये मिले हैं और हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21,105 नए स्टार्ट-अप्स हैं।

महोदया, इतने लाख करोड़ की योजनाएं सिर्फ हमारे इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट और रेवेन्यू के कारण मिल रही है। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने टैक्स को आम जनता के लिए ईजी बनाया है। वर्ष 2013 में average time for Income tax refund के लिए 93 दिन था, वह आज घटकर 30 दिन हो गया है। आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एम्स का निर्माण हो रहा है और एयरपोर्ट तथा रेलवे की लाइन्स बिछाई जा रही हैं।

महोदया, मैं यहां कहना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 में सिर्फ 3.8 करोड़ लोग आईटीआर भरते थे और आज यह संख्या बढ़कर 7.78 करोड़ हो गई है। इसका मतलब हमारा नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डबल होकर 160 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2014 में यह 6 लाख करोड़ रुपये था, आज वह 19 लाख करोड़ रुपये हैं। इसका मतलब उससे तीन गुना बढ़ गया है।

(1335/SJN/SAN)

सभापति महोदया, इस वर्ष न्यू टैक्स रेट स्ट्रक्चर को रिवाइज किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को इन्कम टैक्स में 17,500 रुपये तक की सेविंग होगी। सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है एवं डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स के लिए 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। आज भारत विश्व का स्टार्टअप हब है और हमारा देश में 1.5 लाख स्टार्टअप्स और 110 यूनिकॉर्न्स हैं। हम अक्सर देखते हैं कि स्टार्टअप को फंडिंग रेज करने में बहुत दिक्कत होती है, जिसके लिए सरकार ने एंजल टैक्स समाप्त करने की भी घोषणा की है, ताकि स्टार्टअप को फंडिंग रेज करने में आसानी हो और लिटिगेशन कम करके ज्यादा फोकस इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पर किया जाए।

सभापति महोदया, टैक्सेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत लिटिगेशन में होती है। देश में 12 ट्रिलियन रुपये टैक्स डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, जो हमारी जीडीपी का लगभग 6 प्रतिशत है। सरकार ने वर्ष 2024 में इसको कम करने के लिए इस बजट में 'विवाद से विश्वास स्कीम' शुरू की है। इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री जी ने स्वास्थ्य जगत पर सबसे बड़ी घोषणा की है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होनी वाली प्रमुख दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी जीरो करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से कैंसर के मरीजों और आम जन को बड़ी राहत मिलने वाली है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मशीनों के दाम सस्ता करने की भी घोषणा की गई है। सरकार ने एक्स-रे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स फॉर यूज इन एक्स-रे मशीन्स पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दी है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से शासन के समक्ष कुछ मांग रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र राज्य में 720 किलोमीटर्स का समुद्री किनारा है। इस समुद्री किनारे में रत्नागिरी, दापोली, गुहागर, अलीबाग, सिंधुदुर्ग इत्यादि बंदरगाह हैं। उनकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। उसके लिए इन सभी बंदरगाहों का विकास होना अति आवश्यक है। बंदरगाहों का विकास होने से जल यातायात सेवा शुरू हो सकेगी एवं उसमें सुविधा होगी। इसके साथ ही साथ बंदरगाहों के आस-पास की छोटी-छोटी बस्तियों का भी विकास होगा।

मैं मुंबई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां मेरे लोक सभा क्षेत्र में वर्सोवा और कोलीवाड़े हैं, जहां मछुआरे मत्स्य व्यवसाय करते हैं। उनके विकास के लिए कल्याणकारी योजानएं शुरू करने की आवश्यकता है, जिससे उनके परिवारों का भी विकास होगा। जल यातायात को बढ़ावा देने से कोलीवाड़ों का विकास होगा। किसान को जिस तरह से बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार मत्स्य व्यवसाय करने वाले परिवारों को भी बीमा की सुविधा प्रदान करे। इससे मत्स्य व्यवसाय करने वाले परिवारों को भी लाभ मिल सकेगा।

सभापति महोदया, प्रधानमंत्री जी की योजना है कि मुंबई को देश का 'फिनटेक कैपिटल' बनाया जाए। मेरी मांग है कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, क्योंकि मुंबई जीडीपी का 6.16 प्रतिशत और लगभग 30 प्रतिशत डॉयरेक्ट टैक्स में योगदान देती है। मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी बोली जाती है। अब वक्त आ गया है कि इसे विश्व की वित्तीय राजधानी बनाई जाए।

सभापति महोदया, मेरी दूसरी मांग है कि मुंबई रेलवे को अपग्रेड करने के लिए एमयूटीपी को और ज्यादा बजट देने की जरूरत है, क्योंकि आज एमएमआर रीजन बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। वहां प्रतिदिन लगभग एक करोड़ लोग 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट' का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस रीजन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल तरीकों से इम्प्रूव करने के लिए महाराष्ट्र को एक लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाए।

महोदया, मेरी तीसरी मांग है कि मुंबई में 'म्हाडा' के माध्यम से घर बनते हैं, एसआरए के माध्यम से झुग्गी-झोपडियों का पुनर्विकास होता है। मेरी मांग है कि इसके लिए हम लोगों ने बजट में 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है एवं वह देश की औद्योगिक राजधानी है। वहां लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। इसलिए मुंबई शहर में विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए, क्योंकि कई लोग यहां पर अन्य जगहों से नौकरी करने के लिए आते हैं।

(1340/MM/SNT)

वे गरीब घर के लोग हैं, बच्चे हैं। मुम्बई में घरों के दाम ज्यादा होने की वजह से वे खरीदने में सक्षम नहीं होते और न ही किराये का मकान एफोर्ड कर पाते हैं। ऐसे लोगों को मजबूरन झुग्गी-झोंपड़ी तैयार करनी पड़ती है, जिसके कारण मुम्बई में अनधिकृत बस्तियां बढ़ती हैं। मेरी मांग है कि मुम्बई के विकास के लिए बजट में जो दस लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, उसमें से एक लाख करोड़ मुम्बई शहर के विकास के लिए दिए जाएं।

महोदया, मेरी आखिरी मांग है कि मुंबई में प्राइवेट टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। इसमें इलाज के लिए केवल देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आते हैं। टाटा का यहां एक ही हॉस्पिटल है। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि मुंबई शहर में मेरे लोक सभा क्षेत्र गोरे गांव-आरे में जमीन का सर्वेक्षण करके सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जाए। टाटा हॉस्पिटल पर जो बोझ पड़ता है, क्योंकि कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। मुंबई में कैंसर मरीजों के लिए एक और अस्पताल खोला जाए। मैं अंत में सरकार का धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद।

(इति)

1341 बजे

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल (सूरत) : जय भोलेनाथ!

सभापति महोदया, हमारे गुजरात में सोमवार के दिन से पवित्र सावन का महीना शुरू हुआ है। इस महीने में गुजरात के लोग भोलेनाथ की स्तुति और पूजा करते हैं। लेकिन, हमें कभी शिवजी की फोटो लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि भगवान शिव हम हिन्दुओं के हृदय सम्राट हैं और हमारे हृदय में रहते हैं।

To begin with my maiden speech, Madam Chairperson, I would like to congratulate the hon. Prime Minister for the historical consecutive third-term victory. I am fortunate enough to be a part of this Government. Whether the Opposition likes it or not, but this fact is going to persist that this era is going to be remembered as Modi era forever. I am also lucky in a way that I am the first Member of the 18th Lok Sabha being elected uncontested from Surat.

Surat is a vibrant constituency which is very well recognised as a hub of textile and diamond. My family background is also textile. Forty per cent of man-made fabric is being produced in our city of Surat. Ninety per cent of world's rough diamonds' cutting and polishing is being done in Surat. That way, both these industries combined together form the backbone and contribute greatly in the economic development of the country in terms of employment and in terms of export as well. I can also boast about coming from a constituency which has reversed the trend of the past and given the first non-Congress Prime Minister in the country, that is, respected late Prime Minister, Morarji Desai.

I congratulate the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman for presenting a Budget which is the smallest one since Independence in the history of Indian Budgets.

(1345/YSH/SRG)

सभापति महोदया, मैं इस हाउस में कई बार सुन चुका हूँ कि 'डरो मत, डरो मत, डरो मत।' मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह लाइन किसके लिए है। मैंने बजट में ढूंढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुझे कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला। So, I sought the help of financial experts. मैंने उनको कहा कि आप ढूंढिए कि इसमें कहीं पर 'डरो मत' लिखा हुआ है, लेकिन उनको भी कहीं नहीं मिला। मेरी समझ में तब आया, जब अयोध्या में घटना नहीं, बल्कि दुर्घटना हुई और उसमें डुप्लीकेट राम जी की तस्वीरें हम सबके सामने आईं। यह नेरेटिव गठबंधन वाली इन पार्टियों के लिए है और ये कहते हैं कि आपको अपने राज्य में जो कुछ करना है, वह करिए। आपकी जो मर्जी है, वह करिए, मैं चुप रहूंगा। हमारी महिला नेताएं चुप रहेंगी, हमारे बड़े नेता भी चुप रहेंगे। आपके

राज्य में आपको जो करना है, वह करिए। ये कहते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा में मैंने फिल्डिंग बैठाकर रखी है, आप डरो मत, जो कुछ भी करना है, वह करिए। 'मैं किसी से डरता नहीं हूँ', यह बात भी मैंने सुनी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डरता है, वही बोलता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ।

Madam, this Budget is based on the theme to focus on providing more employment, skilling MSMEs, and most importantly the middle-class. However, the Leader of the Opposition may be screaming but the middle-class is very much aware of the fact and it has seen the ugly face of the Congress Party in the past. The middle-class has suffered in the past.

Madam, I start with two major announcements made in the Budget which are directly significant for my constituency. I warmly welcome the announcement made in this Budget for the jems and jewellary industry. The abolition of the equalisation levy on sales of rough diamonds and the introduction of safe harbour tax are welcome steps for the diamond industry. It was a long-pending demand of the industry. These initiatives are expected to further cement India's position as a global leader in the diamond cutting and polishing sector which already provides a significant number of employment in the city and in the country. For this, I would like to specially thank our hon. Finance Minister.

Similarly, as far as the textile industry is concerned, I also welcome the step taken to reduce the basic customs duty. It will significantly enhance the competitiveness of the textile industry. The allocation for the National Technical Textiles Mission has more than doubled, which will give a further boost to the industry. But at the same time, I would like to make one demand. Both the industries are passing through the worst phase ever seen in its history. I request the hon. Prime Minister to take further initiatives to give blood to this industry.

Madam, this Budget is for the youth. Youth comprises of 65 per cent of the total population below the age of 35 years in the country. The hon. Finance Minister has provided Rs. 2 lakh crore for the employment and skilling of the youth, which will skill 1.1 crore youth over the next five years to come.

This Budget is for *Mahilas* as well, and it provides strong support to them through various schemes. The FM has provided a massive amount of Rs.

3,27,158 crore for the welfare of women, and Rs. 4,37,079 crore in all combined with child welfare.

(1350-1400/SMN/VB)

Earlier in the sixties, seventies and eighties, as all of us are aware, there were two industrialists only, 'B1' and 'B2'. They were almost in a monopolistic position during that period. They were producing everything right from needles to heavy trucks. But the Congress never raised a question about 'B1' and 'B2' at that time. The country needs 'A1', A1', 'A1, A2', 'B1, B2' or 'Z1, Z2. The country needs each and every industrialist and businessman for economic growth and development. But what is the reason? The reason is that 'A1' and 'A2' are coming from Gujarat. They are raising this question everywhere and every now and then. My straight allegation against the Congress is that it wants to hinder the economic growth of the country. It wants to disappoint and depress the industrialists in a way that they would not try to reach on the top of the roof.

More importantly, जो इनको नमस्कार करने जाएंगे, ये उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। यही वजह है कि गुजरात में इनको बार-बार शिकस्त मिली है। पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, वे कहीं भी नहीं टिकते हैं। गुजराती प्रजा की यह विशेषता है। इसीलिए वे डिसअप्वाइंट हैं और रिजेक्टेड हैं। दो गुजरात के राजकीय सपूतों, दो गुजरात के उद्योगपति सपूतों के खिलाफ देश में जो कैम्पेन चलाया जा रहा है, वह गुजरात की प्रजा देख रही है और समझ रही है। मैंने यह भी सुना था कि लिख लो, लिख लो।

स्पीकर मैडम, मैं नया माननीय सांसद हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो माननीय सांसद यहां जो बोलते हैं, क्या आप उसे नहीं लिखते हैं? मेरी समझ में तो नहीं है। एक और लिखने वाला वर्ष 2022 की चुनाव में आया था, लिख दो, लिख दो, गुजरात की प्रजा ने इनको ऐसा सबक सिखाया कि अभी तक दोबारा गुजरात आने की हिम्मत नहीं की है। हमें पता नहीं है कि अब ये कहां पर हैं, क्या लिख रहे हैं? इनका पता हमारे पास नहीं है…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : माननीय संसदस्य, कृपया अपनी बात पूरा कीजिए।

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): Madam, I am concluding. To conclude, this is the Budget for the common man, for the poor and the middle class, for the oppressed and the suppressed classes of the society like dalits, adivasis and Other Backward Classes of the country. It will propel India towards becoming a five-trillion-dollar economy and the third-largest economy of the world by 2027 and lay the foundation for building a Viksit Bharat and carry the nation towards becoming a super power by 2047.

I endorse and fully support the Budget and congratulate the Finance Minister and the Prime Minister for the same and thank the hon. Chairperson for giving me an opportunity to speak before this august House.

Thank you very much, Madam. (ends)

1354 hours

*SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Madam Chairperson, this Budget has ignored 95 per cent of the people of India. The ruling party has kept the interests of corporates and the Foreign Direct Investment intact in the Finance Sector. The ruling dispensation has prepared this Budget forgetting the welfare of the people. Interests of most of the people have been ignored. Particularly, there are 56 Crore labour force in our country, but this Government has not shown any concern towards the labourers of this country in the Budget. Particularly the labourers are in large number from the Informal Sector.

This is very much visible from this Budget that this Government has not thought of providing social security to these labourers. Therefore these people are against the interests of labourers. This Government is a corporate run Government aimed to protect the interests of the corporates and Foreign Direct Investments. It is very much evident that the people cannot expect anything from this Government. They are appointing workers on contract basis where there is a possibility of regular and permanent jobs.

The Government which should be a model employer whereas this is just encouraging the contract labour system and daily wager system. Why are they following this? Is it not unjust and unfair? I sit not against the welfare of labourers? They do not bother about this. Corporates are in extreme profit. Indian corporates are enjoying enormous profit. Why can't we levy 70 % super tax on them? Why this Government is putting tax on common people. GST has not been left out in any commodity or service. Everywhere they collect GST. But this

---

*Original in Tamil

Government does not behave with the corporates in such a harsh manner. I urge that these corporates should be levied more tax.

They should be levied a super tax of 70%. Similarly the farm labourers, and the workers of the informal sector staged agitations day-before-yesterday in the Capital Delhi. Pensioners get a meagre amount of Rs 1000 and Rs 800 as pension every month. Can the Ministers of this Government manage their family expenses within this small amount of Rs 1000 or Rs 2000? Can the Ministers lead their life with Rs 2000? Why is this Rs 2000 given as pension? I urge that this pension amount should be enhanced up to Rs. 9000 per month. It should be ensured that no pension is below Rs. 8000.we are not completely opposing the Foreign Direct Investment. As far as Communist Party of India is concerned, if this FDI gives more employment to our youth, we can welcome it. We have not objections to import the technology that is not with India. FDI is a knot on our neck. What is the policy of this Government? Liberalisation and Privatisation are the policies. What are they? There are the negative forces.

These form the basis for this Government. In the name of privatisation, Government has shirked off completely from its responsibility of providing education. This Government also evaded itself from its responsibility to provide medical treatment. This Union Government should fully bear the expenses for cancer treatment, kidney transplantation and heart ailments. Prime Minister’s relief Fund. One or two lakh rupees are provided through this fund. This is useless. This Government should completely bear all the medical expenses. Similar to cancer treatment and kidney transplant, this Government should bear all the expenses. What the Economic Survey of India talks about? It has given a warning message that 25% jobs will be reduced

in agriculture sector. This is a pertinent danger and this Government has not felt this danger.

They have not taken adequate steps by understanding the danger involved in it. Parliament does not decide the fiscal policy of this Government. World finance and investments decide this fiscal policy of our State. WTO, IMF, World Bank are the institutions which decide the monetary policy of this country. They take away Indian goods from the Indian market. Then foreign goods are brought to Indian markets. Indian industry faces loss. Whether this policy is for protecting our country?

Which policy is destroying this Swadesi policy? This is totally against the policy. This ruling party has come to power only with the reason of following their superstitions. They have used superstitions prevailing in our society to come to power. I wish to suggest you something. This Government should set up a Department to carry forward the campaign against superstitions in different forms and means.

This Department should function in a scientific and rational manner. Such a campaign should be made. Similarly, what are the conditions put for the by the WTO? This Government should openly say that what the conditions as insisted by WTO are? Can you openly make it public? These controlling conditions are definitely against the interests of Indians. They are against the farmers. Government has signed after approving this agreement. This is anti-national sentiment. I do not have time to list their actions which are ant-people and anti-national. Thank you. Vanakkam.

(ends)

1401 hours

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, thank you for giving me this opportunity. I rise to support the Finance Bill moved by hon. Finance Minister.

Hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji has rightly said that this year's Budget is for future of *Bharat* as it focuses on macro-economic stability, gives roadmap for employment generation and provide the highest capital expenditure for sustainable growth.

This Budget aims to reduce the fiscal deficit by improving the tax compliance and tax collections etc. This Budget has taken various measures to control inflation such as supporting stable supply chain for essential commodities, maintaining buffer stocks etc. While Budget has spending on infrastructure, it has also focused on agriculture & rural economy.

Now, I come to employment generation and skilling. Under the leadership of Shri Modi ji, job creation takes the centre stage.

1402 hours (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

This Budget has allocated funds for extensive skill development programs, particularly targeting strengthening of rural populations. Production Linked Incentive (PLI) schemes can play a major role job creation. The new Employment-Linked Incentive Scheme will boost employment.

Sir, as we all know MSMEs are a significant source of employment. The Budget includes provisions for easier access to credit, subsidies for technology adoption, and incentives for startups to stimulate job creation in this sector.

Now, I come to the capital expenditure to support growth. The Finance Minister has emphasized significant investment in infrastructure projects, including roads, railways, ports, and airports.

Sir, I am happy to notice that the capital expenditure of the Budget of the Union Government has increased by 2.2 times from Financial Year 2021 to Financial Year 2024. This also covers urban infrastructure development through the Smart Cities Mission 2.0, rural connectivity initiatives and encouraging Public-Private Partnerships (PPP) etc.

Sir, digital infrastructure is very crucial for modernizing the economy and to support new business models. This Budget encourages investment in enhancing digital infrastructure.

All these measures collectively aim to stabilize the economy, generate employment, and enhance capital formation, thereby setting a robust foundation for sustainable growth in India.

Sir, I would like to make some submissions with regard to GST. Today is 7th August and 7th August is National Handloom day. But the situation of handloom weavers in known to everyone. Their cost of production has gone up because of GST on their raw materials. Those weavers are in crisis. Mahatma Gandhi ji started Swadesh Andolan. On the same lines, our Prime Minister Modi ji has started Atmanirbhar Bharat. Promoting this on this day will be a good thing. I would request the Government to consider to waive off GST on handloom products. This will be a great announcement on this day and will support our handloom sector to grow internationally as well.

Secondly sir, as we all know that CSR is a voluntary contribution for the betterment of society, I would request the Government to please permit the Input Tax Credit +on CSR supplies and services.

(1405/SM/PC)

On the same lines, GST is also applied on MPLADS. Around 20 per cent money is deducted as GST and MPs are getting only Rs.4 crore out of Rs.5 crore. I am also requesting the hon. Finance Minister to waive off GST on MPLADS.

The issue of GST on life and health insurance has also been raised by Union Minister Shri Nitin Gadkari ji. I fully support it. I was a Member of the Finance Committee of 17th Lok Sabha. The Committee recommended to reduce GST on life and health insurance. I once again request the hon. Minister to waive off GST on life and health insurance.

According to AP Reorganisation Act, AP should get one oil refinery. The Machilipatnam Port is coming up. This is the best location for setting up of an oil refinery. Regarding setting up of a steel plant, Kadapa is the suitable place. Polavaram project is another big issue. The Government should bear the total cost of Polavaram project. With these suggestions, I support the Finance Bill. Thank you.

(ends)

1406 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. Sir, this Finance Bill is not merely a plain bunch of papers but a legal monetary explanation for the livelihood of people of this country. It is a part of the Union Budget. In contains important changes of the Central Government, reflecting India's finance and financial regulation of the money market of the organised sector.

Sir, this Bill does not speak about unorganised sector. What is the financial allocation for this unorganised sector? This sector accounts for around 92 per cent of India's workforce and it has a far-reaching effect. This Bill does not deal with this sector at all.

The current unemployment rate is 9.2 per cent. It has always been saying that this scheme or that scheme would be introduced to solve the unemployment problem. As you know, the concept of employment should be something different where the relationship between an employee and an employer should be fixed and security for labourers, employees and workers should be there. This Bill does not deal with such aspects of the matter effectively. This Bill really does not deal with the unemployment crisis of this country.

Some data are there. But who are getting employment in Government sector or in private sector? There is another problem. Now, contractors are engaged and workers are appointed through the contractors. Once the contract is terminated, the workers are also terminated. Then, where is the security of workers?

We have to address this issue. The nation is required to address the issue of unemployment fully and a permanent solution is required. Let us take an example. Where is the security of employment of ASHA workers and other workers? Once the schemes are abolished, they are terminated.

(1410/RP/CS)

As you know, there are appointments of some employees under any project on a contractual basis. If that project has gone, the future of those workers has also gone. That will not address the problem. A permanent solution is required to solve this unemployment problem. The average literacy rate is 76.32 per cent. Around 30 per cent of the patients still suffer from

infectious diseases like tuberculosis, malaria, and diarrhea. The rate of infant mortality is 26.619 deaths per 1,000 live births. Around 40 per cent of the patients suffer from chronic diseases like diabetes, hypertension, etc. There is a shortage of 1.5 million doctors in the country and one million auxiliary nurses and midwives. The total employment in manufacturing sector has come down to 11.5 per cent.

Sir, the availability of doctors in hospitals is a great problem. I have been elected as a public representative since 2009. Since 2009, I have been contributing to six municipality hospitals through my MDLADS fund. They also run the municipal health centres. All modern facilities like ICU, machineries, are there. The problem is that I am not getting one cardiologist for these hospitals. The doctors are very much interested to work in a city but no one is ready to go and serve in the mofussil areas or the rural areas. Therefore, our medical education policy also requires to be looked into. It should be revisited. Some mandatory provisions should be made through legislation that every doctor should have to go to the rural places or mofussil areas. Our country, either the State Government or the Central Government, is spending money for them. We, MPs and MLAs, are also giving money. As far as their medical education is concerned, either the Central Government or the State Government is contributing in their studies. After 10 years, they leave their Government service and start doing their private practice. They do not go anywhere. This is a very serious problem which we are facing everywhere. This has to be addressed properly.

India is one of the growing economies. There is no doubt about it. But the benefits of its development are yet to reach fully to the poor people of this country. There are 92.4 per cent informal workers with no written contract, paid leave, and other benefits. Around 58 per cent of the workforce are self-employed. It is not entrepreneurship rather it is a distressed employment in the country. If our GDP growth is 7.6 per cent then, why was the consumption rate restricted below 3 per cent during the last year? The Household Consumption Expenditure Survey reported that the monthly consumption of a family in the rural areas is Rs. 3,094 per month while the overall average was Rs. 4,963 per month.

I support one thing said by the hon. Finance Minister. I know that highly educated persons may disagree with me. I do not mind that. It is because I am coming from a mofussil area. I studied in a *paathshala*. I studied in a mofussil school or in a mofussil college. I studied in a law college. It is not correct that the persons who are coming from the Oxford University or the Cambridge University will govern the country. They are the best materials.

(1415/NKL/IND)

I can see that if one studies in Presidency College, St. Xaviers College, Jawaharlal Nehru University, they suffer from superiority complex as they do not consider the students from the rural areas or the students from the cities as the top students. They think that only they would govern the country. No, it is not acceptable. ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन हमारी माथा झुकाने की आदत नहीं गई। Therefore, I do not agree with this. I agree with the hon. Finance Minister. We must consider first the students coming from the rural areas, who are studying in colleges. They are not less intelligent than the other students. They must be speaking very good English but their approach to disrespect the students from India, the students who have read in villages, mofussil and other colleges, is not correct.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Please make it brief.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPRESON: Rudy *Saheb,* neither he has yielded nor I have allowed you to speak.

… (*Interruptions*)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : रूडी जी, आपको नहीं बोला है। I am disagreeing with someone. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kalyan Banerjee ji, now, if I have given time to you, you must address the Chair. Why are you taking cognizance of Rudy ji?

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I am sorry.

Now, this is my point. All the students have to be kept at the same footing.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you have already taken ten minutes. Please make it brief.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I have taken only four to five minutes. सर, आप थोड़ा बोलने दीजिए। मैंने अभी शुरू किया है।

माननीय सभापति : आप एक बात को ही इलेबोरेट कर रहे हैं। आपके जो पाइंट्स हैं, उन्हें थोड़े में ब्रीफ कर दीजिए।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, we are opposing the imposition of 18 per cent GST on LIC and health insurance. Now, the core question comes. It is always said that the Centre is giving this much amount to the States. But how much is the Centre collecting from the States on account of Income Tax, Direct Taxes, GST, Indirect Taxes, etc., I will give a few statistics. I will not use the expression 'figures'. Mr. Mahtab is present here; he knows why I will not use that expression.

HON. CHAIRPERSON: Certainly.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Now, there is a direct tax collection in crores. There is a contribution of 3.92 per cent so far as West Bengal is concerned. It was 3.87 per cent in 2019-20; 4.26 per cent in 2020-21; 3.81 per cent in 2021-22; 3.46 per cent in 2022-23. I am making it short. I will mention the top 10 States from where the taxes are collected. The first is Maharashtra, second is Karnataka, third is Gujarat, fourth is Tamil Nadu, fifth is Haryana, sixth is Uttar Pradesh, seventh is Delhi, eighth is West Bengal, ninth is Telangana, and tenth is Odisha. We want to know how much Central Government assistance will be given to those States from where the amount is being collected. We want to know this fact in respect of our State also. How much Central Government assistance will be given?

HON. CHAIRPERSON: You are a senior Advocate. There is a GST Council and your Finance Minister is also a part of it.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I will give you the statistics related to GST. I am ready with it but I wanted to make it short. Shall I give you all the figures percentage-wise from 2018 to 2023? I am having the statistics. But I will not go into it.

सर, आप बोलने दीजिए। दस मिनट में से तीन मिनट आप ले लेंगे, तो हम अपनी बात कैसे पूरी रख सकेंगे?

माननीय सभापति : आप एक मिनट और बोल लीजिए।

(1420/VR/RV)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, Now, I want to speak about the budget allocation so far as the State of West Bengal is concerned. I have given the data regarding the collection of taxes from West Bengal. Allocation to the health sector is only 6.7 per cent, allocation to education is 16.5 per cent, allocation to agriculture is 6.4 per cent, allocation to urban development is 4.2 per cent, roads, bridges and transport is 2 per cent, and allocation to home and police security is only 3.8 per cent. What is the contribution? Financial assistance is not provided to the States in proportion to the tax collected from the States. This money is not the Central Government's money. This is the State Governments' money. They are repeatedly saying that they are paying it to the Central Government. You are collecting taxes from the State Governments. You are rich because the States are there. They are saying that they are giving it. *....(Interruptions)* सर, थोड़ा बोलने दीजिए।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Now, let me come to Enforcement Directorate (ED). I have no objection. What has ED done? You have given all the Statewise figures from 2021. The ED has commenced criminal cases against persons who have been arrested since 2021. Why has trial not begun even after three years? Why? *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. You have already taken 15 minutes.

....(Interruptions)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Please listen to me. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: I am here to properly conduct the business of the House.

....(Interruptions)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : सर, थोड़ा सुनिए कि ई.डी. क्या करती है। ई.डी. रेड करने के लिए जाती है, तब फोटोग्राफर को ले जाती है। अरेस्ट करती है, फोटो खींचती है। उसके बाद तो कुछ नहीं है। बस ई.डी. कहती है - 'खींच मेरी फोटो, खींच', 'खींच मेरी फोटो, खींच'। ये लोग और कुछ नहीं करते हैं।… (व्यवधान)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Kalyan Banerjee ji.

....(Interruptions)

Dr. Kalanidhi Veeraswamy ji.

1422 hours

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, thank you very much for permitting me to participate in the discussion on the Finance Bill, 2024.

Sir, today is the 6th anniversary of our tall and great leader, Kalaignar.

Sir, for the first time in India, our tall leader Kalaignar had given the women of Tamil Nadu the right to inherit parental property. Therefore, so long as a woman inherits a property in Tamil Nadu or anywhere in India, Kalaignar's name is remembered, and his name will live on forever and ever and ever.

Sir, today we are discussing about the Union Budget. What is the role of a Government? The role of a Government is not to tax people and spend the collected money alone. The role of a Government is to take care of the women, children, disabled, poor and the oppressed. When I say oppressed, I mean religiously oppressed people.

Sir, whenever the Government collects taxes, 60 per cent of it comes in the form of direct taxes and 40 per cent comes in the form of indirect taxes. The indirect tax is something where even the poor people contribute in the form of GST. If you look at the tax collection figures of the last year, an amount of Rs.20 lakh crore were collected from GST itself, and an amount of Rs.12 lakh crore were collected from direct taxes. How has the tax collection from direct taxes reduced? It is just because the Government has given a concession to the corporates where the taxation was 30 per cent. They reduced it to 22 per cent favouring all the big corporates. But they have taxed the poor by increasing GST even on the essential items.

Sir, many hon. Members have spoken about abolition of GST on health and life insurance premium. Out of pocket expenditure for the common man is so high in this country that people say that the Government's role over here should be huge. The Government's recommendation for allocation to health sector was 6 per cent of its total budget, but only a meagre amount of 2 per cent or even less than 2 per cent has been allocated.

(1425/SAN/MY)

Also, when you are talking about GST, you find that on infant foods containing milk also, GST is being charged at the rate of 18 per cent. This is a shameful incident.

There is a long-pending demand by the disabled people. We are talking about physically disabled people. Our leader used to say that you should not call them physically disabled people; you should call them physically challenged people. Those people are using prosthetics, like artificial limbs, and you are charging 18 per cent GST on those items also. If not anything, this is blood money. I hope that the Government will wake up and make sure that GST on all these kinds of items is totally removed. In fact, if you remember, Gandhi ji in 1930 had launched Salt Satyagraha against the imposition of tax on salt. I think, somebody has to fight against this Government to curb all the taxes which they are levying on the disabled people and making the poor people more and more poor.

Sir, on the issue of employment, when this Government came to power in 2014, they said that every year, they would get us two crore jobs, but in the last ten years, they have failed miserably on this count. Now, the *Economic Survey* says that every year, there will be a requirement of 80 lakh jobs. How are you addressing this? You are saying that you are going to give 20 lakh jobs every year for the next five years, amounting to one crore youths going to be placed in 500 corporates. That roughly translates to about 4,000 persons per corporate. When I spoke to some of those corporates, they said that their total employed workforce itself is 4,000 and how they are going to accommodate 4,000 people in their companies.

Sir, even skilling them is not going to happen. The need of the hour is not to have these people in the organised sector. The unorganised sector is where there is a huge demand for employment and you have not focussed on anything there. You are talking about skilling for MSME, but what is happening in reality is that you are killing the MSMEs. Today, the MSMEs are struggling to even survive where thousands and thousands of MSMEs have closed down. You have to understand that about 47 per cent of the country's employment is provided by the MSME sector.

Sir, we are talking about agriculture. When we are talking about agriculture, we should remember that this Government came out with three farm laws which they hastily withdrew. They kept claiming that these three farm laws would improve the quality of life of the farmers. If that was their belief, I do not know why they had to withdraw those laws. But if you truly believe that these farm laws are going to be helpful for the agriculturists - the BJP is ruling in more than ten States of India – why do you not introduce them in UP or Bihar? You will not accept these farm laws in your States, but you want to implement them all over the country, affecting all the farmers of the country where already the number of agriculturists committing suicide is high. By doing so, you

are planning to make sure that the number of agriculturists committing suicide becomes more. This is the attitude of the Government.

Sir, the Supreme Court had come out and spoken about the electoral bonds. This Government has only worked to enrich a select few, like our hon. Leader of the Opposition has said, A1 and A2. The BJP Government had collected through the electoral bonds about Rs. 18,000 crore. It comes to about Rs. 1,800 crore *per annum*. Since the Supreme Court insisted that the details of electoral bonds be published, they were published. What was the curious thing about it? There was a major contribution in BJP's account. There was a history that there had been an ED raid. The raid by Enforcement Directorate raid happens and subsequently, funds are being transferred or deposited into the BJP's account. The Enforcement Directorate over here has been functioning as an ... (*Expunged as ordered by the Chair*) department of this ruling Government. It is a shameful thing. The people have been made aware of this only because of the efforts of the Supreme Court.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Please conclude.

Kumari Sudha R.

… (*Interruptions*)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, when we are talking about the Budget, I would say that every time the Budget is presented, the ruling Government and its allies will praise it to the sky, but the Opposition will trash it to the bin. Here, the common man has trashed it to the bin because the disappointment of the common man, the middle-class is so huge. You have talked about giving sops to the middle-class, but the middle-class people are are the ones who are disappointed because the tax on long-term and short-term capital gains has been increased.

HON. CHAIRPERSON: Kumari Sudha R.

… (*Interruptions*)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, I feel that.

I would like to object to this because you have … (*Interruptions*)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

Kumari Sudha R.

… (Interruptions) … (Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Kumari Sudha R., please start.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Kumari Sudha R.

… (Interruptions) … (Not recorded)

(1430/SNT/NK)
1430 hours
KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI):

Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. I am honoured to be a first-time MP from the third-generation Congress family. I am not only a first-time woman MP from my community in Tamil Nadu but also a first-time woman MP from Mayiladuthurai Constituency in 57 years.

Sir, Mayiladuthurai Constituency is the land of Gods, saints, adheenams, churches, mosques, and devotees. I am proud to follow the footsteps of Rani Velu Nachiar, the pride of Tamil Nadu. Like she regained Sivaganga kingdom by defeating the East India Company, I am confident that India will be freed by defeating the forces of communalism, fascism, casteism, and inequality.

Pandit Jawaharlal Nehru ji and Sardar Vallabhbhai Patel ji united India and made it a strong Union of States. Sadly, today cooperative federalism has been reduced to competitive and hostile federalism. I will give three examples.

Firstly, even though the 15th Finance Commission mandated that the Government of India should devolve 42 per

cent of the total tax revenues, the Government is devolving only 30 per cent of the total Rs. 38.5 lakh crore of tax revenues.

Similarly, the Government of India has not devolved a single paisa from Rs. 36 lakh crore it raised as cess from 2015 to 2024 to the State Governments.

Secondly, the Government is now transferring less funds to the States and reduced its share even to the Centrally-Sponsored Schemes. Today, the States bear 40 per cent of the burden while getting less revenues from the Centre, which pushes us into greater debt. Let us elucidate with just one example. Not a rupee has come from the Union Government for school education in Tamil Nadu under the Samagra Shiksha Abhiyan (SSA). In January 2024, the Union Education Ministry sanctioned Rs. 3,585 crore for SSA for Tamil Nadu for this year. Out of this, Rs. 1,434 crore was the State component, that is 40 per cent. The State Government promptly disbursed its share. Yet six months into the year, the Government of India has still not released a single rupee for our children’s education. Why is this happening?

The Finance Minister and our Prime Minister always talk about Thiruvalluvar and Tamil language, but their aim is:

(1435/SRG/SK)

Thirdly, Tamil Nadu was devastated by back-to-back floods in December, 2023. Sir, ours is a coastal State which is prone to cyclones almost every year. We lose countless lives and assets every year. The Government of India has given Rs. 11,500 crore as flood relief package to Bihar. We are not questioning that. My submission is that it makes no special grant of package to Tamil Nadu.

Sir, both the hon. Finance Minister and the hon. Defence Minister have visited Tamil Nadu, and seen the devastation with their own eyes. Yet, they have not provided any special package to us. Is Tamil Nadu just a site for political tourism for the BJP leaders? When is this step-motherly attitude going to stop?

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You should confine your speech to the Budget. Please conclude.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Sir, this is my maiden speech. Please consider this. I come from a very rural area. Please give me an opportunity. … (*Interruptions*)

Sir, this Government needs to understand that States have an equal responsibility to advance the economic and social welfare of 132 crore Indians. When consumption expenditure is at a historic 20-year low, unemployment is at a 50-year high, the wages have been stagnant since 2015 and the household debt is at a 34-year high. It is the States which are best placed to uplift the Indians by making customised policies. So, when the Government of India deprives the States, the Government of India is also depriving 132 crore Indians.

Sadly, the States have no platforms to speak to each other or to the Centre. The National Development Council, the National Integration Council, the Inter-States Council, and the Planning Commission have all been destroyed in the last 10 years by the Central Government, and instead we have a perfunctory NITI Aayog. … (*Interruptions*)

Sir, I would be remiss if I did not speak about the historic 50-year unemployment that India is facing. There are many youngsters in my State who have asked me to raise this issue to the BJP Government. The Prime Minister says that his Government has created eight crore jobs in the last four years. Firstly, this claim is from the RBI's KLEM database. That same database says that out of these eight crore jobs, over four crore are in the informal agri- sector and temporary in nature. Secondly, the Government of India is claiming that it created one lakh jobs every day. It is unimaginable.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): The Government claims that it creates 4174 jobs every hour, and 69 jobs every second. It is unimaginable.

HON. CHAIRPERSON: Please put your important issues regarding the Finance Bill and conclude.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Do you know how they made this claim? By saying that if an Indian works for 30 days in a year, the Government claims that a person is employed. Is this logical?

Thirdly, even if you buy the Government's argument that every year over two crore youth enter the workforce, that means, in the last 10 years, India should have created 20 crore jobs. Yet, the Government is claiming that it has created only eight crore jobs, 12 crore fewer jobs than it should have.

HON. CHAIRPERSON: Madam, please conclude.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Sir, please give me two more minutes. I come from a remote village to raise the voice of the village people. I humbly request to grant me some more time. … (*Interruptions*)

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Additionally, the Government is not investing in the MSMEs which are crippled because of demonetisation, GST, COVID-19 lockdowns and no policy support. It is the MSMEs which create crores of jobs in India.

(1440/RCP/KDS)

Similarly, 63 lakh informal sector establishments were closed down and 1.6 crore people lost their jobs because of the same reason. In this situation, the Government is suggesting that it will be … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Shri Rajiv Pratap Rudy.

… (*Interruptions*)

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Sir, I will conclude in one minute. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken more than 10 minutes. I have given you sufficient time, more than your Party's time. You got ample time because you have been elected for the first time.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Okay, one last line, please.

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): Sir, one hon. Member from the Treasury Benches asked my Party leader Rahul ji '*jati*' … (*Interruptions*)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: You are not to respond, please. Your leader will respond.

Rajiv Pratap Rudy ji.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: He is LoP; he will respond, I think.

… (*Interruptions*)

1442 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का मेडन स्पीच था, तो आज के लिए मेरा भी मेडन स्पीच ही माना जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मैं तीसरे स्थान पर था, चौथे पर आया, पांचवें पर आया, छठें पर आया और आठवें पर आ गया, तो इसे मेडन स्पीच मानते हुए मैं अपनी बात रखूंगा।

महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और बड़े ध्यान से पूरे बजट का वित्तीय विश्लेषण मैं सुन रहा था। सचमुच हमें गर्व होना चाहिए कि आज के सांसदों के डिबेट का स्तर है, वह धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है और यह सभी सदस्यों के लिए गर्व का विषय है। यह मेरा ही विश्लेषण नहीं है, बाहर पत्रकार कह रहे हैं, देश कह रहा है कि हमारे सभी सांसद, चाहे जिस दल से आए हों, उनका डिबेट का विश्लेषण और स्तर बहुत अच्छा है। यह अपने आप में हमारे लिए गर्व की बात है।

महोदय, आज हम लगभग इस देश में 44 लाख करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसमें टैक्सेज हैं। मोटे तौर पर सरकार हर दूसरे-तीसरे साल तीन लाख करोड़, चार लाख करोड़ रुपये व्यय बढ़ाती जा रही है। अब दृष्टि कौन सी है? आंख में जब दिक्कत होती है, तो दो प्रकार होती है। एक शॉर्ट साइटेड और एक लॉंग साइटेड। जो छोटी दूरी देखने की आंख की बीमारी होती है, उसका तो सुधार किया जा सकता है, लेकिन जब लंबी दूरी का संकट देखने से उत्पन्न होता है, उसका कोई उपाय नहीं है। यही संकट शायद दूसरी तरफ आ गया है, जिसके कारण इतने सारे वक्तव्यों का हमें सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, रिसीट्स भी भारत में बॉरोइंग्स को छोड़कर बढ़िया हैं। कल्याण जी बोल रहे थे कि राज्यों को क्या दिया जाता है। हर वर्ष हम लोग राज्यों का जो डिवोल्यूशन है, उसे बढ़ाते जा रहे हैं और 46 लाख करोड़ रुपये में से 24 लाख करोड़ रुपये तो हम लोग राज्यों को सीधे तौर पर दे रहे हैं। देश में टेलीकॉम भी चलाना है, डिफेंस भी चलाना है, रेल भी चलानी है और उसके बाद आधे से ज्यादा पैसा निकालकर राज्यों को दे रहे हैं, तो जब कोई सांसद महोदय कहते हैं कि मेरे राज्य को नहीं मिला तो उन राज्यों को सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य का संसाधन बढ़ाकर कैसे केंद्र के सहयोग से अपना रास्ता बनाएं। चाहे हमारा जीडीपी हो, उसमें विस्तार है, डेफिसिट कम होता जा रहा है। कल किसी सदस्य ने एफआरबीएम एक्ट के बारे कहा था। उस समय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और हम लोग सरकार में मंत्री थे। दुनिया की कोई ऐसी सरकार नहीं होगी, जो अपने-आप को वित्तीय खर्च के लिए बाधित करती हो। अटल जी की सरकार के द्वारा एफआरबीएम एक्ट लाकर हमने कहा कि यह सदन अपने-आप अपव्यय पर रोक लगाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, जो इस प्रकार का कानून बना सके। आज भी हम उस संकल्प के साथ अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को कम करने का प्रयास करते हैं।

महोदय, जब हम सरकार में बजट बनाते हैं, तो शायद प्रतिपक्ष को लगता होगा कि राज्य के नजरिए से बनाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जब सरकार के नजरिए को देखते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में जब हम जीतकर आते हैं। अब मेरे जैसा व्यक्ति जो लोक सभा में पांच बार,

राज्य सभा में दो बार सांसद और एक बार विधान सभा सदस्य रहा है, तो हम सब लोग कहीं न कहीं उस छोटे से गांव के उस व्यक्ति के उस एस्पिरेशन को, उस गोल को, उस नौजवान को, ओलंपिक खेल देखने वाले नौजवानों के एस्पिरेशन्स को लेकर आते हैं और बिना किसी संकोच के हम सब मिलकर यहां अपनी बात रखते हैं।

(1445/MK/PS)

लेकिन, कई सारी चुनौतियां हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, लेकिन देश की सरकार को कई सारी परस्थितियों को देखना होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ जाती है, तो वह भी हमारे बजट का प्रभावित करती है। हमारी सरकार उसको देखती है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अगर बाइडन और ट्रंप का चुनाव हो रहा है और उसके परिणाम आने वाले हैं तो हो सकता उसका प्रभाव भी पड़े, क्योंकि अब दुनिया में ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात होती है। उसका परिणाम भी हमारे भारत को प्रभावित करेगा। अगर ऋषि सुनक चुनाव हार जाते हैं और स्टार्मर जीतकर आते हैं तो पूरी दुनिया की नीति बदलती है। अगर पड़ोस के देश में कोई संकट उत्पन्न होता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है।

महोदय, आपको क्या लगता है, जब देश की सरकार यहां बजट बनाती है तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव नहीं होता है? आज देश में कम से कम 100 ऐसे विमान हैं, जिनके इंजन खराब हैं। टाइटेनियम सबसे ज्यादा रूस में होता है, वहां पर यूरोप का सैंक्शन लग गया। जब यूरोप का सैंक्शन लगा तो दुनिया भर में जहाजें बैठ गईं क्या उसका प्रभाव भारत पर नहीं होता है? अगर इजरायल का फिलिस्तीन के साथ युद्ध होता है तो उसका प्रभाव भारत पर नहीं होता है? इसलिए, देश की सरकार ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस कुर्सी पर बैठाया है, क्योंकि वे देश के दूरगामी भविष्य को सोचते हैं। क्या क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से पूरी दुनिया प्रभावित नहीं होती है? कई सारी ऐसी चीजें हैं, जिसके बारे में बजट बनाते समय देश के वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री और देश की सरकार को ध्यान देना होता है। देश की अपनी प्रॉयोरिटीज होती हैं। अगर हमारे बजट बनाने के बाद स्टॉक मार्केट गिरता है तो उसमें सामान्य लोगों का निवेश जाता है। हमें उसका भी ध्यान रखना होता है। अगर हमारे देश में मुद्रास्फीति फैलती है तो हमें उसका भी ध्यान देना होता है। देश में रोजगार बढ़े, हमारे हर राज्य में रोजगार हो, उसकी जिम्मेवारी भी हमारे पास है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ढाई लाख करोड़ रुपये रोड में, 11 लाख करोड़ रुपये कैपिटल में, पिछले साल से डेढ़-दो लाख करोड़ रुपये हमने बढ़ा दिए हैं, इन सभी चीजों को देखकर सरकार बजट बनाती है। चाहे हमारी सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, सब सरकारें इन सब चीजों को देखकर बजट बनाती हैं। यह बात अलग है कि किसकी दृष्टि कितनी है और कौन कितना दूर तक देख सकता है। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन, क्या नीतिगत फैसले बजट को प्रभावित करती हैं? अगर इस देश में हम लोगों ने 50 करोड़ लोगों को और आने वाले दिनों में हमने घोषणा की है कि जो 70 साल से ऊपर के हैं, हम उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, तो यह वित्तीय व्यवस्था है, इसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी होती है।

महोदय, जन-धन योजना में, दुनिया के किस देश में 50 करोड़ लोगों के खाते होंगे? हमने खुलवाकर दिखा दिया। Is it not a financial inclusion for the last man of the poorest men? इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएं, चाहे वह मुद्रा योजना हो या उज्ज्वला योजना हो। सरकार कानून बनाती है और वित्तीय विधेयक लेकर आती है, चाहे वह वर्ष 2017 का जीएसटी कानून हो, राज्यों से सहमति बनाकर हम लोगों ने देश की आय को बढ़ाया है। आज 17-18 लाख करोड़, हर साल डेढ़-दो लाख करोड़ बढ़ता जा रहा है। पैसे का साधन जुटाना पड़ता है। अच्छी वित्तीय व्यवस्था वह होती है, जो पैसे लेकर के, पैसे बढ़ाकर के राज्यों को समर्थन दे। हमारी सरकार राज्यों के साथ कदम में कदम मिलाकर वित्तीय व्यवस्था में चल रही है। अगर राज्यों को पैसे की जरूरत हो, आज अगर बिहार को पैसे की जरूरत है तो भारत की सरकार सिक्युरिटी स्टैंड करती है कि किस राज्य को कितना अधिक पैसे की जरूरत है। हम विदेशों से पैसे लेकर आते हैं। ये सब फाइनेंस बिल के पार्ट्स होते हैं, जिससे हम लोग देश की सरकार को चलाने में अपना समर्थन देते हैं। लेकिन, राज्य सरकारों को भी चलाना होता है। कई बार राजनीतिक रूप से टिप्पणी की जाती है।

महोदय, एक छोटा-सा कानून आया, जीएसटी को छोड़ दीजिए, उसको वर्ष 2017 में भारत के प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, लेकिन उस समय इनसाल्वेंसी कोड और एनसीएलटी एक्ट आया था। तीन लाख करोड़ रुपये 20 हजार कंपनियों ने ऐसे ही निकाल करके दे दिया, रिजॉल्व करके दे दिया, बिना एनसीएलटी में गए हुए। जब यह कानून बना तो 10 लाख करोड़ रुपये 22 हजार कंपनियों ने अपने-आप व्यवस्था करके बैंको को लौटा दिया । यह कानून होता है, जिसको सदन बनाता है, जिसमें आपकी सहमति-असहमति रहती है। बहुमत के साथ आने वाली देश की सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर का जो विधेयक था या उसमें हम लोग जो परिवर्तन लेकर आए, आज सबसे बड़ा, मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा। लिथियम का रिजर्व जम्मू-कश्मीर में है। आज पूरी दुनिया उस पर निर्भर है। इस प्रकार के विधेयक के परिवर्तन के बारे में आप कहेंगे कि हमारी सरकार है, हम लोग भाग्यशाली हैं, आज मैं लगातार तीसरी बार चुनकर आया हूं, कई लोग चार बार, पांच बार, सात बार चुनकर आए हैं, लेकिन गवर्नेंस और कंटिन्यूटी एक आवश्यक चीज है, जिसको पूरी दुनिया देखती है और उसका प्रभाव पड़ता है।

(1450/SJN/SMN)

महोदय, अगर सहमति हो, तो मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। वर्ष 2014 में जो मुद्रास्फीति थी, आप कुछ कह रहे हैं। मेरा समय समाप्त होने से 10 मिनट पहले मुझे बता दीजिएगा।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : कुल 10 मिनट्स का समय मिला है और आपको बोलते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं फिर बैठ जाता हूं।

माननीय सभापति : आप बैठिए नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं तो कह रहा हूं कि जब 10 मिनट्स शेष हों, तब आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 10 मिनट्स खत्म हो गए हैं।

माननीय सभापति : आप अपनी बात पूरी करिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं कल से बैठा हुआ हूं। मेरे जितने भी मित्र सदस्यों ने कहा कि वे मुझसे पहले बोलना चाहते हैं, तब मैंने कहा कि आप बोल सकते हैं। आपने भी बोला है।

माननीय सभापति : आपकी पार्टी की तरफ से नाम आया है। अब आपको आसन से बोलने के लिए कहा जा रहा है और आप अपनी बात पूरी करिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, आप हैं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। आप मुझे आखिरी में पांच मिनट्स दीजिएगा, क्योंकि जो 'असल' है, वह रखा हुआ है। ठीक है, मैं जल्दी-जल्दी बोल देता हूं।

हमने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया। हमारी पर-कैपिटा आय 5,00,000 रुपये के आस-पास है। हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में ऊपर गए। जब दुनिया के बैंकों को भरोसा होता है, 500 बिलियन यूएस डॉलर्स को लाख में कंवर्ट करेंगे, तो बहुत पैसा हो जाएगा। उसके अतिरिक्त पॉवर्टी इंडेक्स है। इन्डॉयरेक्ट टैक्स 15 प्रतिशत से घटकर 12.5 प्रतिशत हो गया। सब लोग कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ गया है। अगर आप कहेंगे, तो मैं पूरे सदन को बता दूंगा कि देश की सरकार कितने विवेक के साथ काम कर रही है।

माननीय सभापति : आपने काफी कुछ बताया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, सड़क की बात छोड़ दीजिए। हम रोज 57 किलोमीटर्स सड़क बनाते हैं। रेलवे ट्रैक्स 63 मिलियन किलोमीटर्स तक पहुंच गया है। अब टोल प्लाजा में रुकने का समय 40 सेकेंड्स हो गया है, पहले 12 मिनट्स हुआ करता था। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी की बात छोड़ दीजिए। मैं तो हर विषय पर नोटिस लगाता हूं। सरकार और आपके माध्यम से जब भी मौका मिलेगा, मैं बोलता रहूंगा। मेरा विषय है, मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, लॉजिस्टिक इंडेक्स, इत्यादि, इत्यादि। अब आप बताइए कि घर-घर में बच्चे हैं। हम लोग अपने संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो वायरलेस डेटा है, देश में बीजेपी की सरकार 10 सालों से है। आप कीमत लगा लीजिए, हम लोग डेटा का पैसा पे करते हैं। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है। हमारी सरकार की नीति है। उसमें आपकी भी भूमिका रही होगी।

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस करते हुए अपनी बात कहिए। माननीय मंत्री जी आपकी बात सुन रहे हैं। आप माननीय मंत्री जी से सीधे मत कहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मंत्री जी सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं। वह बोल नहीं रहे हैं। इनका विभाग है, उससे संबंधित मामला है।

माननीय सभापति : आपकी सभी बातें आ गई हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : मान्वयर, मुझे बोलने दीजिए।

10 रुपये प्रति गीगाबाइट है। दुनिया में ऐसा नहीं है। ज़िम्बाब्वे में 3,500 रुपये है, अमेरिका में 480 रुपये है, साउथ कोरिया में 400 रुपये है। हमारे बच्चे गांव-गांव में बैठकर मोबाइल फोन्स

और कंप्यूटर्स पर देखते हैं। ये सस्ती व्यवस्था किसी और सरकार ने नहीं दी है, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है। अगर इस बात को भूल जाते हैं, सरकारें कैसे चलती हैं? हम किसको अमीर और गरीब कह सकते हैं? एक समय पर या तो मछली खिला दो या फिर मछली मारने का तरीका सिखा दो, ताकि पूरा जीवन अपना पेट भर सकें। हमारी सरकार देश के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर मछली मारने का तरीका सिखाती है, ताकि वे अपना पेट भर सकें। वह एक बार की मछली नहीं खिलाती है। आप परेशान मत होइए।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात संक्षिप्त करिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, पानी पीने की बात इत्यादि है, मैं इस सबको छोड़ देता हूं।

माननीय सभापति : यह सब कुछ बजट में आ चुका है। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मुझे बिहार पर तो आना ही पड़ेगा।

माननीय सभापति : ठीक है, बिहार पर आइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, अभी तो 30 पेज बचे हुए हैं।

माननीय सभापति : मुझे मालूम है। आप बिहार पर आइए। आप सिवान पर आइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं आगे आपकी बात नहीं मानूंगा। आज मान लेता हूं। अब मैं कुछ इंट्रेस्टिंग बात बताता हूं। मैं आपके आदेश पर इन सब कागजों को रख देता हूं।

अब विपक्ष को किस बात की चिंता है? हम अफ्रीका से 'शी-नट' इंपोर्ट करते हैं। वह किस काम आता है? भारत में जो खूबसूरती की इंडस्ट्री है, चेहरा, स्किन, देखना, आपका, हमारा, हमारी बहनों का, वहां से 'शी-बटर' इंपोर्ट होता है, हमने उस पर टैक्स हटाया है। हमारे बच्चे अच्छे दिखें, हम-आप अच्छे दिखें, भारत की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है। हमने इसका निर्णय किया है।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं इंटर्नशिप की बात छोड़ देता हूं। देश की सरकार किस प्रकार से सेमी कंडक्टर्स के लिए काम कर रही है। कल यहां पर हमारे मित्र कुछ कह रहे थे।

माननीय सभापति : आप सबकी बात का जवाब मत दीजिए। आपको बोलते हुए ऑलरेडी 14 मिनट्स हो गए हैं।

(1455/MM/SM)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, सेमी कंडक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूं कि कई सारे रेयर मिनरल्स का दाम कम कर दिया है, निल कर दिया है। ये रेयर मिनरल्स बहुत उपयोगी होते हैं। सुपर कम्प्यूटर क्या है? अमेरिका में 107 हैं, चीन में 140 हैं और भारत में 4 सुपर कम्प्यूटर्स हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने और देश ने फैसला किया है कि हम किस प्रकार से रेयर मिनरल्स का उपयोग करेंगे। आपको याद होगा कि पहले रेडियो और ट्रांज़िस्टर्स होते थे, लेकिन आज एक माइक्रोचिप में पूरे भारत और दुनिया का डेटा समा जाता है। इसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मैं बिहार की बात कहकर समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति : आपने अंतरराष्ट्रीय बात कर ली, राष्ट्रीय बात कर ली, बिहार का इन्हीं में समावेश है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, मुझे दो मिनट दीजिए।

माननीय सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, हमारे पास न पंजाब की तरह इंडस्ट्री है, न हरियाणा की तरह स्पोर्ट्स है, न गुजरात की तरह टैक्सटाइल्स है और न तमिलनाडु की तरह इंडस्ट्री है।

माननीय सभापति : आप तुलना मत कीजिए, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : महोदय, हमारा बच्चा जब गरीब होता है तो बिहार से निकलकर सूरत और लुधियाना जाता है। जब पंजाब का गरीब होता है तो वह कनाडा और लॉस एंजिलिस जाता है। हम इस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं।

माननीय सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री राम शिरोमणि वर्मा।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सर, केवल 10 सेकंड दीजिए।

महोदय, अगर आप नक्शे पर एक लकीर खिचेंगे तो देखेंगे कि पुराने काल से उन्नति पश्चिम क्षेत्र में है और जो गरीबी है, वह पूर्व क्षेत्र में है, चाहे नॉर्थ-ईस्ट में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे ओडिशा में हो। भारत की सरकार ने बिहार के लिए सोचा है और नेपाल से जो बारिश का पानी आता है और हमारे यहां तबाही फैलाता है। उसके ऊपर बैराज बनाने के लिए 12-15 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह स्वागत का विषय है। बिहार की आबादी 14 करोड़ है। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : आपकी बातें रिकॉर्ड पर आ गयी हैं।

श्री राम शिरोमणि वर्मा।

1458 बजे

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त (संख्याक 2) विधेयक, 2024 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, जो भारत-नेपाल सीमा से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा आकांक्षी जनपद है। यह भगवान गौतम बुद्ध जी की धरती है। यह एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थली है। यहां देश-विदेश से लाखों तीर्थ यात्री और भिक्षु हर साल दर्शन करने आते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में आजादी के 77 साल बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को पांच करोड़ रुपये वार्षिक से बढ़ाकर कम से कम 25 करोड़ रुपये वार्षिक किए जाने के संबंध में -

सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल से सटे तराई में बसा है जो अत्यंत पिछड़ा है। यहां अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा निवास करते हैं। अमूमन एक लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब पांच विधान सभा क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक सांसद को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पैसा मिलता है, जो इतने बड़े क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही कम है। जबकि उत्तर प्रदेश के एक विधायक को एक विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष पांच करोड़ रुपये मिलते हैं। उक्त निधि से एक सांसद एक विधान सभा में केवल एक किलोमीटर सड़क बना सकता है। यही उसका बजट है। इससे इतने बड़े क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है? अत: सरकार से मेरी मांग है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास वार्षिक निधि को पांच करोड़ रुपये बढ़ाकर कम से कम 25 करोड़ रुपये वार्षिक किया जाना चाहिए।

(1500/YSH/RP)

साथ ही सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पर लगने वाले जीएसटी से भी मुक्त रखा जाए। बिजली की समस्या के संबंध में कहना चाहता हूं कि आज जिस मात्रा में किसानों और व्यापारियों को बिजली मिलनी चाहिए उस मात्रा में उनको बिजली नहीं दी जा रही है। उन्हें पर्याप्त बिजली नही पहुंचाई जा रही है। कहीं पर 2 घंटे, 5 घंटे या 7 घंटे ही बिजली रहती है। हमारा क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर भी इस क्षेत्र में आता है। वहां लो वोल्टेज की समस्या पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। वहां आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, चाहे शहर हो, गांव हो या कस्बा हो, जगह-जगह पर बिजली की तारें पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार का ध्यान देश के अन्नदाता की तरफ दिलाना चाहता हूँ। किसान को खेती करने के लिए, उनकी फसलों की सिंचाई के लिए सरकार को फ्री बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही लो वोल्टेज की समस्या का निदान करते हुए, उन्हे पर्याप्त रोस्टर के मुताबिक बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्युत

कनेक्शन क्षमता के अनुरूप ट्रांसफार्मर की क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। मैं सहारा इंडिया ग्रुप में निवेशकों के जमा पैसे को वापस कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, सहारा इंडिया ग्रुप और उनके एजेंटों द्वारा भोले-भाले गरीब, किसान, व्यापारी और निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को दो गुना, तीन गुना का लालच देकर विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा कराए गए पैसे को जल्द से जल्द वापस दिलाया जाना चाहिए, जिससे जिन निवेशकों की मृत्यु हो गई है, उनके नॉमिनी को उनका पैसा मिल सके। साथ ही साथ किसानों के खेती में उपयोग में आने वाले उपकरणों पर सब्सिडी दिए जाने के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, किसानों को खेती करने के लिए उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें जीएसटी से मुक्त रखा जाए। किसानों द्वारा खेती मे प्रयोग की जाने वाली रासायनिक खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, डीएपी, यूरिया आदि पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। आज शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब होता जा रहा है। बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के दौर में बच्चों की शिक्षा आज बहुत ही महंगी हो गई है। सरकार फ्री शिक्षा की व्यवस्था लागू करे, जिससे देश का गरीब, मजदूर, किसान और महिलाएं, सभी शिक्षित हो सकें। इससे घर-घर का विकास होगा। साथ ही साथ मैं आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की सबसे बड़ी समस्या उनके मानदेय को लेकर है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : माननीय सदस्य, आप मैम्बर और चेयर के बीच में से मत जाइए।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सभापति महोदय, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के बन्द होने के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यह योजना वर्ष 1993 से चल रही थी। इस योजना के तहत लगभग 22 हजार मदरसा शिक्षकों का वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक का बकाया मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। आपका समय हो गया है।

… (व्यवधान)

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सर, मुझे एक मिनट दे दीजिए। साथ ही साथ इस योजना का नवीनीकरण, मदरसा आधुनिकीकरण योजना (SPREMM) का अभी तक नवीनीकरण नहीं किया गया है। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : डॉ. आलोक कुमार सुमन जी।

1504 बजे

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदय, यह विदित है कि दी फाइनेंस बिल, 2024 भारत सरकार के सभी फाइनेंशियल प्रपोजल, जो कि वर्ष 2024-25 के लिए है, को लागू करेगा। इस फाइनेंस बिल का प्रोविजन डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, जो कि इंकम टैक्स एक्ट, 1961 को अमेंड करेगा। यह डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की परेशानियों से रिलीफ देगा और इसे रेशनेलाइज बनाएगा। यह विधेयक ब्लैक मनी, अनडिसक्लॉज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स और इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 को भी अमेंड करेगा, ताकि लोगों को रोजगार मिले तथा भारतवर्ष में निवेश हो।

महोदय, पिछले दो हजार वर्षों की आर्थिक संवृद्धि पर अध्ययन करने के लिए निकले हुए एंगस मेडिसिन ने दिनांक 18 सितंबर, 2006 को अपनी रिपोर्ट 'दी वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियर प्रास्पेक्टिव' में भारत का आर्थिक नवोत्थान का ब्यौरा दिया है।

(1505/RAJ/NKL)

हम शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी की बात करते हैं, तो वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान 1000 ईस्वी में 28.9 प्रतिशत, वर्ष 1973 में 3.1 प्रतिशत और वर्ष 2001 में 5.4 प्रतिशत था, लेकिन वर्तमान में भारत का योगदान 10 प्रतिशत है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे लगभग 18 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य है।

महोदय, वर्ष 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसके साथ ही आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी। यह युनाइटेड नेशन की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। पहले विश्व बैंक खड़ा हुआ, उसके बाद वर्ष 1948 में गैट की स्थापना हुई। 27 मई, 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में अरविंद पनगढ़िया लिखते हैं कि वर्तमान दौर में ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, वैश्विक व्यापार चरमरा रहा है, लेकिन यह हमारी सरकार माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का फल है कि भारत का योगदान विश्व की जीडीपी में 10 प्रतिशत से बढ़ कर 18 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

महोदय, वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि मुझे भारत में न ही कोई भिखारी मिला और न ही कोई बेरोजगार दिखा। वर्तमान में, मेरा इस पर सुझाव है कि हमें देश की वर्तमान स्थिति को ग्लोबल मार्केट फोर्सेज के सामने अधिक मजबूत करना चाहिए। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन की नजर 144 करोड़ जनसंख्या वाला देश, भारत के बाजार पर है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि देश की उत्पादकता कैसे बढ़े और हमें ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले?

महोदय, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की रिपोर्ट वर्ष 2021 में यह अनुमान लगाया गया है कि 50 मिलियन नई नौकरियों का सृजन होगा और इससे निश्चित रूप से हमारे युवाओं को फायदा होगा।

महोदय, सौम्य कांति घोष जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च से हैं, वे कहते हैं कि फाइनैंशियल ईयर 2025 में सीपीआई इंफ्लेशन लगभग 4.6 प्रतिशत से 4.7 प्रतिशत रहने की संभावना है। मेरा सुझाव है कि शहरी एवं ग्रामीण इंफ्लेशन कम से कम हो, ताकि कंज्यूमर्स को नुकसान न हो और देश प्रगति करे।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, इस क्रम में भारत सरकार ने 6,181.41 करोड़ रुपए आवंटन किए है, जिसमें से 5682.5 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से शेष 498.87 करोड़ रुपए, बकाया राशि अविलंब जारी करने के लिए आग्रह करता हूं।

महोदय, वर्ष 1844 में कार्ल मार्क्स अपनी बुक इकोनॉमी एंड मैनुस्क्रिप्ट में कहते हैं कि एक ऐसा समाज हो, जिसमें न कोई राष्ट्र होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई परिवार होगा, न ही निजी संपत्ति होगी, लेकिन यह विचारधारा हमारी भारतीय संस्कृति पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, सबका साथ – सबका विकास की बात करते हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस फाइनैंस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।... (व्यवधान)

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Now, Shri N.K. Premachandran. You have five minutes to speak.

1508 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have given 21 notices of amendments. I have already talked to the hon. Speaker, and he has agreed to allot me 10 to 12 minutes. The hon. Speaker has already agreed to that.

Sir, I will speak fully within the ambit of the Finance Bill. … (*Interruptions*) About 21 notices of amendments are also there. … (*Interruptions*)

Sir, I rise to oppose the Finance Bill, 2024 as it is against the federal fiscal policies, ignoring the middle-class and lower middle-class, thereby enhancing the inequality in Indian society. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri N.K. Premachandran ji.

… (Interruptions) … (Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Deepender Hooda ji, you are aware of it. Let him complete the speech. Only then, I can call him.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am opposing the Finance Bill on three grounds. First, it is against the federal fiscal policies; second, it is ignoring the middle class and the lower middle class, thereby enhancing the inequality in Indian society; and third, it is promoting and providing undue benefits to the rich class and corporate houses.

(1510/VR/KN)

Sir, the Finance Bill, 2024 is to give effect to the taxation proposals for the financial year 2024-25, and this Bill intends to give effect to the taxation proposals for a gross tax revenue of Rs.38,40,170 crore. Out of this, the Union Government’s net tax revenue is Rs.25,83,499 crore. The tax revenue in the Budget Estimates seems to be realistic and I hope that the Budget Estimates is correct and it can be achieved. But it is estimated that the Government's total debt during the current fiscal year is rising to Rs.185 lakh crore, that is, 56.8 per cent of the GDP, which was 58.2 per cent at the end of March, 2024.

In this scenario, I would like to ask a specific question to the hon. Finance Minister. How is she going to contain the fiscal deficit at 4.9 per cent

for 2024-25, and how will she contain it at 4.5 per cent in the financial year 2025-26? It may be possible to contain fiscal deficit at 4.9 per cent for the current year because we have got Rs.2,10,000 crore as a dividend from the Reserve Bank of India, but what about 2025-26? How is she going to contain the fiscal deficit as mandated by the FRBM Act for the financial year 2025-26? I am seeking a clarification in this regard from the hon. Finance Minister.

Sir, now let me come to the taxation proposals. This is a new subject. I would like to point out that household savings was the major strength of the Indian economy. Once the net household savings were 10 per cent of GDP, which later came to 7.5 per cent of GDP, and now it is just about 5.5 per cent of GDP. Why has it come down? The reason is that all the benefits, exemptions, deductions which were provided to the household savings were drastically taken away, and you are not touching the higher income groups. The higher income groups are not being targeted in the Budget and in the Finance Bill to earn more revenue.

Sir, I would like to cite an example regarding the higher income groups where the annual income is between Rs.50 lakh and Rs.1 crore. I have very interesting statistics. In the year 2021-22, it was only 1,84,300 persons who were submitting returns. In 2022-23, the number of persons submitting returns was 2,52,000. In 2023-24, the number of such persons is 3,34,000. That means, a 40 per cent average increase in number of persons in the higher income group.

Sir, now come to the higher income group where the annual income is between Rs.1 crore and Rs.5 crore. Again, these are very interesting statistics. This is the group of people whose income is Rs.45 lakh per month. Now, let us see the increase in the number. In 2021-22, it was 64,774 persons who were filing the returns. In 2022-23, the number of persons filing the returns was 91,425. In 2023-24, the number has gone to 1,10,665 persons. There is no additional taxation on the higher income groups.

Chairman, Sir, the per capita annual income is just Rs.2,25,000. All these figures go to show that the so-called economic growth is not complying with the provisions of equity, and so-called growth is a jobless growth. This is well established out of these statistics.

Sir, now, I come to the second point which is regarding the retail traders. Due to the online trading and the multi-chain shops run by multinational corporations, the small and medium traders are on the brink of collapse. They are struggling to survive. They are not able to compete with the multinational corporations. Further, we have to note that this is a labour-intensive sector. There are about four crore of retail traders in the country. If we multiply it into five, it will be about 20 crore of people who are depending on the small and medium traders in the country. But they are struggling to survive because of the multinational corporations, big malls, and online shopping. Now, they are demanding to have ESI medical benefits because they are finding it very difficult to have proper medical care for themselves. So, my suggestion to the Government is that a reasonable restriction by imposing a cess may be introduced on the online trading.

Sir, the third point is with regard to the scrapping of 18 per cent GST on life and health insurance premium. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): How many more points do you have to speak? You have already taken more than six minutes. Please conclude.

(1515/SAN/VB)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am already submitting in brief.

Sir, the Government should scrap 18 per cent GST on life and health insurance premia. Right to proper medical care is a Fundamental Right envisaged in Article 21 of the Constitution. Right to proper medical care will come within the ambit of right to life under Article 21 of the Constitution. If that be the case, it is a mandatory obligation on the Government to see that proper medical care is being provided to the people. Imposition of 18 per cent GST on life and health insurance premia tends to penalise individuals seeking to protect themselves and their families against the life's uncertainties, for which my amendment is there.

Sir, my fourth point is about the import duty on raw cashew nuts. Cashew industry is facing a severe crisis – I am from the district of Kollam which is the cashew capital of the country – and 90 per cent of the cashew industry is closed. There is a 2.5 per cent import duty. I urge upon the Government of India, and in particular the Finance Minister, to withdraw this 2.5 per cent customs duty on import of raw cashew nuts and also declare a comprehensive package to revive the traditional industry in the cashew sector.

Sir, my next point is regarding the PF pension.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): This is your sixth point.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, there are two or three more points.

Sir, so many interventions from your side are also losing my time. …(*Interruptions*)

Sir, regarding the PF pension, the Supreme Court judgement is there which was delivered on 04.11.2022. now, the pensioners are entitled to get a higher pension on giving the arrears of the contribution which they have to pay. Though they have already paid the arrears, but it is unfortunate that it is taking so much time in getting the pension to them. Further, when they are getting the arrears of the pension, income tax is being imposed on it. So, my another suggestion is to kindly withdraw that tax.

Sir, my final point is that this Budget is an anti-federal fiscal policy. I will substantiate that point and then conclude. I am saying this because the Union Government is reducing the financial transfers to the States. The 14th Finance Commission's award was 42 per cent to the States. The 15th Finance Commission's award was 41 per cent to the States. In the financial year 2015-16, transfer to the States was just 35 per cent. When we come to financial year 2023-24, it has come down to 30 per cent. In 2015-16, the revenue of the Union Government …(*Interruptions*)

Sir, I am concluding. The growth of Union tax revenue has more than doubled during this period, but the share of the States has just doubled. Further, the grants-in-aid are also declining like anything.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, cess and surcharge collection is also increasing like anything, but 'cess and surcharge' is not coming within the purview of the divisible pool. As a result, the Union Government is getting the benefit while the States are suffering.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Finally, with respect to Centrally-sponsored schemes also, the State's liability and burden is increasing.

My point is that since the Finance Bill is not addressing the general, common issues of the people and is an anti-federal fiscal policy, I do oppose the Finance Bill moved by the hon. Finance Minister.

With these words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1518 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

1518 बजे

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : माननीय सभापति जी, जिस दिन से बजट सेशन की शुरुआत हुई है, उस दिन से जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, वे एक ही बात कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी पूरे विश्व में पाँचवें नम्बर पर चली गई है। यह अच्छी बात है। कल भी सत्ता पक्ष के एक साथी ने कहा कि हम जल्दी ही तीसरे नम्बर पर पहुंच जाएंगे। सर, यह अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हम नम्बर एक पर चले जाएं। लेकिन 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देने वाली सरकार से 140 करोड़ लोगों का सवाल है कि हम पर-कैपिटा इनकम में कहाँ खड़े हैं? सर, हम पहले पाँच में भी नहीं, दस में भी नहीं, बीस में भी नहीं, तीस में भी नहीं, पचास में भी नहीं, सौ में भी नहीं, बल्कि हम 136वें नम्बर पर हैं। हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे।

स्पीकर साहब, 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 परसेंट लोग ही हैं, जिनके पास देश की 40 परसेंट सम्पत्ति है, वैल्थ है। आश्चर्य की बात है कि जो 40 परसेंट वाले लोग हैं, वे सिर्फ 23 परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। सारा का सारा बोझ मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ रहा है। आप देखिए, 32 लाख करोड़ रुपए में से साढ़े 14 लाख करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। इस तरह से, जो आम लोग हैं, उन पर टैक्स लगते हैं क्योंकि जो कारपोरेट वाले लोग हैं, उनके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा आईटीसी के जरिए वापस हो जाता है।

(1520/PC/SNT)

उसके बाद जो सैलरीड, तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए हम उनमें से काटते हैं। आप देखिए कि 40 परसेंट वैल्थ वाले लोग सिर्फ 23 परसेंट पे कर रहे हैं। हमारे मेंबर्स कह रहे हैं कि वे तीन लाख करोड़ टैक्स दे रहे हैं। सर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तीन लाख करोड़ रुपए टैक्स देने वालों की आप संपत्ति की बात करें, तो पिछले पांच सालों में, जो दो बड़े साहब हैं, उनमें से एक साहब की 25 गुना संपत्ति बढ़ गई। इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक बात पिछले कई दिनों से चल रही है कि कौन-कौन बड़े लोग शादी में गए। सर, हमें शादी में जाने वालों से भी आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात पर आपत्ति है कि प्रधान मंत्री जी कोई साधारण आदमी तो हैं नहीं, सारी एजेंसीज़ उनको रिपोर्ट करती हैं, पूरी इंटेलिजेंस उनको रिपोर्ट करती है।

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि ट्रक भर-भरकर अपोजीशन के घर चंदा गया। प्रधान मंत्री जी ने उस टाइम पर्चा दर्ज क्यों नहीं करवाया? आंध्र प्रदेश में कहा, इलेक्शन्स में, तेलंगाना में कहा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कभी भी बाहर के स्टेटमेंट को यहां दर्ज नहीं करते हैं।

… (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सर, उन्होंने पर्चा दर्ज क्यों नहीं करवाया? अगर कोई ऐसी रिपोर्ट थी, तो फिर प्रधान मंत्री जी शादी में क्यों गए? यह सरकार केवल और केवल अपने जो बड़े दोस्त हैं, उनको सुविधा देने का, उनका कॉरपोरेट टैक्स कम करने का और उनको और बड़ा

बनाने का काम कर रही है। … (व्यवधान) जो देश के आम लोग हैं, आम नागरिक है, जो मिडिल-क्लास है, आप देखिए कि जो 50-60 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, पहले तो आपने उस पर डायरेक्ट टैक्स लगा दिए, उस पर इनकम टैक्स लगा दिया। उसके बाद उसने स्कूटर परचेज़ किया, कोई मोटरसाइकिल परचेज़ की, 31 परसेंट टैक्स उस पर लगा दिया। उसे उसकी रिपेयर करवानी है, तो 28 परसेंट टैक्स उस पर है। अगर वह उसे सड़क पर लेकर जाएगा, तो उस पर भी टैक्स है। उसके बाद उसमें पेट्रोल-डीजल डलवाएगा, तो 50 परसेंट टैक्स उस पर भी है।

सर, खाने से लेकर पीने तक, हर जगह पर वह टैक्स दे रहा है। जिनको तीन लाख करोड़ रुपए का फायदा दिया गया, वे सिर्फ 23 परसेंट लोग हैं, जो टैक्स दे रहे हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि देश के जो आम लोग हैं, जो 140 करोड़ लोग हैं, उन पर जो बोझ है, वह कम किया जाए, क्योंकि यह सबसे जरूरी है। नेशनल हैल्थ पॉलिसी की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने भी कहा कि सरकार का कम से कम 2.5 परसेंट हैल्थ बजट होना चाहिए। आपने उसे भी 0.5 परसेंट कर दिया। अगर हम बजट नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम जो हैल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी है, उसे भी कम किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है, उसे भी खत्म किया जाए।

यह सरकार कितनी ऐसी पॉलिसीज़, कितनी ऐसी स्कीम्स लेकर आई है, जिनकी या तो बाद में बात नहीं करते या उन्हें बीच में छोड़ दिया जाता है। आपने 'स्किल इंडिया' की बात की थी, वर्ष 2023 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल्ड बना देंगे। सर, अब उसकी बात ही नहीं हो रही है? आपने कहा कि फार्मर्स की आमदनी को वर्ष 2022 तक डबल कर देंगे। अब उसकी भी बात नहीं हो रही है? आपने एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट पर भी टैक्स लगा दिया, जिसका सीधा बोझ पंजाब के, देश के किसानों पर पड़ेगा।

आपने कहा कि एफडीआई में अगर हम कॉरपोरेट्स को छोड़ देंगे, तो एफडीआई बढ़ेगा। सर, वह भी नहीं बढ़ रहा, उसकी बात ही नहीं हो रही है? मैं समझता हूं कि पिछले दस सालों से जो हो रहा है, इस बजट को भी बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स के मद्देनज़र ही तैयार किया गया है और जो देश के आम नागरिक हैं, उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है।

सर, लास्ट में पंजाब के किसानों के पॉइंट-ऑफ-व्यू से मैं यही कहूंगा कि जो एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट्स हैं, उन पर जो टैक्स है, उसे खत्म किया जाए।

धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया जी।

… (व्यवधान)

भारतीय रेसलर को पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर करने के बारे में वक्तव्य

1524 बजे

श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) : माननीय स्पीकर सर, मैं भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन (100 ग्राम) होने की वजह से पेरिस ओलिंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी।

स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार, सभी प्रतियोगिताओं के लिए, संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन-माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार "यदि कोई एथलीट वजन माप (प्रथम अथवा द्वितीय) में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाएगा।"

7 अगस्त 2024 को, 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 07:15 - 07:30 पेरिस समय के अनुसार रेपेचेज (repechages) और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था।

(1525/CS/SRG)

विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गईं। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पी.टी.ऊषा जी भी अभी पेरिस में हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके साथ बातचीत की है और उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उनको कहा गया है।

विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थीं। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन की ओकसाना लिवाच और प्री-क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांट से मुकाबला करना था।

जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है... (व्यवधान) उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं... (व्यवधान) उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच वोलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलम्पिक के लिए इनके

अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

1. वोलर अकोस, कोच के रूप में उसके साथ थे।
2. वेन पैट्रिक लोम्बार्ड, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ
3. अश्विनी जीवन पाटिल, फिजियोथेरेपिस्ट
4. मयंक सिंह गरिया, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ
5. शुभम और अरविंद, स्पारिंग पार्टनर

इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल ₹70,45,775 की वित्त सहायता दी गई है। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता। साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 (10 दिन) तक मैड्रिड, स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा, फ्रांस के बुलोन सु-मेर में पूर्व-ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है।... (व्यवधान)

2024 अंतराराष्ट्रीय कुश्ती संघ (UWW) 2nd रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 (4 दिन) तक बुडापेस्ट, हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 (11 दिन) तक Tata Olympic centre, हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है।... (व्यवधान)

स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच - Mr. Wayne Patrick Lombard के लिए Tata Olympic center, हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 (11 दिन) तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है।... (व्यवधान)

13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 (4 दिन) तक बुडापेस्ट, हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 26 जुलाई 2023 (16 दिन) तक बुडापेस्ट, हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु उसको वित्तीय सहायता की है।... (व्यवधान)

बेल्मेकेन, बुल्गारिया में 10.11.2022 से 03.12.2022 (23 दिन) तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है।... (व्यवधान)

उनके rehab प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है।... (व्यवधान)

(क) 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र ₹1,13,98,224 का आर्थिक सहयोग उनको किया गया था।... (व्यवधान)

(ख) 2024 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी TOPS (टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम) : ₹ 53,35,746 एवं ACTC (वार्षिक ट्रैनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर) ₹17,10,029/- कुल मिलाकर ₹ 70,45,775 हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम किया गया है।... (व्यवधान)

(इति)

(1530/IND/RCP)

वित्त विधेयक (संख्यांक 2) 2024 – जारी

1530 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री माधवनेनी रघुनंदन राव।

… (व्यवधान)

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव (मेडक) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।… (व्यवधान) प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2024 का बजट देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए ज्यादा पारदर्शिता के साथ सदन में पेश किया है।… (व्यवधान) इस बिल में कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जो माननीय सांसद अपनी बात कह रहे हैं, उन लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं कि we brought transparency in the Income Tax Department as well as in the other Departments also due to which the number of persons, who respect the Government, has been increased and the number of taxpayers has been increased in this country. Such a transparency has been brought in the Income Tax Department.… (*Interruptions*) A person who is filing his income tax return does not know where it is being scrutinised and who is scrutinising his income tax return. The officer also does not know where the application came from. Such a type of transparency has been brought in the income tax system. So, the number of taxpayers has been enormously increased in this country. This clearly shows that the people of this country are showing confidence in the Government led by hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष जी, तेलंगाना राज्य में पहले बीआरएस की सरकार थी और जो सरकार छह महीने पहले आई है, इन दोनों सरकारों ने चाहे कांग्रेस सरकार है या बीआरएस सरकार थी, कभी भी राज्य में कुछ अच्छा होता है तो वे कहते हैं कि हमने किया है और यदि कुछ बुरा होता है तो वह सेंटर पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं।… (व्यवधान) 10 सालों का बीआरएस सरकार का राज हो या पिछले छह महीने से कांग्रेस के राज को ले लीजिए, यदि केंद्र सरकार राज्य के लिए कुछ अच्छे काम करती है तो उस अच्छे काम का ये जिक्र नहीं करते हैं और केंद्र सरकार को बदनाम करने की पॉलिटिक्स करने के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं।… (व्यवधान)

Sir, in Telangana, Rs.28,88,11,000 of public money had been spent by the then TRS Government for 10 years which was found fault with by the C&AG Department. The C&AG said that there is no permission for spending these Rs.28,88,11,000. Even if you come to the Pradhan Mantri Awas Yojana,

the Central Government has implemented the Pradhan Mantri Awas Yojana, like in other States, in Telangana also. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, the Central Government is giving money….(*Interruptions*) Shri K. Chandrashekar Rao says that he is giving money in the name of 2 BHK. But unfortunately, they never say that the Central Government has given the money under the Pradhan Mantri Awas Yojana….(*Interruptions*) The new Government, which is headed by the Congress Party and Mr. Revanth Reddy, is saying that they are going to give Indiramma houses, but they are also not saying that this money is being given by the Central Government under the leadership of Narendra Modi ji for Pradhan Mantri Awas Yojana….(*Interruptions*)

At least, he should say that they want to correlate the money of the Pradhan Mantri Awas Yojana with Indiramma Houses. Similarly, so many schemes were given by the Central Government to the State and the money had been disbursed. Earlier, under the UPA rule, devolution of only 32 per cent of funds was there. Now it has been increased to 42 per cent, but no one is saying that the States are getting 42 per cent of the funds…. (*Interruptions*) इसमें भी पैसे कम कर दिए हैं, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष जी, हम पहली बार जीत कर आए हैं। ये लोग इतने सीनियर हैं और पांच या छह बार से सांसद हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर लैला को देखना है तो मजनूं की आंखों से देखो। यदि इस बजट को देखना है तो निर्मला सीतारमण जी की आंखों से देखो, गरीब की आंखों से इस बजट को देखो।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सिर्फ दो मिनट बोलने का मौका दिया है।… (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, हम एक स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रूल-372 में यह स्पष्ट है कि सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है। मंत्री जी का स्टेटमेंट मांगा, मंत्री जी ने आपको स्टेटमेंट दे दिया।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी मांग पर स्टेटमेंट दिया। लोक सभा के अंदर नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत स्टेटमेंट पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता है।

माननीय सदस्य, आप अपना भाषण कंटीन्यु कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : महोदय, हमें आपका संरक्षण नहीं मिल रहा है और आप स्पष्टीकरण पूछने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम वॉकआउट करते हैं।… (व्यवधान)

1535 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्री हनुमान बेनीवाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।)

(1535/PS/RV)

SHRI MADHAVANENI RAGHUNANDAN RAO (MEDAK): Sir, in the year 2014, when the hon. Prime Minister Narendra Modi-led Government came into power, there was a demand to bring 'One Nation, One Tax'. कांग्रेस के लोग अपने को सोनिया जी का 'मानस पुत्र' कहते हैं।… (व्यवधान) But they failed to introduce the GST Bill. From 2004 to 2014, after 10 years of their governance, they could not bring the GST. But the GST was introduced in this country under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi ji. In the year 2017, when it was introduced for the first time, Rs. 68,000 crore came as tax in the country under the GST in the first month. And in the last month, the tax has grown up to Rs. 2 lakh crore. This is all happening because of the transparency, and also, because of this Government which is doing all these things for the poorest of the poor. But the Opposition leaders always want to blame the Government by saying one or the other things.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात कन्क्लूड करना चाहता हूं। अगर वर्ष 2024 के बजट को सही तरीके से देखना है तो तेलुगु में एक कहावत है कि 'अगर लैला को देखना है तो उसे मजनूं की आंखों से देखना है।' इन लोगों को अगर इस बजट को देखना है कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति की आंखों से देखना होगा। मगर, वे लोग जो 'A1', 'A2' का नाम लेते हैं और उनके यहां ये लोग जो दावत खाने जाते हैं, अगर उनकी आंखों से आप इसे देखेंगे तो यह बजट आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहली बार जीत कर आया हूं। मुझे आपने पहली बार फाइनैंस बिल के ऊपर बोलने का समय दिया, मगर उन लोगों को तो कितने घंटे बोलने का अवसर दिया, फिर भी उन लोगों ने बजट के ऊपर एक शब्द भी अच्छा नहीं बोला।

महोदय, मैं पहली बार तेलंगाना से जीत कर आया हूं, जहां बी.आर.एस. और कांग्रेस पार्टी ने केन्द्रीय सरकार से पैसे लिए और फिर भी हमें बदनाम करते हैं। कल के बजट में सिर्फ दो आइटम्स के ऊपर तेलंगाना सरकार को 48,000 करोड़ रुपये दिए गए, मगर हमारे यहां तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाकर यह कहती है कि 'तेलंगाना ने भाजपा को 8 एम.पी. दिया, पर उन्होंने यहां 8 पैसे भी नहीं दिए।' वे पांचवीं क्लास पढ़े हुए हैं या सातवीं क्लास पढ़े हुए हैं, हमारे सी.एम. ने कहां तक पढ़ाई की है, यह मैं नहीं बोल सकता, मगर जो आदमी इस बजट को सही तरीके से नहीं देख सकता, उसे मैं क्या बोल सकता हूं?

निर्मला सीतारमण जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में हर स्टेट को इक्वल ऑपोर्च्यूनिटी देकर आगे बढ़ाने के लिए जो फाइनैंस बिल लाया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

धन्यवाद। (इति)

1538 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, hon. Speaker, Sir.

Sir, the threshold of Rs. 2.5 lakh under the old regime has remained unchanged since 2012-13. Prior to that, it was Rs. 2.40 lakh for 2010-11. The Cost Inflation Index since 2010-11 has gone up to 2.17 times. When the Income Tax Act itself is acknowledging the inflation in the economy, why are the poor and the middle-class being taxed on the same threshold? If a middle-class citizen was earning Rs. 2.5 lakh in the financial year 2009-10, it cannot be equated with the same Rs. 2.50 lakh in the financial year 2024-25. On account of this, the income is being taxed twice – first, due to inflation and second, under the Income Tax Act.

Sir, why is the old tax regime being given a stepmotherly treatment by the Finance Minister? All the additional benefits are being given only under the new tax regime like 80CCD. This will discourage people from saving money in the traditional forms of life insurance policies, PPF, bank deposits, etc. In fact, the banks are already facing a fall in their deposits. The old tax regime should equally be encouraged, and should not be discouraged as has been done since the past few Budgets. As someone has rightly said, 'Tax should be extracted like the honeybee extracts honey from flowers'. Presently, this Government is extracting tax like blood being sucked by leeches, especially of the tax compliant taxpayers. At least, under the new tax regime, the threshold should be linked to inflation. This will go a long way in demonstrating that the tax legislation is fair, and that in turn will improve compliance.

1539 hours (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

Sir, block assessment is sought to be reintroduced. The reassessment provisions are again sought to be tinkered. When the Parliament in its wisdom had done away with the block assessment proceedings for search cases, where is the need to revisit again? These frequent changes in such an important piece of legislation, which are unnecessary and unwarranted, will lead to avoidable litigations, and further burden the courts.

(1540/SMN/MY)

When a concession was given decades back only on the basis of an additional levy, can the concession be withdrawn while the additional levy continues? This is backstabbing. This is exactly what has been proposed.

The STT (Securities Transaction Tax) was levied on buying and selling of equity shares and mutual fund units accompanied with reduction in the tax rates on capital gains on such securities.

Now, the rate of capital gains tax is proposed to be increased while the STT remains. People lose their faith in the Government with such steps. For example, LTCG on equity shares. The existing rate is 10 per cent over Rs. 1,00,000. Now, the proposed rate is 12.5 per cent over Rs. 1,25,000. Now, the STCG on equity shares is 15 per cent. The proposed is 20 per cent.

The long-term capital gains tax on other assets is *prima facie* being reduced. However, the benefit of indexation is being withdrawn. Again, this is a retrograde step. The CII method was a well-thought and has been working fine for the past several decades. Why repair something which is not being broken? I will give an example. Purchase of a flat in 2001. One existing unit is Rs. 15 lakh. Proposed is also Rs. 15 lakh. The capital gains tax is Rs. 20.55 lakh. Proposed is Rs. 60 lakh. The capital gains tax is Rs. 4.11 lakh. Proposed is Rs. 7.05 lakh. This is 82 per cent increase of tax liability. In fact, in all the new tax regime, the rate of 12.5 per cent without indexation should be optional.

As announced by the Finance Minister on August 6, 2024, it is not enough if it is made applicable prospective from 23rd July. The option should be left to the taxpayer even for new assets purchased.

Where is the need for this new Section? That is Section 194T-TDS at 10 per cent interest on capital and remuneration to partners above Rs. 20,000. The purpose of TDS is to ensure that the income does not escape taxation. In the case of a firm, there is no such risk. The remuneration to working partner is typically calculated at the time of preparation of the financial statements. How will the tax payer comply with the TDS deadlines?

Now, another important point is Section 206C(1F). Presently, the TCS is at one per cent on motors above Rs. 10 lakh. Now, from 1st January, 2025,

this is applicable to luxury goods as notified above Rs. 10 lakh. This is unnecessary harassment. You are not improving. Your Ministry, instead, is putting burden on the business people. This is not ease of business. You are putting more hardship.

The GST on health insurance premium collected is Rs. 8,263 crore during the financial year 2023-24 only. I would request the Government to remove this GST on health insurance and life insurance. It should be waived so that more people come under the coverage. It is the Government's duty to provide medical treatment.

I have another important point which I wanted to bring. What about GST on petroleum products? Are the State Governments ready for it? The allocations to the social sector schemes have an seen a decline of overall 25 per cent inflation adjusted to last decade. Sarva Shiksha Abhiyan has seen an 18 per cent decline. The Rastriya Madhyamika Abhiyan has seen nine per cent decline. The ICDS has seen 34 per cent decline. The Mission Anganwadi has seen five per cent decline. The PM-POSHAN scheme has seen 45 per cent decline. In public distribution, it was 6.61 per cent in 2019-20 and it has declined to 4.2 per cent in 2023-24. Even if you combine the Prime Minister Garib Kalyan Yojana, the decline is still lower than the 2019-20 Budget.

In the case of Ministry of Minority Affairs, the Budget decline is same as in the year 2012-13. The unit cost of post- matric and pre-matric scholarship for minorities has not changed since 2007-08. Rs. 80 or Rs. 100 is still continuing.

Madam, the Budget of the Ministry of Minority Affairs should have been increased to nearly Rs. 8,000 crore. That has not been done. On 15th August, we are going to celebrate *yom-e-azaadi*. In *yom-e-azaadi*, I am reminded of Abdullah Fariabadi who said that when I die, you come to my grave and inform that India has got Independence.

Now, we will be saying that we did not live in the Malta jail for eight months to see the day that our Wakf properties will be taken by this dictator Government. I condemn this law. Thank you very much, Madam.

(ends)

(1545/NK/SM)

1545 बजे

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : सभापति महोदया, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मात्र दो महीने बचे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना शुरू की और यह उनकी एक सबसे बड़ी योजना है। आम आदमी, मोची, निषाद, मल्लाह जैसे वर्गों के लिए यह योजना लाई गई थी।

हम माननीय वित्त मंत्री जी की बात से शुरू करेंगे, पूर्व स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप, मेक इन इंडिया, आप जिन-जिन योजनाओं को लेकर आएं, उस पर कोई श्वेत पत्र क्यों नहीं लाए कि उस योजना का क्या हुआ? आपको रघुराम राजन जी की रिपोर्ट भी देखना चाहिए। जब आप इस सदन में नई योजना लाते हैं, नया बजट लाते हैं तो पुराने बजट पर कभी चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि उसका इम्प्लिमेन्टेशन हुआ या नहीं हुआ, उस पर ध्यान दिया गया या नहीं? श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2000 देश में पढे-लिखे बेरोजगारों की तादाद 54.2 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2022 में 65.7 प्रतिशत हो गई।

आप तेरह हजार करोड़ रुपये विश्वकर्मा योजना के लिए लेकर आएं। आप कहते हैं कि नौकरी के लिए चार सौ बड़े कॉरपोरेट घरानों को कहा है कि बेरोजगार लड़कों को पांच हजार अनुकम्पा पर इनसेन्टिव दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यह इन्सेन्टिव कब मिलेगा, लगभग चालीस हजार लोग कॉरपोरेट्स के यहां पहले से काम कर रहे हैं। दो करोड़ नौकरी देने की योजना में 25 हजार रुपये एक कॉरपोरेट पर कहां से आएगा, यह हमें बताएं। यह बेरोजगारों के लिए झूठ वाली बात है। जब आप रोजगार पर बात करते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किस क्षेत्र में है- फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, टेक्सटाइल्स, बुनकर, कालीन, टेक्सटाइल योजना पर कितना टैक्स बढ़ा, इसे आप देख लीजिए। टेक्सटाइल पर इन्होंने कोई छूट नहीं दी, कोई रिलैक्शेसन नहीं दिया और टैक्स को बढ़ा दिया।

जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे तो रोजगार कहां से डेवलप होगा? जब फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, यूपी, बिहार या जहां भी दलहन और तिलहन होता है, हम मक्का, मखाना की बात करते हैं, दूध प्रोडक्ट्स की चीजों पर टैक्सेज बढ़ाये हुए हैं। सबसे ज्यादा काम करने वाली 70-80 प्रतिशत महिलाएं हैं, उनके लिए कोई नई योजना नहीं है। आपने उनके लिए क्या किया?

आपने जितना भी बजट पेश किया सीधा का सीधा कॉरपोरेट्स, कॉरपोरेट्स बोला है। लेकिन जब हम आम आदमी से जुड़ी हुई बात करते हैं, जिसे सभी लोग कह रहे हैं। गडकरी साहब ने भी हेल्थ से जुड़े 18 प्रतिशत जीएसटी की बात की। हम अस्पताल को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी की दवाई है या इक्विपमेंट है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी-स्कैन, एमआरआई या जांच का विषय है, हम उस पर बोझ डाल रहे हैं। आम आदमी को कैसे बेनिफिट मिलेगा? सबसे बड़ी बात क्या है? जब बैंक की बात आती है, बैंक क्या करती है? हमारे यहां बिहार में सौ-दो सौ रुपये वाला गरीब लोग बाहर जाकर काम करते हैं। वे बैंक से 200 या 1000 रुपये भेजते हैं, बैंक मिनिमम बैलेंस के लिए 1000 रुपये, 5000 रुपये, 7000 रुपये काट लेता है। आप बताइए, क्या आपने इसको रोकने का कोई प्रयास किया है? बैंक उस पैसे को, जो मिडल क्लास या गरीब का पैसा है, जो बाहर से कमाकर अपने माँ-बाप को भेजता है, वह पैसा न काटा जाए, इस पर आपने कभी चर्चा की? आज बैंक इस तरीके से काम कर रहा है। बैंक आपको कितने परसेंट पर लोन देता है, आपने बैंक को क्या बेनिफिट दिया? बैंक से आपने क्या कहा?

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस जैसे लोगों ने इसकी की मांग उठायी, उसका क्या कारण था? उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को आम लोगों के लिए लिबरलाइज किया, लोन कम किया, उन्होंने ब्याज कम किया। क्या मिडल क्लास या गरीब आदमी के लिए कर सकता है? अब हम किसान पर आत हैं, आपने किसान पर टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या किया? 50 किलोग्राम खाद की बोरी को 45 किलोग्राम कर दिया, आपने 40 किलोग्राम कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि 50 किलोग्राम से 45 किलोग्राम क्यों कर दिया? जो सबसे बड़ी बात है उसके बारे में कहना चाहूंगा, यहां बार-बार रोजगार की बात होती है, यूथ की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है। आप हमें बताइए, दलितों को स्कॉलरशिप मिलता था। स्कॉलरशिप में अब क्या किया गया, उस दलित की स्कॉलरशिप को रोक दिया गया।

(1550/SK/RP)

आपने कहा एडमिशन लो फिर कहा कि 60 परसेंट अटैंडेंस होगी तब स्कॉलरशिप देंगे। इसी तरह मिनिमम मदरसे के लिए बजट दो करोड़ रुपये कर दिया। अल्पसंख्यकों के लिए फैलोशिप जैसे मौलाना आज़ाद फैलोशिप बंद कर दी। आप अल्पसंख्यकों के लिए बजट सीधा 117 करोड़ रुपये पर ले आए। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करती है।… (व्यवधान)

मैं आखिर में बिहार की बात कहना चाहता हूं। बिहार सरकार लगातार बिजली की बात कहती रही है। जैसे 'वन नेशन, वन एजुकेशन' की बात होती रही, 'वन नेशन, वन हैल्थ' सिस्टम राजस्थान सरकार ने लागू किया। बिहार सरकार ने आपको चार चीजें भेजी हैं, एक है – वन नेशन, वन टैरिफ। बिहार सरकार द्वारा बिजली का अपव्यय 4,000 करोड़ रुपये होता है और 70 पैसे का बोझ एक आदमी पर पड़ता है। बिहार सरकार की लगातार मांग है कि हाई डैम परियोजना को बढ़ावा देना है और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपये चाहिए। इससे पूरा कोसी, सीमांचल और मिथलांचल को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट में क्या हुआ? क्या नेपाल सरकार से हाई डैम परियोजना बनाने की बात की? … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय): आप अपनी बात समाप्त करें।

… (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : महोदया, बिहार सरकार ने कहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 15 प्रतिशत जीएसटी माफ कर दें ताकि हम अपने यहां उद्योग डेवलप कर सकें। डालमिया नगर की बात हुई। हमने पूर्णिया में आईआईएम की बात कही, पूर्णिया, कोसी सीमांचल में आईआईटी की बात कही। हमने मक्का और मखाना के लिए फैक्ट्री की बात कही, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा सारे मिडल क्लास पर जीएसटी का बोझ डाल दिया। आपने युवाओं और गरीबों पर बोझ डाल दिया। आपने किसानों पर बोझ डाल दिया और आप कॉरपोरेट को सपोर्ट करते रहे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त करें।

… (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए।

मेरा आग्रह है कि कम से कम बिहार के लिए विशेष पैकेज दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री और हम लोग मिलकर विशेष राज्य की मांग करते रहे हैं। वाटर, पर्यावरण, जलवायु और पर्यटन के लिए विशेष पैकेज दीजिए। हम कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं ताकि मक्का और मखानों पर आधारित फैक्ट्री को डेवलप कर सकें। हम बिहार में अधिक से अधिक एयरपोर्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कोई योजना नहीं है।

(इति)

1553 hours

SHRI SHAFI PARAMBIL (VADAKARA): Thank you, hon. Chairperson, for this opportunity.

A year of protest against the federation, slept on the pavements for 40 days; was beaten and dragged by the police, nearly immersed all her medals in the Ganga, underwent knee surgery, sealed her Olympic spot after an unforgiving qualification process, and became the first Indian woman wrestler to qualify for three successive Olympics. Then, she has beaten the unbeatable defending champion. She won two more bouts to become the first Indian woman to reach a wrestling Olympic final. The world failed to appreciate what Vinesh Phogat has done. But now, there is a heart-breaking news for 144 billion Indians that she is disqualified.

Madam, gold, silver or disqualified, no matter what, Vinesh Phogat is India's golden girl, the brave golden girl. It is so for 144 billion people; our prayers are behind her. We stay strong behind her except for the few people who feel that her medals are not worth than Rs. 15. We know who are they.

(1555/KDS/NKL)

"हजारों बर्क गिरे और लाखों तूफान उठे,
खिलने वाले फूल खिले ही रहेंगे।"

She will shine, she will bloom, and she will be our proud daughter forever.

Madam, I do not think it was right on the part of the Government to quote the amount today that was spent on her practice. When the whole world was listening, we must not be declaring our crores, what we have spent on them. It is not from any BJP leader's estate; it is the money of the people of this country.

Madam, today, our responsibility was just to show our solidarity to her. It was not good on the part of the Government of India to detail who all people they have sent with her, how much money they have spent for her, and which all nations they sent her for practice. They could have said that some other day, but not today. Our responsibility was to stay behind her, to support her, and not to do what the federation has done to her during the last one year.

Madam, now the Government has to ensure that all possible measures and steps must be taken to ensure that she gets her berth back. Our Olympic team, our contingents, our Government, whoever is responsible, must talk to the officials.

Madam, we must realize that it is not as easy as putting someone as the federation head, whether it will be the Wrestling Federation or the BCCI. It requires effort; it requires money; it requires price, and everything. So, let us just support our girl.

Madam, 33 years ago, the contrasting qualities of gentleness and strength in the voice of Dr. Manmohan Singh reverberated through the Indian Parliament. It was 33 years ago in July when Dr. Manmohan Singh boldly came up with an idea by risking his political power to put India on the path of high economic growth. But what did we hear on 23rd July, 2024? That was a Budget speech inked with hunger for power. Nothing else was seen. Where did the extra 2AB come from? We all know where it came from. Everybody has rightly quoted that this is 'Kursi Bachao Budget', and we all know that. I make a request to the people of that AB, that is, Andhra Pradesh and Bihar, to watch like a hawk and ensure that with blighted breath; these promises are not like something two crore jobs a year; these promises are not like curbing terrorism forever; it is not like bringing back all the black money from abroad to India; it is not like the 1,25,000 crore that has been offered to Bihar in the past also. So that extra 2AB is also not going to work out. That is what we hear from our colleagues. … (*Interruptions*) That is what I said.

Madam, this Budget is suppressing the voice and lives of millions of middle-class and poor citizens of this country. How failed, ignorant and clueless is the Budget about the rising unemployment in our country?

Madam, I represent the young nation. Our unemployment rate is 9.2 per cent. It was 5.44 per cent in 2014, and someone offered two crore jobs every year, and they have ensured that our unemployment rate rises to 9.2 per cent, the worst in decades. And, the Budget is going to address it just by saying that 500 corporates will intake 20,000 interns every year. It will amount to one crore interns. Will that be able to address this issue? One

thing is for sure. The gas from gutter idea is much better than this internship idea.

Madam, this is my maiden speech. When we saw the Prime Minister in the Central Hall, taking the Constitution in his hands and kissing it with his forehead, we thought that it is a beginning, but now only we realize that it was a farewell kiss. From third standard and sixth standard textbooks, they have removed the lessons about the Preamble. What scares them? Is it India being a sovereign, socialist, secular, democratic republic or is the justice, liberty, equality or fraternity? What scares them?

Madam, I must say that they discriminate the people, discriminate the States, and divide the people of this country. And, we know that that farewell kiss has given a clear message that they would not respect the Constitution of this nation.

(1600/VR/MK)

Madam, we know that a country can grow only when there is harmony around. Otherwise, a country cannot grow.

Now, I come to the corporate tax. We all know that it has been higher than the tax that have been paid by the middle class of this country. They have to pay their bills, they have to pay their home loans, they have to pay their car loans, and when they go to the petrol pump, they are charged Rs.40 as tax for a litre of petrol, they are charged Rs.30 as tax for a litre of diesel and after all that, when they find that they cannot meet the expenses of their treatment, if they take a medical insurance, you are going to charge them 18 per cent GST on medical insurance. This is a tax terrorism. This is really a tax terrorism. How can a nation like India with this huge population of middle-class people live up to this?

You are corporate friendly. You are anti-poor and anti-middle class. The nation has given a clear writing on the wall. You have not realized it. I must say that you will realize it. We all know that an end will be there for this tax terrorism where you will be thrown out of power and we will be coming back to power. Thank you, Madam.

(ends)

1602 hours

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : धन्यवाद सभापति महोदया। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगी कि इस फाइनेंस बिल का नाम बदलकर टैक्स ट्रैप्ड बिल होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा जाल है, which traps everybody in it. If you earn money, you pay tax; if you spend money, you pay tax; if you save money, you pay tax; if you invest money, you pay tax; and if you pay tax also, you have to pay tax in the form of a cess or something.

1602 hours (Shri A. Raja *in the Chair*)

अमीर हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, विकलांग हो, हरेक को जब इस टैक्स के जाल में फंसा लिया है तो, why should it be called the Finance Bill? It should be called a tax trap bill which traps 140 crore people and does not spare anyone whether he is poor or rich? But this Bill is definitely very kind to the corporates. The tax has been reduced for foreign corporate companies from 45 per cent to 35 per cent. But the Angel Tax which used to be levied on Start-Ups and all has all been finished.

The tax for domestic businesses and corporates was lowered in 2019, लेकिन, दस साल बाद सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए, क्या बात है कि दस साल बाद सरकार का प्यार अपनों के साथ नहीं बल्कि विदेशियों के साथ बढ़ गया है। यह बहुत दु:ख की बात है।

I will also say that taxing life and health insurance is nothing less than tax terrorism. The Constitution enshrines right to life and here this Government is putting 18 per cent tax on something like that is nothing less than shameful. हर तरफ से, जो गरीब होता है, जो छोटा इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसी के साथ पक्षपात किया गया है। आज कॉर्पोरेट टैक्स में उनको सिर्फ 25 परसेंट टैक्स देना होता है। लेकिन, पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप को 30 परसेंट टैक्स देना होता है। पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप कौन करता है? जो थोड़ा-सा पैसा जमा करके अपने किसी रिश्तेदार के साथ कंपनी बनाकर, दोस्त के साथ पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप करता है, उसको 30 परसेंट टैक्स देना होता है। मेरी पहली डिमांड है कि have and have-nots की खाई को मत बढ़ाइए बल्कि छोटे वालों को इनकरेज कीजिए। अगर कॉर्पोरेट टैक्स 30 परसेंट हो सकता है तो प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप को भी 20 परसेंट करके इनकरेज कीजिए।

सर, इसी तरह से मैं एमएसएमई इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहूंगी। सबसे छोटे, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो सबसे ज्यादा एम्पलॉयमेंट जेनरेट करती है, आज उनको इनकरेज करने की जरूरत है। इनको इनकरेज करने के स्थान पर आपका जो क्लॉज 43-बी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि वित्त मंत्री जी ने लुधियाना में हमारी इंडस्ट्रीज को एश्योर किया था कि मैं यह क्लॉज हटा दूंगी, लेकिन आज इसको नहीं हटाया जा रहा है। ये कहते हैं कि यह एमएसएमई के फेवर में है। यह एमएसएमई के फेवर में कैसे है? जिस एमएसएमई को 15 दिनों में पैसे देने है, अगर 15 दिन में पैसे न दिए तो आपके सारे टैक्स इंसेंटिव्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लोगों ने छोटे वालों से लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि 15 दिन की जगह, दूसरे वालों से 45 दिन में पेमेंट करनी होती है।

(1605/SJN/SAN)

इसलिए बड़ी कंपनियों से माल लेने लगे और सारी छोटी-छोटी कंपनियां खत्म हो रही हैं। So, this is totally anti-MSME.

Sir, when the Government has gone for 'One Nation, One Market, One Tax', there should freight equalisation. जहां पर स्टील मैन्युफैक्चर होती है, वहां आस-पास के जो क्षेत्र हैं, उनको सस्ते दामों पर मिलता है, लेकिन पंजाब जो लैंडलॉक्ड है, पोर्ट से दूर है, मैन्युफैक्चरिंग से दूर है, जब हम वही स्टील खरीदते हैं, तो महंगा पड़ता है। उसकी वजह से स्टील से बनने वाली चीजें वाइवल नहीं होती हैं। वे कॉम्पिटेटिव नहीं रहती हैं, इसलिए freight equalisation is very important.

Now, I will now come to the bicycle industry. आज हमारे देश में जो गरीब से गरीब आदमी है, उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वह या तो पैदल चलता है, क्योंकि वह बस की 10 रुपये की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता है या वह चार पैसे इकट्ठे करके साइकिल से जाता है। Forty years ago, India and China were at par, but today, while India produces only 2.8 crore bicycles, China produces 32 crore bicycles every year. Why has this difference occurred in these 40 years? The reason is that the technology has been upgraded in China while there is no fund for technology upgradation in India and thereby, encouraging this industry which is a poor man's mode of transport, which is totally environment-friendly. गरीब से गरीब आदमी की मदद करने की बजाय, there is no fund for technology upgradation for our Indian industry. There is no micro-financing for this industry so that प्रदूषण मुक्त मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। जो गरीब है, उसको कोई माइक्रो फाइनेंसिंग करे। 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे गरीब लोग हैं, जो चौकीदार का काम करते हैं। गरीब दुकान तक पैदल चलकर जाता है, क्योंकि वह बस का 10 रुपये का भाड़ा नहीं दे सकता है। आप साइकिल को सस्ता करें, ताकि वह बेचारा भी साइकिल से जा सके।

Sir, there has been such a bias against the MSME industries. There was the Credit Linked Capital Subsidy Scheme under which you used to get back Rs. 50 lakh, if you had a limit of Rs. 1 crore, and you took a bank loan to upgrade your machinery. Now, they have increased the limit to Rs. 5 crore, but they have taken back the subsidy. It means that now the Government is saying that the limit is Rs. 5 crore and you can take a loan, but there would be no subsidy. The component of subsidy was very important for the MSMEs to be able to upgrade their machinery. This is one scheme.

Sir, there is another scheme, Production Linked Incentive Scheme. The PLI Scheme also favours people who have a turnover of Rs. 200 crore. What happens to MSME? Why is MSME not included in the PLI Scheme? There was also a scheme for small MSMEs under which for attending certain Government listed fairs abroad, if you were a woman entrepreneur, you got 80 per cent subsidy on your

airfare. If you were a small or micro entrepreneur, you got 85-90 per cent subsidy. The Government has disbanded that scheme. These people used to go to these fairs and get good technology with the help of which they used to upgrade their products. Now, they have disbanded it. The cost of putting up a stall at such fairs is Rs. 45 lakh or so. Which MSME can put up a stall by spending Rs. 45 lakh? I would request the Government to encourage knowledge-sharing and transfer of technology; please bring back these CGS and ICS Schemes.

Sir, my next point is on agriculture machinery. It is very unfortunate that tax rationalisation has not been done on agriculture machinery and implements. These farmers toil day and night to feed 1.4 billion people of this country. वर्ष 2022 में आपने न तो आमदनी दोगुनी की, न ही इनको एमएसपी पर लीगल गांरटी दी, जिसका आपने वादा किया था, न ही इस बजट में किसानों के लिए कुछ है। कम से कम जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, they pay 28 per cent tax on their inputs while on their output, they can only get 12 per cent GST. I request that it should be rationalised, if not removed, which is very important to encourage the farmers.

Sir, I would like to come to the last point which is the issue of debt trap of Punjab. In the last eight years, Punjab has been pushed into such a financial debt trap that वर्ष 2022 में हमारा लोन जो पौने तीन लाख करोड़ रुपये था, वह आज पौने चार लाख करोड़ रुपये हो गया है। The State's debt to GSDP ratio is 47.6 per cent, which is the second highest in the country. Our industry used to contribute 28.5 per cent to the State's GDP in 2012 and now, it has come down to 25.5 per cent. There is a loss of three per cent because of the mismanagement of the Congress and the Aam Adami Party. On the other hand, BJP is giving tax concessions to all our neighbouring States, and our industries have all run out of Punjab. This de-industrialisation, and the farmers already being in distress with a high number of farmer's suicide, has led to such a high proportion of unemployment that Punjab's unemployment rate is double that of the nation.

Our State is the only State which does not have its separate capital. The capital is a hub from which funds are collected. Our Chandigarh be given to us. Since 1970, when we have not got our separate capital, all the money that has been collected by the Central Government be given to Punjab and compensated. Our borders, the Wagah Border and the Hussainiwala Border, be opened for trade so that our industry, our farmers, and our youths can all prosper in Punjab. This is my request.

(ends)

(1610/SNT/MM)

1610 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, सदन में आज वित्त (संख्याक -2) विधेयक पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे उसमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, पक्ष- विपक्ष के साथियों ने कई बिन्दुओ पर अपनी बात कही, वित्त मंत्रालय की कार्यशैली और इसके विभिन्न पहलुओं में कमी पर सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह बात इसलिए भी महत्पूर्ण है क्योंकि वित्त मंत्रालय देश की आर्थिक नीतियों और योजनाओं का संचालन करता है और इसकी कार्यकुशलता का सीधा प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

महोदय, वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स रिजीम के तहत अब 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया गया है. इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक कर दिया गया, लेकिन वो इनकम यदि 7 लाख से एक रुपया भी अधिक है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा और कैपिटल गेन इनकम में 7 लाख तक वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे में आप स्पष्ट करें कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या आप केवल गुमराह कर रहे हैं? मेरी मांग है कि इसको सात लाख रुपये से बढ़ाकर दस लाख रुपये किया जाए।

महोदय, महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है। आम आदमी झेल रहा है। जिस तरह की महँगाई है उसमें घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों के दवा इलाज के लिए बचाना नामुमकिन है। मेरी मांग है कि पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की कीमतों को जनहित में तत्काल कम किया जाये ताकि महंगाई भी कम हो और महंगाई कम करने के अन्य ठोस उपाय किये जायें।

इस देश में OPS की बहुत पुरानी मांग है। मैं मांग करता हूं कि देश में केंद्रीय कार्मिक, पैरा मिलिट्री के जवान लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे है, मेरी मांग है कि OPS पुनः लागू की जाये।

GST- ट्रेक्टर सहित अन्य कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त किया जाये। MSP पर कानून बनाते हुए किसान की पूर्ण उपज एमएसपी पर खरीदने का प्रावधान बनाया जाये। जब किसान आंदोलन चला तब आपकी सरकार ने आश्वस्त किया था कि अब की बार एमएसपी पर खरीद का कानून बनाएंगे। यह निश्चित रूप से आपको बनाना चाहिए। मैंने एनडीए किसानों के आंदोलन के बाद ही छोड़ी है, पहले हम उधर ही बैठते थे।

किसान कर्ज माफी – 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज धन्नासेठों का माफ किया गया। मैं मांग करता हूं कि किसानों का जो 15-16 करोड़ रुपये का विभिन्न राज्यों में किसानों का कर्ज है, उसकी माफी की जाए।

खनन - देश की खनिज नीतियों ने बदलाव की जरुरत है, मेरे नागौर जिले में प्रचूर मात्रा में लाइम स्टोन है। किसानों को उनकी खातेदारी में खनन के लिए छोटे पट्टे दिए जायें और बजरी के लिए भी खातेदारी में भूमि मालिक को ही छोटे पट्टे देने का प्रावधान बनाया जाये ताकि माइनिंग माफियाओ पर लगाम लग सके।

पशुपालन – राजस्थान में नागौरी नस्ल के बछड़े धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दे रही है। राजस्थान में 3 वर्ष से कम उम्र के बछड़ों पर बिक्री व परिवहन पर लगी रोक को किसानों व पशुपालको के हित में हटाई जाये। पशुओ में होने वाली वायरस जनित बीमारियों की जाँच के लिए राजस्थान में एक राष्ट्रीय स्तर की लैब शुरू की जाये। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में राष्ट्रीय स्तर का डेयरी अनुसन्धान केंद्र स्वीकृत किया जाये।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की डिमांड पर माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की थी। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता थी उस आवश्यकता से 73 प्रतिशत कम बजट दिया गया। मेरी मांग है कि इसे बढ़ाते हुए देश में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सम्मान दरों को लागू करने, निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगाने और सरकार के स्तर से प्रत्येक देशवासी को कम से कम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में करवाया जाये। प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाए।

जोधपुर स्थित एम्स में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चहेते लोगों को बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के डेप्युटेशन पर लगा रखा है। मेरी मांग है कि ऐसे पदों पर स्थाई नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की जायें। पूर्व में निजी कम्पनी के सॉफ्टवेयर और सर्वर किराये पर लेकर जो भ्रष्टाचार एम्स जोधपुर में किया गया, उसकी जाँच करवाई जाये। नागौर में बन रही सरकारी मेडिकल कॉलेज में शीघ्रता से यूजी कोर्स प्रारम्भ करने के लिए NMC मान्यता दिलवाई जाये।

महोदय, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है। उसका हमने स्वागत किया है। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान की विपरीत भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज राजस्थान को भी दिया जाये।

रेलवे - बीकानेर से नागौर होते दिल्ली जाने वाली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन नियमित करते हुए इसका नाम गौ-रक्षक वीर तेजाजी महाराज के नाम से किया जाये। कुचामन, नावां व मुंडवा तथा खजवाना व देशवाल व छोटी खाटू आदि स्टेशनों पर जनता की मांगों के अनुसार ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत किया जाये। फलौदी- नागौर तक नई रेलवे लाइन के सर्वे को जायल होते हुए डीडवाना -कुचामन तक बढ़ाया जाये नोखा - बीदासर - लाडनू - सुजानगढ़ रेलवे लाइन के सर्वे पर कार्य किया जाये।

(1615/YSH/AK)

सभापति महोदय, मैं नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूँ कि बजट 2014-15 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने राजस्थान में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन राजस्थान सरकार की कमी के कारण वह बजट घोषणा क्रियान्वयन नहीं हो पाई। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया जाए। जिस तरह किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उसी तर्ज पर देश के पशुपालकों के हित के लिए पशुपालक सम्मान निधि योजना प्रारम्भ की जाए।

सभापति महोदय, देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर 983 टोल नाके हैं, जिसमे सर्वाधिक राजस्थान में 142 टोल बूथ हैं, लेकिन टोल लेने के बावजूद सड़कों की बदहाल स्थिति है। जयपुर-अजमेर के मध्य चार से पांच घण्टे लगते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि प्रदेश को टोल से मुक्त किया जाए।

सभापति महोदय, मेरी कुछ प्रमुख मांगें हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के खींवसर, परबतसर व डीडवाना में तथा नागौर जिले के ही मेड़ता में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति के लंबित प्रस्तावों पर विचार कर इन चारों स्थानों पर नए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए जाएं और चालू कराए जाएं। नागौर संसदीय क्षेत्र के ही मकराना, जायल व लाडनूं उपखण्ड मुख्यालय पर नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव केवी संगठन के माध्यम से मंगवाए जाएं। चूँकि नागौर लोक सभा क्षेत्र में नागौर व डीडवाना-कुचामन दो जिले हैं और वर्तमान में कुचामन में नवोदय विद्यालय है, परन्तु नागौर जिले में नवोदय स्कूल नहीं है। इसलिए नागौर जिले के खींवसर में नवोदय विद्यालय स्वीकृत किया जाए। डीडवाना अलग जिला बन गया है इसलिए वहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित राजस्थान की तमाम सरकारी स्कूलों में जर्जर स्कूली भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने, स्कूलों में मरम्मत करवाने हेतु भारत सरकार विशेष आर्थिक पैकेज जारी करे।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Hon. Member, please conclude. Otherwise, I am calling the name of the next Member to speak.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरा यही निवेदन है कि आज पूरे 140 करोड़ देशवासी देख रहे हैं कि विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। इसमें प्रधान मंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। वे 56 इंच चौड़े सीने की बात करते हैं। आज पूरा देश देख रहा है। प्रधान मंत्री जी को ओलंपिक रुकवाकर विनेश फोगाट को ओलंपिक खिलवाना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: This matter has already been discussed.

… (*Interruptions*)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, पूरे देशवासियों की मांग है कि विनेश को वापस खिलवाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। सिर्फ ट्विट करने से काम नहीं चलेगा। आज पूरा देश देख रहा है कि आज आप फेल हो गए हैं। आप किस तरह का भाषण पढ़ रहे थे कि हमने इतना खर्च कर दिया, इतना बजट दे दिया। … (व्यवधान)

(इति)

1618 बजे

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक वर्ष 2024-25 पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में जो बदलाव किया है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सेशन को समाप्त कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5 प्रतिशत किया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि इंडेक्सेशन वाले मुद्दे पर सरकार पुनर्विचार करे और उसको वापस ले।

सभापति महोदय, श्रिंप और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने और उनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स पर भी सीमा शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव के लिए मैं सरकार का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

जीएसटी से प्राप्त राशि के संदर्भ में सरकार ने कहा कि हमने इससे जुड़े कर संग्रह को ध्यान में रखने के साथ ही इस बात पर जोर दिया कि छोटे व्यापारियों एवं छोटे उद्योगों को कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन महोदय हमारे प्रदेश में अनेक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। क्योंकि अब हमारे प्रदेश में फैक्ट्रियों के लिए कोई विशेष लाभ नहीं है। साथ ही स्थानीय प्रशासन के अडियल रवैये और गलत नीतियों से फैक्ट्री वाले बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से भी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ऐसे भी कोरोना काल में जिन फैक्ट्रियों को नुकसान हुआ है, वह आपके समक्ष है।

सभापति महोदय, हमारे देश में राज्य 50 प्रतिशत जीएसटी के रूप में ही केन्द्र को रेवेन्यू देते हैं। जबकि हमारा केन्द्र शासित प्रदेश 100 प्रतिशत रेवेन्यू जीएसटी के रूप में देता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे प्रदेश की फैक्ट्रियों को बचाने के लिए 50 प्रतिशत जीएसटी केन्द्र भले ही ले ले, लेकिन राज्य के तौर पर ली जाने वाली 50 प्रतिशत जीएसटी माफ करे और फैक्ट्रियों को उसका बेनिफिट पहुंचाए। बीमा पर लगाया गया जीएसटी कम किया जाए, ताकि सब लोग बीमा का फायदा ले सके।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में सुगम वाहन व्यवहार के लिए एवं गुजरात से कनेक्टिविटी के लिए हमें नानी दमण के कड़ैया से कोलाक तक गुजरात से जोड़ने वाला ब्रिज तथा जमपोरे, मोटी दमण से फनसा तक गुजरात को जोड़ने वाला ब्रिज बनवाने के लिए बजट दिया जाए।

(1620/RAJ/UB)

इसके साथ ही नानी दमण के नमो पथ को, मोटी दमण को राम सेतु से जोड़ने के लिए, केबल ब्रिज के निर्माण के लिए भी बजट दिया जाए।

महोदय, शिक्षा बोर्ड बनाने, यूनिवर्सिटी और एम्स बनाने के लिए भी बजट दिया जाए। मोनोरेल, चेक डेम बनाने एवं दीव में ड्रेजिंग के साथ विशेष हार्बर प्रोजेक्ट देने की कृपा करें।

महोदय सरकार एफडीआई द्वारा विदेशी इन्वेस्टमेंट बढाना चाहती है और हमारा प्रशासन हमारे ओसीआई पासपोर्ट धारक भाइयो के काम धंधे बंद करवाने के लिए नए-नए नियम बनाती है। महोदय जी, हमारे प्रदेश में हमारे ओसीआई पासपोर्ट धारक भाइयो के बार लाइसेंस, लीकर लाइसेंस, दुकान के लाइसेंस जैसे विविध व्यवसाय एवं रोजगार की परमिशन कैंसिल कर उनके काम धंधों को बंद करवाया जा रहा है। क्या ऐसे ही एफडीआई इंवेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि एफडीआई इंवेस्टमेंट बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश में ओसीआई पासपोर्ट धारकों के विभिन्न व्यवसाय एवं रोजगार की परमिशन कैंसिल नहीं की जाएगी तो निवेशकों में अच्छा संदेश जाएगा और वे देश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी रहेंगे। हमारे ओसीआई पासपोर्ट धारकों को विभिन्न व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो टैक्सेशन ईयर रखा है, उसे कैलेंडर ईयर जनवरी से 31 दिसम्बर करना चाहिए। चैरिटेबल ट्रस्ट के टैक्स के स्ट्रक्चर में काफी सुधार की जरूरत है, इसे और ईजी बनाना चाहिए। पार्टनर्शिप फॉर्म पर 10 प्रतिशत टीडीएस लगाया गया है, उसे नाबूद किया जाए। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरी यह मांग है कि न्यू टैक्स रिजीम ही रखा जाए। शेयर बजार में पुरानी टैक्स व्यवस्था को लागू किया जाए।

सरकार वित्तीय घाटा घटाना चाहती है। हमारे प्रदेश में प्रोजेक्ट पर जो भी लागत है, उस पर 40-50 प्रतिशत ऊपर जाकर टेंडर दिए जा रहे हैं और कार्य समय सीमा में पूरा नहीं करा कर, उन्हें दो-तीन सालों के लिए आगे बढ़ाया जाता है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पर ध्यान रखा जाए।

आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। (इति)

1622 बजे

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : सभापति महोदय, आपने मुझे वित्त (संख्याक) विधेयक, 2024 पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसान और मजदूर रात में थक कर सो जाते हैं। वे सपने में देखते हैं कि जीवन बदल रहा है, गरीबी खत्म हो रही है। जब सुबह आंख खुलती है तो लगता है कि वापस ज्यों का त्यों है, ऐसा ही इस बार का बजट गरीबों के लिए था।

महोदय, मैं अपने क्षेत्र से शुरुआत करूंगा। मेरा क्षेत्र नगीना बाढ़ प्रभावित है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। किसान और आम आदमी परेशान है। गन्ना मिल समय पर पैसा नहीं देती है। पिछले साल गुलदार ने 30 लोगों की जान एक साल में ली है, उससे अमीरों को फर्क नहीं पड़ता है। उद्योग-धंधे लगाने की कोई बात नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज और एम्स के निर्माण की कोई बात नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स कॉलेज की कोई बात नहीं हुई।

महोदय, देश में भूमि सुधार किया जाए। भूमाफियाओं ने लाखों बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है, भूमिहीनों को भूमि दी जाए। बिजली के दाम में कटौती की जाए, गरीबों को कम दाम पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। ठेकेदारी प्रथा, संविदा, लेटरल एंट्री खत्म की जाए, पक्की नौकरी दी जाए। निजीकरण की वजह से सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई हैं। मेरी मांग है, मैंने निजी विधेयक भी पेश किया था कि निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कराई जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

एक तरफ सरकारी योजना चला कर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर मकान दिए जाने की बात होती है, वहीं लखनऊ के अकबर नगर को तोड़ दिया जाता है। नवी मुंबई के खारघर में…(व्यवधान) सर, माइक नहीं है। सर, बंद कर रहे हैं।…(व्यवधान) माइक चालू हो गया। धन्यवाद।

हमारे लोग आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं और 2 अप्रैल, 2018 के मुकदमों के बारें में सरकार से कई बार बात हुई, लेकिन वे वापस नहीं हुए। उनको वापस लिया जाए। सर, वकीलों की सुविधा लेने में बहुत पैसे लगते हैं। भीमा कोरे गांव, महाराष्ट्र में तीन हजार मुकदमें दर्ज हुए थे। वे पुणे में वापस हुए हैं। दीक्षा भूमि हमारा गौरव है, वहां पार्किंग बना कर उसको अपमानित किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। पेट्रोल पंप्स के डीलर की मार्जिन वर्ष 2017 से नहीं बढ़ी है। इसका असर ग्राहकों पर पड़ता है। इसका असर पेट्रोल पंप को सुचारू चलाने वाले नेटवर्क पर पड़ता है। डीजल मार्जिन की बढ़ोतरी नहीं होने से वहां काम करने वाले हजारों-लाखों कर्मचारियों के जीवन पर असर पड़ रहा है।

(1625/KN/SRG)
सहारा में 10 करोड़ जर्माकर्ताओं का लाखों-करोड़ों रुपये जमा है। कंपनी बंद हो जाने के कारण 10 लाख से ज्यादा एजेंट्स बेरोजगार हो रहे हैं और नौकरी कहीं है नहीं। भुगतान न होने के कारण जमाकर्ताओं के द्वारा एजेंट पर जबर्दस्ती भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण 5 हजार से ज्यादा एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है।

महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश से लगभग 80 मैम्बर्स जीत कर आए हैं। बजट न के बराबर मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए यह काफी नहीं है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी एक बड़ा राज्य है। यूपी में भाजपा सरकार की विकास की गति बहुत धीमी है। हमारी केन्द्र सरकार से यह मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिन्ता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिन्ता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को चार भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑफ लिंगविस्टिक स्टेट्स में कहा था– राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी होगी। जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन सम्पन्न होगा।

महोदय, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आपने भी यह विषय उठाया था, जब आप अपनी बात रख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जरिये शेड्यूल्ड कास्ट्स के साथ जो ... (*Expunged as ordered by the Chair*) किया गया, आप इस बात को इस तरह से समझिये कि मैंने डेढ़ साल पहले यह मांग की थी। अगर हमारे लोग इतने ही हितैषी होते, जब ईडब्ल्यूएस को 10 परसेंट दे सकते हैं, तो पांच परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स की उन जातियों को दिया जा सकता था। लेकिन गरीबों के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है। साथ ही साथ ओबीसी की जो जातियां हैं, उनको भी दिया जा सकता था। हमारे साथ जो खेल किया गया है, इसमें बहुत गुस्सा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सत्ता और विपक्ष वाले दोनों अपना स्टैंड क्लियर कर दें। क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है। वह भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा। वह उनको भूलेगा नहीं।

महोदय, इसके साथ ही मुझे एक पर्सनल बात कहनी है। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि मैं विनेश फोगाट के लिए बोलूं। जब उसको डिस्क्वालिफाई किया गया, विनेश यहां नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया हो। मुझे आज भी याद है,

उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और मैंने चार-चार गोलियां खाईं। यह देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला था। हमारी मांग यह थी कि सरकार स्टैंड क्लियर कर दें, तब भी सुनवाई नहीं की गई। जब मंत्री बोलने आए तो हमने उनसे कहा कि हमें कुछ इनफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उस पर भी बात नहीं हुई।

सर, सवाल यह है कि हमारे लिए एक गोल्ड आ रहा था। जब यह गोल्ड आता तो देश गौरवान्वित होता। क्या व्यवस्था थी कि उसका वेट बढ़ गया? सिस्टम के लोगों को पता ही नहीं लगा। क्या बेवकूफी की गई है? यह सोचने का विषय है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। देश की बेटी का मामला है। वह हरियाणा की बेटी नहीं है। वह एक जात की बेटी नहीं है, वह हमारी बहन हैं, देश की बेटी है। आपने हरियाणा के साथ क्या किया? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेकर आता है। यह गलत है। यह धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है। विनेश इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी, तो हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंत में भारतीय है। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, तो हम हर कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए? क्या एहसान किया? क्या आपने कोई खैरात दी? ... (व्यवधान) सर, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। क्या आपने कोई खैरात दी? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वह बेटी देश लौटे ... (व्यवधान) एक मिनट, रुक जाओ। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुलाकर उसका सम्मान करें। वह देश की बेटी है। देश के लिए वह गोल्डन गर्ल है। हम यह चाहते हैं कि उसका सम्मान यहां किया जाए। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान) महिला विरोधी चुप रहें। बीच में कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा। ... (व्यवधान)

(इति)

1629 बजे

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : महोदय, मैं एक उदाहरण दूंगा, जो सरकार के टैक्स की भूख और आम आदमी की स्थिति को दर्शाता है। मेरा एक दोस्त है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। मार्च में एक प्रॉपर्टी बिकी। उसे 60 लाख रुपये कमीशन हासिल हुआ। उसे 60 लाख रुपये का चैक मिला। उसमें से 9 लाख रुपये जीएसटी में चले गए और साढ़े 50 लाख रुपये उसे मिले। फिर इनकम टैक्स की बारी आई तो 50 लाख रुपये के ऊपर इनकम टैक्स में 30-35 टके चले गये। उसके बाद उसके पास 33-34 लाख रुपये बचे। उसने 33 लाख रुपये बचने के बाद कोशिश की कि वह गाड़ी ले लें। भारत की एक मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी लेने के लिए जब वह गया तो उसने 29-30 लाख रुपये की गाड़ी खरीदी। उसने देखा कि मूल गाड़ी की कीमत सिर्फ 17 लाख रुपये थी, बाकी टैक्स था। रोड टैक्स था, जीएसटी था और सेस था। 17 लाख रुपये की गाड़ी लेने के लिए 60 लाख रुपये की इनकम कहां चली गई, यह पता नहीं चला। यह अच्छी साझेदारी हुई कि कमाए हम, लूटे कोई और, तथा सरकार बटोरे।

(1630/VB/RCP)

17 लाख रुपए की गाड़ी लेने के लिए 40 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ता है।

सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था- nothing is certain in this world but death and taxes.

सरकार ने शायद इस वाक्य को बहुत ही सीरियसली ले लिया है। इतने सारे टैक्सेज हैं, जैसे Corporation Tax, Income Tax, Capital Gains Tax, Gift Tax, other taxes on income and expenditure, Wealth Tax, Securities Transaction Tax, Central GST, Union Excise Duty, … (व्यवधान) Custom Duty, Road Tax, Water Tax, Property Tax, VAT, Payroll Tax, Consumption Tax, Dividend Tax, Windfall Gains Tax, Gross Receipts Tax, Holding Tax, Sales Tax, Excise Duty, Alternative Minimum Tax, Commodity Transaction Tax, Corporate Tax, Education Cess, Road Cess, Angel Tax, Minimum Alternate Tax, Equalisation Tax. पता नहीं कितने टैक्सेज हैं? आजकल तो ऑक्सीजन पर भी टैक्स लगा दिया है। मुझे लगता है कि ये नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं और डिक्शनरी खोल देते हैं, जो पहला शब्द आता है, उसके नाम से टैक्स ठोक देते हैं। पता नहीं इनके टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है?

सर, मैं एलटीसीजी पर बात करूँगा। कोई व्यक्ति अपनी एसेट या कमाई क्यों बेचता है? घर में शादी हो, कोई बीमार पड़ा हो या कोई बड़ा नुकसान हुआ हो तो। यह समय है, जब अपेक्षा है कि सरकार कोई मदद करे। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ। सालों से, जब हम लोग दिक्कत में कुछ बेचते हैं, तो उस पर पैसा लेते हैं। अपेक्षा यह थी कि 20 टके के एलटीसीजी टैक्स को कम किया जाएगा। लेकिन कम करते वक्त वित्त मंत्री जी ने इसमें से इंडेक्सेशन के बेनिफिट को निकाल दिया। सर, यह ऐसा हुआ कि इसका इलाज बीमारी से भी ज्यादा जहरीला निकल गया।

सर, मराठी में एक कहावत है- *It is completely fine if you are not helping us, but please stop harassing".
यानी जो हमको चाहिए, वह तो दे दो, लेकिन उसकी जगह हमारे ऊपर कुत्ते न छोड़ो।

ऐसी बुरी हालत है। पहले से तो महँगाई डायन खा रही है, अब सरकार शैतान बनकर टैक्स ले रही है। मिडिल क्लास और अपर क्लास का जो वोट बैंक है, वह इस सरकार से दूर जाता दिख रहा है। सिर्फ 4.8 परसेंट लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन ये 4.8 परसेंट लोग, जो कुल टैक्स देते हैं, उतना टैक्स सारे कारपोरेट टैक्स को मिलाकर, उससे ज्यादा इनकम टैक्स इन लगभग 5 परसेंट लोगों से लिया जाता है।

सर, हमने बचपन में रॉबिनहुड की स्टोरी सुनी थी। उस पर पिक्चर भी बनी है। यह रिवर्स रॉबिनहुड है। रॉबिनहुड अमीरों को लूटकर गरीबों को देता था। लेकिन यह सरकार गरीबों को लूटकर अमीरों को पैसे देती है।

सेस और सरचार्ज, जिसे एमरजेंसी में डालना है, इसमें इसको स्टैंडर्ड कर दिया गया है। सेस और सरचार्ज लगाकर स्टेट का हिस्सा चुराकर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यह लेने जो साज़िश है, इसे सब जान रहे हैं। महाराष्ट्र जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, महाराष्ट्र के हिस्से में इतना बड़ा टैक्स देकर क्या मिला? सामान्य, आम आदमी को क्या मिला? उनको टूटी हुई सड़कें, भीड़-भाड़ वाले अस्पताल, जिस अस्पताल में घंटों तक बैठने पर इलाज मिलता है। I think, this is not a reformative Budget. लेकिन यह बदले का बजट है, बदला लेना है कि इनको वोट न मिले।

सर, मैं अपनी दो-तीन डिमांड्स रखकर अपना भाषण कनक्लूड करूँगा।

सर, सेक्शन 80 सी की जो लिमिट है, इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी बढ़ा दिया, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आपने जीएसटी बढ़ा दिया है, खर्चे बढ़ रहे हैं। The limit of Rs.1,50,000 is insufficient. I request them to reconsider it.

सर, मेरी एक और डिमांड है। I have almost done.

सर, पार्टर्नरशिप फर्म्स और एलएलपी में, ये कारपोरेट को 25 टका टैक्स ब्रायकेट में ले आए हैं, 400 करोड़ वाली टर्न-ओवर की कम्पनीज़ को। लेकिन एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टर्नशिप और पार्टर्नरशिप फर्म्स में जो छोटे लोग हैं, उनको ले आएं, तो और फायदा होगा।

सर, एफोर्डेबल हाउसिंग में 1 परसेंट का जो जीएसटी रेट है, is only upto 45 lakhs. 45 लाख में कहाँ घर मिलता है? वह लिमिट थोड़ी बढ़ा दें। मैं आपके माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ।

धन्यवाद।

(इति)

---

* Original in Marathi

1634 बजे

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : माननीय सभापति जी, "कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।"

बकौल भारतीय जनता पार्टी आर्थिक नीतियों पर दुनिया के सामने तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन 'बड़ा भारत' का मतलब आप क्या समझते हैं? 'बड़ा भारत' का मतलब बड़े लोगों का भारत या गरीबों का भारत? मैं सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को सुन रहा था। अगर गरीबों का भारत है, तो फिर गरीबी क्यों है, महँगाई क्यों है, बेरोज़गारी क्यों है, भुखमरी क्यों है? सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे और वे पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप भी लगा रहे थे कि सौ पैसे में 15 पैसे जाते थे। अब जबकि सौ में सौ पैसे जा रहे हैं, तो देश के हालात ऐसे क्यों हैं?

(1635/PC/PS)

सभापति जी, देश के अंदर आठ करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। इन आठ करोड़ लोगों में लगभग दस लाख लोग ऐसे हैं, जो कम आय वर्ग से संबंधित हैं। ये लोग अपनी आय का 15.22 प्रतिशत हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में, अपने घर संबंधी खर्च के रूप में, खान-पान में, 18-20 प्रतिशत हिस्सा खर्चों पर कर के रूप में आम आदमी चुकाता है। बची हुई राशि लाइफस्टाइल, बचत, निवेश, इस पर खर्च करता है। उस पर भी कर का भुगतान करना पड़ जाता है। इस प्रकार एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को 50-55 फीसदी प्रतिभाग कर के रूप में करना पड़ता है। यानी वह प्रभावी रूप से 45-50 प्रतिशत आय ही स्वयं पर उपयोग कर पाता है।

सभापति जी, आम आदमी अपनी आय पर आयकर देने के उपरांत जरूरत की लगभग सभी वस्तुओं पर जीएसटी चुकाता है। अगर कुछ राशि बच जाए, तो घर-मकान खरीदता है, उस पर भी रजिस्ट्री शुल्क देता है। अगर वह वाहन खरीदे, तो उस पर भी टैक्स दे, रोड टैक्स दे और पेट्रोल-डीजल पर भी टैक्स दे। यदि कुछ बच जाए, तो बचत योजनाओं में इनवेस्ट करे, उस पर भी मिलने वाले ब्याज पर जीएसटी देने का काम करे।

माननीय वित्त मंत्री जी, जब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, तो आपने इस वित्त विधेयक में, बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं किया। जल जीवन मिशन की बहुत चर्चा हुई, हर घर जल पहुंचाने की बहुत चर्चा हुई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों की क्या हालत है? माननीय अखिलेश यादव जी ने 'जनेश्वर मिश्र ग्रामीण सड़क योजना' के अंतर्गत जो सड़कें बनाई थीं, आज गांव की सारी सड़कें जल जीवन मिशन वालों ने खोदकर डाल दी हैं। खोदी हुई वे सड़कें दोबारा नहीं बनाई, उनमें वही मिट्टी भर दी है। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं। जब हर एक व्यापार में नगद भुगतान होता है, तो फिर किसान के गन्ने को उधार क्यों लिया जाता है? किसान जब गन्ना देता है, तो क्यों नहीं उसको तत्काल उसका भुगतान कर दिया जाता है? आज राशन कार्ड के लिए लंबी-लंबी लाइनें ई-वेरिफिकेशन के नाम पर कंप्यूटर सेंटर्स पर लगी हुई हैं। किसानों का शोषण किया जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है।

मान्यवर सभापति जी, मजदूर का तो अंगूठा घिस गया है, अब उसका ई-वेरिफिकेशन कैसे होगा? सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां स्वास्थ्य बीमा कार्ड की बात कर रहे थे, लेकिन आपने कह दिया कि जिसके परिवार में छ: लोग होंगे, उसी का कार्ड बनेगा। इस पर भी कभी सोचने का काम कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 'शिक्षा मित्र' आत्महत्या कर रहे हैं। क्या आपको उनका मानदेय नहीं बढ़ाना चाहिए? आप उन्हें अदालत के चक्कर की वजह से परमानेंट नहीं कर सकते, तो उनका मानदेय बढ़ाने का ही काम कर दीजिए।

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : सभापति जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। वैसे तो अभी हमारी पार्टी का समय है, लेकिन मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए, टेलिकॉम कंपनियों ने, बीएसएनएल को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कंपनियों से आप नहीं कह सकते थे कि आनन-फानन में इतना रेट क्यों बढ़ा दिया गया? मैं उस रेट को वापस लेने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, पुलिस ड्यूटी के आठ घंटे किए जाएं और पुलिस को भी छुट्टी देने का काम किया जाए। मैं यह मांग करने का भी काम करता हूं। 'आपदा में अवसर' लगातार आपका यह नारा सुनने को मिलता है। इसीलिए, आपने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की प्रीमीयम पर 18 परसेंट लगाने का काम कर दिया।

माननीय सभापति जी, आर्थिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि देश में मांग का सृजन होना चाहिए, इसलिए, कृषि, ग्रामीण विकास, एमएसएमई तथा मैनुफैक्चरिंग पर बिना ध्यान दिए यह संभव नहीं है और पेट्रोल-डीजल पर भी जीएसटी के दायरे में लाने का काम करना चाहिए, जिससे आम आदमी को कम से कम राहत मिल सके।

78,213 करोड़ रुपए की जो अनक्लेम्ड रकम पड़ी हुई है और बैंक में जो कम पैसा रखने पर 8,300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, उससे कम से कम किसानों का कर्जा माफ कर दीजिए, लेकिन सभापति जी, मैं जानता हूं कि ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना है। इन्हें पोर्ट किसी एक आदमी को देना है, इन्हें एयरपोर्ट भी उसी उद्योगपति को देना है, इन्हें बिजली भी उसी उद्योगपति को सौंपनी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में, जब वह उद्योगपति चाहेगा, तो देश ठप कर देगा।

अंत में मैं कहना चाहूंगा –

"यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है,
चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए।"

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1640/CS/SMN)

1640 बजे

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : महोदय, धन्यवाद।

मैं अपने दल का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। इसे देखने से लगता है कि यह धनवानों के लिए, धनवानों के दोस्तों द्वारा, धनवानों से सहानुभूति रखने वाले लोगों द्वारा यह बजट तैयार किया गया है। एक तरफ कारपोरेट जगत को बहुत सारी छूटें दी गई हैं, कहाँ 32 परसेंट उन पर टैक्स लगता था, उसको लाते-लाते 20 परसेंट पर ले आए हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उसके लिए 7 लाख रुपये करके भी बहुत खुशी मना रहे हैं कि 7 लाख रुपये हमने उसकी लिमिट कर दी है और 17 हजार रुपये की उसे छूट दे दी है। यही नहीं, पहली बार बहुत साल बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी से यह बजट दूर है। आम आदमी का बजट होता तो आज जो सदन में बात उठकर आयी है, वह नहीं होती। चाहे हमारे महाराष्ट्र के दोस्त बोल रहे थे, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के दोस्त बोल रहे थे। ज्यों-ज्यों बजट की साइज बढ़ी, त्यों-त्यों गरीब को भूलते गए, असंगठित क्षेत्र को भूलते गए, युवाओं को भूलते गए, बेरोजगारों को भूलते गए और सबसे ज्यादा बड़ी मार किसान और किसानी पर की है। यहाँ कहा गया था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, आय दुगनी नहीं की, बल्कि उसका जो कृषि का इनपुट था, उसकी लागत दुगनी कर दी है।

(1645/IND/SM)

अध्यक्ष जी, कृषि की लागत ज्यादा होने के बावजूद कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगा दी। फर्टिलाइजर के बोरे का साइज कम कर दिया। किसान का कर्जा माफ करने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह किसान प्रधान राज्य है। वहां ज्यादातर किसान हैं और वह भी एक फसलीय इलाका है। हमारे किसान बहुत मेहनत से काम करते हैं और आज हालत यह है कि उनकी आय दोगुनी होना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अपनी लागत का मूल्य ही नहीं मिल पाता है। यहां घोषणा की गई कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। उसके लिए पूरे बजट में कोई चर्चा नहीं की गई है। आप हेल्थ सेक्टर की बात ले लीजिए। स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कालजे तक जो शिक्षा सुविधा है, वह पर्याप्त नहीं है। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जी की बहुत आलोचना की जाती है लेकिन उन्होंने वर्ष 1956 में दिल्ली में जो एम्स बनवाया था, उसके मुकाबले का पिछले दस सालों में कोई एक एम्स भी तैयार नहीं कर पाए हैं। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जी ने उस समय जो आईआईटी खोली, जो आईआईएम खोले, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले चाहे आईसीसीएमआर है या साइंस इंस्टीट्यूट है या हिस्ट्री रिसर्च की बात है, ऐसा कोई

इंस्टीट्यूशन पिछले दस सालों में यह सरकार नहीं बना पाई है। मेडिकल की भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। गांव के उप-स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुविधाएं नहीं हैं। सीएचए में सुविधाएं नहीं हैं, जिला अस्पतालों में भी सुविधाएं नहीं हैं। यही कारण है कि आज कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इलाज की निशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए थी। हमने राजस्थान में 25 लाख रुपये की निशुल्क मेडिकल की व्यवस्था की थी। एक प्रश्न पर पंजाब से आने वाले हमारे साथी राजा वरिंग जी ने कहा था कि हम बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हैं लेकिन आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि जो गंभीर रोगी हैं, उनका पूरा इलाज भारत सरकार निशुल्क कराएगी। जब राजस्थान सरकार 25 लाख रुपये का इलाज करा सकती है तो स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आप पांच लाख रुपये देते हैं, उस राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये क्यों नहीं करते हैं? यदि इस देश को आगे ले जाना है, यदि सोसायटी को आगे बढ़ाना है, तो आपको हेल्थ सेक्टर पर खर्च बढ़ाना होगा। आपको एग्रीकल्चर पर खर्च बढ़ाना होगा। वर्ष 2021 में 4.40 परसेंट खर्च करते थे और अब आप वर्ष 2024 में 2.5 परसेंट पर ले आए जाकि इस देश के 54 परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं। सारी इंडस्ट्री कृषि से चलती है। आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि आप 80 लाख लोगों को अनाज मुफ्त दे रहे हैं। ऐसा आप सिर्फ किसान के बलबूते पर कर पा रहे हैं। उस किसान के बलबूते पर आप लोगों को मुफ्त अनाज दे पा रहे हैं जो अपने खून पसीने से अन्न पैदा करता है। पुराने लोगों को याद होगा कि पीएल-480 के तहत अमरीका से इस तरह का खाद्यान्न आता था, जिसे पशु भी नहीं खाते थे। यह हिंदुस्तान का किसान है जिसने अपने बलबूते पर इस देश को आत्मनिर्भर बनाया है।

सभापति जी, मेरे यहां पब्लिक सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट है, इसमें हजारों लोग काम करते थे। उसमें जो कॉपर उत्पन्न होता है, वह डिफेंस के इक्वीपमेंट्स बनाने के भी काम आता है। उसमें अब केवल 500 आदमी काम कर रहे हैं। मेरी मांग है कि इस कॉपर प्लांट में आधुनिक मशीनें लगाकर शुरू किया जाए। मेरे यहां एक नेशनल हाईवे है, जिसे यूपीए सरकार ने मंजूर किया था। हरियाणा में वह 11 नम्बर नेशनल हाईवे पूरा हो गया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 70 किलोमीटर इस हाईवे पर एक इंच भी काम नहीं हुआ है। कृपया इस बारे में भी सरकार ध्यान दे क्योंकि यह केंद्र द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है।

(इति)

1647 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to respond to several hon. Members who have spoken on the Finance Bill.

The vision of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi has been to establish a simple, efficient, fair and equites, technology-driven taxation regime in this country. So, simplification and ease of compliance for the tax payers have been the primary objective with which we have been working for the last 10 years and this year also in the third term of Prime Minister, Shri Narendra Modi. The approach to taxation has been to simplify the taxation, reduce the burden on the tax payers and make sure that it is transparent and equites.

So, this year also, our approach has been that we bring in greater simplification in tax laws and procedures and that we enable growth and employment in this country. So, these twin approaches for making the taxation regime a lot simpler and technology-driven have been our broad principle based on which the proposals have been laid before this august House.

We have actually brought in transformational changes in the tax governance since the last decade. Without drastically increasing taxes and minimising the litigation, we have actually helped, I think, in bringing in a simplified taxation regime with greater transparency, ease of compliance and driven by the trust which we have on our tax payers.

Sir, several hon. Members have spoken about the tax burden on the middle-class. I will, of course, come a bit later to talk about this and respond to individual hon. Members on specific issues. But several Members have spoken broadly on this issue of burdening the middle-class. I will just take some names. Other names will come when I respond them specifically. Amar Singh ji, Arun Nehru ji, Neeraj Maurya ji, Supriya Sule ji, Tanuj Punia ji, Sachithanantham ji and also Avinash Reddy ji – all of them have spoken about the burden on the middle-class and that the taxes are not really being reduced and so on. In general, I want to put forth before you, Sir, that on some specific items, I believe, the middle-class stands to benefit. I will name them and specify them.

(1650/RP/RV)

1650 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

In 2023, the slabs for the personal income tax were significantly liberalized. All the taxpayers had a reduced tax liability of Rs. 37,500. This Government has again revised the slabs in the new tax regime, even now, in this Budget. Certainly, this has an impact on the middle-class, I would believe. The standard deduction for the salaried employees has also been increased from Rs. 50,000 to Rs. 75,000 in the new regime in this Budget. This is an effective relief of up to Rs. 17,500 for a salaried employee. This again, I would believe, benefits the middle class. Further, the deduction on the family pension for the pensioners is proposed to be enhanced from Rs. 15,000 to Rs. 30,000. For the salaried employees, the deduction on the employer's contribution in case of employees who are in private sector and public sector banks, those who are opting for the new tax regime, has been raised from 10 per cent to 14 per cent in this Budget. Again, middle-class stands to benefit from this as well.

Sir, in specific, in the last two years, a substantial relief has been given to the middle class. I may point out a few things. While most of the developed countries were increasing the personal income taxes during the COVID-19 crisis, Prime Minister Modi's direction to me – I have said this earlier also in this House and I would like to repeat now – was totally in contrast with what was happening in the developed countries. The direction was: “No tax on our citizens to meet the COVID expenditure.” And, I would strongly request the hon. Members to look back at what happened between 2020-21, 2022-23, we have not increased the tax at all. The effective tax on an income of Rs. 15 lakh – I am taking it as an example – was reduced to 10 per cent in 2023 and has been further reduced this year as well.

I want to again make this point clear, Sir. I would strongly believe this would certainly help the middle-class. Again, I would like to remind, through you, Sir, the august House, that from the days of tax terrorism – when we were accused in 2014, saying, ‘do something immediately because tax terrorism is affecting the middle-class and the small businesses and the rent-seeking approach of a few in the service had really hurt many of the taxpayers’, this was one of the biggest challenges before this Government, earlier in 2014 and again in 2019, when we were trying to bring in the faceless system – we have moved away from those days. It is because we brought in the faceless system, which is taxpayer friendly, and infused confidence in the taxpayer. If there is any enquiry on the tax, it could be responded *via* email or messages.

Besides this, ‘Vivad Se Vishwas’ Scheme was brought in. As a result of which, periodically – again this time also we have come up with ‘Vivad Se Vishwas’ – the pending litigation and demands have all been sorted out and relief was brought in to a wide range of taxpayers. This is what the data shows. Largely, the beneficiaries are MSMEs, individuals, and small companies, I would think this is also the segment which belongs to the middle class. So, they have found relief because of the ‘Vivad Se Vishwas’. Furthermore, small, old and petty, unverified tax demands of 90 lakh taxpayers were totally removed from the records, as announced in the Interim Budget of 2024.

(1655/NKL/MY)

यह घोषणा वर्ष 2024 के इंटरिम बजट में हुई है। मगर उसका असर अभी दिखने लगा है। उस समय हमने 99 लाख टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए घोषणा की। इस रिकॉर्ड से 1.1 करोड़ एंट्रीज बाहर निकले हैं। मिडल क्लास के सभी लोगों को इससे राहत मिलती है। छोटे बिजनेसेस को भी राहत मिलती है। यह मैं जरूर कहना चाहती हूं।

Sir, for the start-ups, the removal of angel tax has come as a big relief. This was introduced. We have removed it. Last year and the year before that, we tried removing the start-up world from some of the provisions of the angel tax and we thought that that would address the problem. If the festering problems really worried the small businesses and the start-ups in particular, we have totally removed it, abolished it. But when was it brought in? It was brought in 2012, and from then, in spite of having at least two full years in their hands, the UPA Government did not remove the start-ups from its ambit. … (*Interruptions*) Yes, 10 years, but who was the one who called it as exploitative tax? You called it as exploitative tax. The Leader of the Opposition called it as exploitative tax. When he introduced it, did he not know that it was exploitative? And now, when you demand the abolition of it, you forget that you brought it in. Because you now termed it as 'exploitative', the whole world has to accept it; we have worked on it so that the burden, because of this angel tax, does not fall on the small businesses. But eventually, after having worked on it two years over, we have now removed it. But I would again like to remind this House, through you, that it was called as an 'exploitative tax', and that we shall remove it was a claim by the one who brought it in, in the first place. … (*Interruptions*)

Sir, the exemption limit of one lakh for Long Term Capital Gains (LTCG) on certain financial assets such as those which are shares and bonds, have been given, and it is in this Budget that it has been raised to Rs. 1.25 lakh, which also, I strongly believe, benefits the middle-class because a small amount of money is getting invested in shares, stocks, and bonds for small returns that people would want to have because their investing capacities are not very big. Even for them, this Budget has given relief. In that, we have exempted it from any kind of tax, and that Rs. 1 lakh exemption has been enhanced to Rs. 1.25

lakh. So, the middle-class finds that the returns from the stock markets are much better than some of the saving schemes, and therefore, they have gone there in their own wisdom, and we have not taxed them.

We have only given them the exemption, and enhanced that limit from Rs. 1 lakh to Rs. 1.25 lakh, certainly aiming at the middle-class. Therefore, the narrative which is now being said – 'Oh, the middle class, you put them to difficulty; you have not done anything, they are angry with you'; certainly, Sir, I want the Parties who are talking about middle-class now to understand that this country had 98 per cent taxation in one of the earlier regimes, the ancient regimes, which also cared nothing for the fundamental rights of the citizens. That was the regime which brought in Emergency. There was 98 per cent tax at that time, and you were not worried about the middle-class. And, talking about the amount of corruption that had happened between 2004 and 2014, the public of India would have been much better if those moneys were in the coffers, rather than in the pockets of a few dynastic leaders. … (*Interruptions*)

Sir, now, I come to the Indirect Taxes. On the customs side, we have taken several steps to facilitate international trade, ensure processes becoming simpler and faster, and also to lead to lower logistics cost and compliance cost. This would certainly boost the domestic production and enhance export competitiveness. So, when we brought down the customs duty on several of those items listed in this Budget, it was aimed at reducing the prices of raw materials and inputs, thus making the domestic production far more cost effective.

(1700/VR/CP)

So, to promote trade and employment, we have in this Finance Bill proposed rate cuts on certain inputs for labour intensive industries such as leather and textile sectors. That will boost job creation and address duty inversion issues which are prevalent in the textiles sector.

Sir, with regard to exemptions and reductions – I know hon. Member Supriya Sule has raised a question on it, I will certainly come to answer specifically on that issue – on 27 critical minerals, such as lithium, cobalt and many others, which are necessary for this country's strategic autonomy, duty rate cuts have been done. Similarly, on precious metals, gold and silver, because India is one of the largest hub for cutting and polishing diamonds and it creates jobs in big numbers, and also because gems and jewellery, which mark a very big export potential for this country, we have brought down the duty rates here so that domestic value addition work can be better carried out for export purposes.

Sir, duty rate cuts have also been done on certain inputs for the aqua-farming area and the marine industry so that we will be able to export more marine products, especially shrimp. The industry has been requesting the Government. The raw materials which are being imported are critical for maintaining high standards of exports. Although domestic capacity is in the initial stages, I know some of the Members of Parliament have met me about capacity existing within this country and at this stage whether we want to reduce the duties, we have certainly supported the manufacturing happening in the country. But till such a time that they reach a level, we did not want marine exports to suffer and, therefore, some duty cuts have been brought in there as well.

Over and above all this, I have also announced that there will be a comprehensive review of the rate structure over the next six months and, hopefully at the end of that exercise we will have a greater simplified tax structure for our country as a whole. This is about the indirect tax, customs duty, excise and so on.

Sir, direct tax has come over. Again, technology-backed tax governance is what we are underlining. I would like to highlight that four major steps have come for the tax payers' convenience. If an income tax assessee goes to his

portal to file his returns, a pre-filled income tax returns based on verified third party information has made income reporting faster and easier. Many tax payers themselves have said this pre-filled form actually is helpful for them, and they can reject that which is wrong. But some things, which we have forgotten are getting captured and, therefore, the whole process is simple, easy and helpful.

The second thing is faceless regime. The faceless regime of assessment and appeals has automated major IT-related processes and reduced human interface and rent seeking. There is no discretion because it is now faceless.

Third, refunds are issued within days as opposed to months. It used to take sometimes several months; today average processing time of returns has reduced from 93 days in 2013 to 10 days in 2023-24. Ninety-three days for refund now gets done within 10 days! A record number of 7.28 crores of income tax returns for the year 2024-25 were filed till 31st July, 2024. It is a 7.5 per cent increase from Rs.6.77 crore last year, 2023-24. This is a good news which I would want hon. Members to recognize that 58.57 lakh income tax returns were received from first time income tax returns filers. First time 58.57 lakh people have filed returns indicating a widening of the tax base for which a lot of effort to nudge people has been taken up by us.

(1705/SAN/NK)

Sir, litigation mechanism is also something to which we have given a lot of attention. We have made multiple announcements in this Budget. I would like to highlight some of them. One, reopening and reassessment of taxes has been simplified. This is a very big issue because many people, many tax-payers felt for how long they should keep the record, for how long they should remain in suspense, till when the income tax authorities will keep asking them for documents. We have simplified that process. I want to highlight that assessment may be opened up to only five years post-assessment, but for the fourth and the fifth years, only if unreported income exceeds Rs. 50 lakh. So, it will be opened only up to five years after the assessment of that particular year is complete, but even afterwards, what is important is the fourth and the fifth year. You will open it up only if there has been unreported income of Rs. 50 lakh or more. The period thus stands reduced from 10 years to five years only.

Till now, all of us kept our documents for ten years. Now, it will be reduced to only five years. I will be grateful to all the Members of this House for bringing in that change which will make it much more simpler for all of us literally.

Sir, in search cases, the scheme of block assessment has been introduced for a block of previous six years and the year of the search. A search happens for income tax - after that how long do I - for that, in search cases, the period of assessment now stands reduced from ten years to only six years. Even if there was a search, it is not beyond six years.

Sir, in this Budget, in order to relieve tax-payers of the pain of pendency, we have again brought in a Vivad Se Vishwas Scheme for the settlement of all pending appeals. It is also proposed that the two regimes of taxation of charities will be merged gradually into the one.

Also, monetary limit for filing appeals related to direct taxes, excise and service tax in tax tribunals or in High Courts or in the Supreme Court has been enhanced. For tax tribunals, it has been enhanced to Rs. 60 lakh; earlier it was Rs. 50 lakh. For High Court, it has been enhanced to Rs. 2 crore; earlier it was Rs. 1 crore. For the Supreme Court, it has been enhanced to Rs. 5 crore; earlier it was Rs. 2 crore. This will reduce litigation and promote ease of doing business. So, there is no hurry for small cases going into appeal. That has been clearly laid out that unless the amount is this much, you will not even go on appeal. As a consequence of the proposed upward revision of the monetary limits in the Finance Bill of 2024 – this is a very important data and I would like to place it before the hon. House – a total of 7,754 appeals, that is, 1,044 appeals pertaining to indirect taxation and 6,710 appeals pertaining to direct tax are likely to be withdrawn from various judicial fora. A total of 7,754 appeals will be withdrawn. You can understand the impact that it can make on tax-payers, the relief that it will give them so that there are no appeals after appeals going into the courts. Whether it is the Supreme Court, High Court or CESTAT or ITAT – all of them will be removed.

Sir, regarding rationalisation of TDS rates, we have proposed in this Budget to reduce TDS rates from five per cent to two per cent – no different, different rates – and to eliminate Section 194F where TDS rate is 20 per cent.

(1710/SNT/SK)

Even that would be now only two per cent. This will improve cash flow issues for small business. Again, it is a very big step forward for small businesses to have more money in their hands rather than give it in the name of TDS. In this budget, we have also decriminalized late payment of TDS if it is made before the deadline for filing the TDS statement itself. We have announced several comprehensive reviews of the Income Tax Act in this Budget.

At the beginning, I did say simplification of taxation, transparency, and so on. I also said our tax proposals are aimed at inducing growth, creating employment, and bringing in investments. A few steps that we have taken are for the shipping companies so that domestic cruise industry can grow. Also, for mining companies, we are having a safe harbour provision for them so that they can come into this country's mining sector. There is corporate tax rate so that there is parity between investor, corporate, foreign or domestic company. It is 35 to 40 per cent to attract greater foreign capital. Transfer pricing arrangements are also being streamlined.

Broadly, as an introduction, this is what I would want to say about the direct and indirect tax proposals which have come in. I will speak a bit later about the Government's amendment that I am coming up with on capital gains. But before that, I will move on to specific hon. MPs who have suggested a few things. Five topics in all have emerged. Different MPs have spoken about different things, but I have grouped it all together. The topic 'tax burden on middle class' was raised by, as I said, hon. MPs Amar Singh ji, Mahua Moitra ji, Neeraj Maurya ji, Supriya Sule ji, Deepinder Singh Hooda ji, Tanuj Punia ji, Sachithanantham ji, and also Avinash Reddy ji. I think on the middle class, broadly, I did say things in the opening statement, but I would like to highlight just one narrative which keeps coming up about the corporate tax and the personal income tax. That the corporate taxes are lower than the individual taxes is not well founded. It is not based on facts. It is all right for many hon. Members to say, 'No, no, no, corporate taxes are far lower than individual tax'. I will certainly try to put forth the factual narrative. A corporate is a legal entity. The dividend income is also part of the corporate profits, which was earlier

taxed at a lesser rate in the hands of the company. In 2020, we started taxing it in the hands of the shareholders at the applicable rate.

I request, through you, Sir, the hon. Members to see the point that I am trying to make is in 2020, we started taxing it at the hands of the shareholders at the applicable rate. This effectively meant that the richer shareholders will pay tax on dividend at 39 per cent rate, whereas in contrast, small and middle-income taxpayers will pay tax on dividends at even less than ten per cent, which is the effective income tax rate. So, this argument, 'Oh, you are taxing less for the corporate, you are giving it all to the big corporates, and you are burdening the ordinary middle-class citizen', is not well founded. I would like hon. Members to disabuse themselves of this misunderstanding on this issue.

Sir, the gross fixed capital formation data will be of use. I did mention that the first opening speaker of the Opposition, Shri Amar Singh, who normally gets into a lot of economic detail, did not raise it. I was looking forward to hearing from him on great detail about the details that he would pick up on economy-related issues. But no, he just gave a very quick speech. I think he came with less information in his hand. I was looking forward to his suggestions, but that was not to be. The gross fixed capital formation has actually shown a faster growth since pre-pandemic-induced contraction. The pandemic-induced contraction has been overcome with greater gross fixed capital formation.

(1715/AK/KDS)

So, we need to get the perspective on this. I have laid it before the hon. Members.

Hon. Member, Shri Srikrishna Devarayalu has raised this question about faceless assessment, complaints having been received that too many sections are being invoked and so on. The simple fact which I would like to put before him is that there is a non-intrusive and transparent mechanism in place. The faceless assessment eliminates the human interface in total. And this point, which was raised by him saying that before the reassessment the assessor has to pay 20 per cent of the amount, which means on the 80 per cent *status quo* continues, there is no claim being made. This is the other side of the coin. You said that 20 per cent has to be paid, and on paying it, 80 per cent claim

almost comes to a standstill. It has stayed there. So, that is the benefit that you get out of this payment. … (*Interruptions*)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): It is in appeal. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, where I am asking for 100 per cent claim, I am asking you to pay 20 per cent and for 80 per cent I am not going to do anything till such time that the appeal verdict is coming. This is the relief for you.

Again, Shri Srikrishna Devarayalu had asked this question about Vivad Se Vishwas that there are no timelines given and that there is high appeal pendency. I just want to highlight that we have created new mechanisms in the last two years. We have appointed new Joint Secretaries; JC (Appeals) are sitting there to clear up, more officers are getting deputed to deal with pendencies, and a Dispute Resolution Committee was formed in 2023 which deals with these claims. Further, the monetary limit for filing appeal to the ITAT is proposed to be increased, as I read out just a minute ago. So, we are taking a very open-minded approach towards Vivad Se Vishwas and this is the second round that I have brought that in. So, with that pendency is being addressed.

It was mentioned that Income Tax deductions have been done away with, hence middle-class is at a loss. This point was raised by several Members. I have read their names earlier. I just want to highlight that the new tax regime which we brought in is simpler, lesser in rates. It also gives flexibility to the tax payer to see where he wants to put his money in the absence of exemptions, which is available in the old regime. The old regime has not been dissolved. It is still on. So, as an alternative to the new tax regime, it still offers all the benefits of various deductions such as interest on home loan, etc. It is still available for people to benefit from. Individuals without business income can choose between this regime and the other, and if they want to revert back also, they can revert back. So, there is a choice provided for the taxpayer that he can choose.

Alright, we have brought the new tax regime, but people are not interested is not the case. I want to lay on the Table of the House the numbers who have moved to the new tax regime. For the previous Assessment Year

2023-2024, till 31st December, 2023, about 3.8 per cent of taxpayers opted for the new tax regime. This equates to about 30.93 lakh individuals from a total of 7.98 crore individuals who filed their returns -- ITR-1 and ITR-4. However, for the Assessment Year 2024-2025, which is what is before us, until 31st July, 2024, there was a dramatic increase in the adoption of the new tax regime. Approximately 72.8 per cent of all taxpayers have chosen to come into the new tax regime. This represents 5.25 crore individuals out of a total of 7.22 crore individuals who filed the tax returns -- ITRs in the same category.

(1720/UB/MK)

So, the new tax regime is actually helping people to see that they are paying less, they stand to benefit with the simple system and it is helping them. But it does not mean that the people who are coming into the new tax regime do not have any savings or investments. They are happening. The middle class is losing out is not a right argument. Due to the fintech growth, there is greater awareness and ease of investment is happening because of UPI e-KYC and very many progressive regulations. The investments in mutual funds have also increased tremendously. I will not go into the details of the numbers. Just to highlight, on an average, there is a very, very important indicative data. On an average, 17.88 lakh new folios have been added every month in the last five years since 2019. 17.88 lakh new folios! The unique mutual fund investors are also growing. Compared to 2014, when there were just one crore mutual fund investors, today, there are four crore mutual fund investors. Where is one and where is four!

The fifth topic is this. A group of hon. Members' concerns was on the capital gains tax that it is high and that the indexation has been removed. I will highlight in detail the capital gains tax matters. We are also coming up with a Government Amendment. Several hon. Members have spoken about it. The logic of the budgetary proposal on capital gains is that it has to be standardised, simplified, and also treat equally all asset classes, so that it is easy for computation, for filing, for record-keeping, and also all asset classes be treated equally. Now, the current Amendment that we are bringing is for land and building assets acquired by individuals and HUFs before 23rd July, 2024. It stipulates that in the case of transfer of long-term capital asset, being land or building or both, by an individual or HUF which is acquired before 23rd

July, 2024, the taxpayer can compute his taxes under the new scheme, which is 12.5 per cent without indexation, and the old scheme, 20 per cent with indexation, and pay such tax which is the lower of the two. Not only are we coming up with an option, we are also asking to calculate under both and tell us whichever is lower and you pay that tax. So, we have given an option. This ensures that no one faces additional tax burden due to this change. In fact, post the presentation of the Budget, the Amendment with which we have come in gives a fair option and the choice to the property holder who is going to be selling it. Before that, there were a number of hypothetical cases which were being raised in the public discourse and suggested that the proposed changes will actually lead to higher taxes. A lot of hypothetical instances were posed before us. The current amendment, I would like to repeat this, the current amendment ensures that even in such hypothetical cases, there will be no additional tax burden as a result of the current Amendment which I have brought in. No additional tax burden on anybody, whichever the hypothetical case that you may work out on. … (*Interruptions*)

We hear the public. This is a practice hon. Prime Minister Modi has brought in in the Budget-making process. … (*Interruptions*) Please listen. Hon. Prime Minister also represents the people. We all represent the people.

(1725/SRG/SJN)

Sir, I am very happy to know the Opposition wants to own it up now. … (*Interruptions*) I have done this from 2019 myself. Every time we present a Budget here, during the recess, when the Standing Committees are working on the proposals Department-wise, I have gone round the country to various destinations. … (*Interruptions*) Oh yes! … (*Interruptions*) No owning on that. … (*Interruptions*) No owning on that. … (*Interruptions*) You cannot match it. … (*Interruptions*) I have gone round the country with a Budget, met up with professionals, taxpayers, consultants, industry, traders, taken their viewpoint, come here and brought in Government amendments so that the Budget will be representative of the common people's aspirations. … (*Interruptions*) We have done that. … (*Interruptions*) Sir, for all the heckling and hooting, I like to say, once when I came up with a lot of amendments - I do not want to name some hon. Members who are seated here - they asked me, you only presented the Budget, now you want so many amendments. I said yes, because I have heard

the people who want some things changed. … (*Interruptions*) We have the courage of conviction to change it. … (*Interruptions*) We brought it in. … (*Interruptions*) There is no point in heckling. … (*Interruptions*) Therefore, the current amendments ensure that even for such hypothetical cases, there will be no additional tax burden as a result of this proposal.

Sir, let me now remind one thing. I respect hon. Member N.K. Premachandran Ji for the details with which he comes on every amendment. I respect him for it. He goes through it, he very consciously picks up certain things and questions, which is a very, very strong way to put forward a case, and I am willing to hear it all. But I respectfully want to submit to Shri N.K. Premachandran – I am sorry, I am picking him up not to criticize him - that the capital gains proposals that we brought in, now getting amended with the approval of this House, also had rollover provisions, meaning somebody had a property, they bought it at some price, later on they sell it, the capital gains that they get if they only invest it in another property, another one property or two properties, still up to Rs. 10 crore, they stand to benefit because there is no tax on it. That rollover provision was there from day one when I submitted this Budget on 23rd July. Even now it is there. It continues even now. The middle-class has been in our mind even then. It is now in our mind even now, even after bringing this indexation provision. … (*Interruptions*) Yes, for all those who sit and ask me this question, I will repeat. It was no revenue consideration for which we removed the indexation provision. We wanted to bring in simplification. We wanted to treat all asset class equal, and therefore, we brought it in. But if people are clear that indexation is what they want, we have now given that option as well. So, there is no revenue consideration or greed for more money to earn from people who have invested in their house. It is only to simplify that we brought that in. So, that is one rollover benefit about which less is spoken, but it is worthy to remind the middle-class about which today a lot of us are being questioned, and I am happy to answer this question. The rollover provision exists if the capital gains amount is invested in one or a second property as well.

But if in case … (*Interruptions*) No, that is not happening. … (*Interruptions*) We are saying, you at least invest in those bonds or items which are notified under 54 EC of the Income Tax Act and there you can invest up to

Rs. 50 lakh annually. Even that provision existed in the July 23, 2024 Budget. It exists even now, and it stands to benefit the middle-class. I would like to highlight that. Therefore, on the capital gains tax, discussions have been conveniently twisted and turned, but the aspect that the indexation that may be desired we brought in here. So, I am happy to say that we have yielded to the voices which have been heard. Hon. Prime Minister Modi has done this every year from 2019 onwards, and I am doing this every Budget.

(1730/RCP/MM)

So, I have explained the Capital Gains Tax and also the Government amendments. The last issue is on GST. मैं जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग के इश्यू को भी सामने रखना चाहती हूं। … (व्यवधान) A lot of Members have given us suggestions on GST which, certainly, I will take to the Council because the ultimate decision is in the Council. … (*Interruptions*) जीएसटी काउंसिल में टू-थर्ड स्टेट्स का रिप्रज़ेंटेशन है, One-third is all the Central Government has. It is a Constitutional body. So, there are suggestions on GST regarding very many items. सुझाव के रूप में बहुत सारी बातें आयी हैं। एक-दो बातों के बारे में मैं यहा एक्सप्लैन करना चाहती हूं। Before I go to GST, कस्टम के ऊपर मैं कहना चाहती हूं, the customs duty on chemicals for research work and laboratories has been reduced to zero. Hon. Member Supriya Sule raised it. उनका प्रश्न था - Why did you have to reduce it? But 150 per cent is the BCD. All chemicals, which come into this country are classified in three different Chapters, Chapters 28, 29 and 38 of the Customs Tariff Act, and they attract different rates. Chapter 28 has 2.5 per cent; Chapter 29 has 5 per cent; Chapter 38 has 7.5 per cent, and some are in the category of 10 per cent. Ethyl alcohol attracts a BCD of 150 per cent. That was proposed in the Budget. On that, a lot of concerns have been expressed. I just want to highlight that चैप्टर्स स्ट्रीम होने के बावजूद एक फैसिलिटेशन मैज़र के नाते, Chapter Tarriff Heating, इसे सीटीएच भी बोलते हैं। CTH 9802 was created sometime back for imports of laboratory chemicals in quantities not exceeding 500 ml. or 500 grams. Its basic duty was 10 per cent. मतलब छोटे साइज़ में कोई केमिकल जो लिक्विड के रूप में आता है, उसके ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए अलग से चैप्टर था। उसका बेसिक ड्यूटी दस परसेंट था। लेकिन सीटीएच 9802 चैप्टर का दुरुपयोग हो रहा था। It has been misused to import ethyl alcohol which otherwise attracts BCD of 150 per cent.

(1735/YSH/PS)

चूँकि उसके ऊपर 150 परसेंट है इसलिए उसको छोटे-छोटे सैम्पल या साइज में इकट्ठे ही इतने सारे ले आइए और उसमें छोटे सैंपल्स हैं इसलिए उस पर 10 परसेंट की ड्यूटी लगाइए, ऐसे करके ये सिस्टम को घुमाते रहे। मैं सभी को दोषी नहीं मानती हूँ, लेकिन कुछ इथाइल एल्कोहल इम्पोटर्स ने ऐसा किया। To curb this kind of a misuse, in the current Budget of 2024-25, this BCD for this particular category, CTH 9802, was increased to 150 per cent in the tariff. इसलिए इन छोटे सैंपल्स का दुरुपयोग करने की वजह से कि इकट्ठा ले आइए, उसमें छोटे-छोटे सैम्पल्स रखिए और 10 परसेंट का एडवांटेज लीजिए, इस मिसयूज को सही करने के लिए 150 परसेंट की ड्यूटी लगाई गई है। क्या इतना लगाने के लिए अधिकार है? मैं एक बात बताना चाहती हूं। I just want to give three important points on taxation on tariff and measures like that, which all of us will know, but still, I will put it for the benefit of the hon. Members. The Commerce Minister is seated here. The bound rate for any item is determined by the WTO. But the tariff and ceiling rates are decided by this Parliament. उसमें प्रेसक्राइब्ड रेट लाने के लिए थ्रू नोटिफिकेशन, कस्टम (सीबीआईसी) डिपार्टमेंट काम करता है। So, 150 per cent of tariff rate under this Customs Tariff Act, 1975, which operates as a ceiling, is approved by the Parliament. To facilitate a genuine research and development, the Central Government in a recent notification -- even as the Parliament was in session, we presented it in the House -- prescribed 10 per cent BCD on laboratory chemicals imported for the use of laboratory. अब यह अभी क्यों कर रहे हैं, पहले तो 150 सीलिंग रेट बोल दी तो यह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि छोटे-छोटे सैम्पल्स को भी अगर आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा और उससे आप 10 परसेंट टैक्स लो। यह गेमिंग को कंट्रोल करने लिए सिस्टम था। हम उसमें भी थोड़ा रिलेक्स करके बोलते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, बोलिए कि यह बल्क में नहीं ला रहे हैं, and that you are purposely bringing it with an intention to use it in research, and then, give us self-certification and take your 10 per cent. That is the facilitation which has been done. I hope that answers the concerns of the hon. Member, Shrimati Supriya Sule.

Again, on the import of rare minerals, an hon. Member had asked this question. These minerals are not available in this country. There is no substitute available for them in this country. Small quantities are required by so many sectors. High-tech electronics needs these critical minerals.

Therefore, the Ministry of Mines is of the view that we need to get them at concessional or zero per cent rates. These are required for high-tech electronics. Telecommunications, space, transport, defence, and clean energy system need these rare minerals. That is why, we have brought it down. We are conscious of monitoring the small quantities, which will come, as well.

Hon. Speaker, Sir, now, I have last two points. The excise duty on petrol has increased from Rs. 9 before 2014 to Rs. 20 now; and the excise duty on diesel has increased from Rs. 3 before 2014 to Rs. 15 now. Therefore, the demand was to give relief on excise duty on petrol and diesel. Sir, I have said it several times in this House. Both in November, 2021 and in June, 2022, we reduced the excise duty on petrol and diesel. But I would like to highlight that in November, 2021 and May, 2022, Rs. 13 per litre was reduced on petrol and Rs. 16 per litre was reduced on diesel, both the times put together. And the petrol and diesel prices were cut by Rs. 2 per litre across the country even in March, 2024. But … (*Interruptions*) sorry … (*Interruptions*)

(1740/RAJ/SMN)

सर, मगर ये कट डाउन करने वाले प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी हैं। वह कट होने के बाद सभी बीजेपी रूलिंग स्टेट्स कट किए। हम जनता के हित में काम नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे, ऐसा करने वाली सभी सरकारें और आज विपक्ष हम से मांग की रहा है कि रेट कट करिए। हमने यह दो बार किया और तीसरी बार मार्च, 24 में भी किया।… (व्यवधान)

मैं पूछती हूं कि वे स्टेट्स जहां रेट कट नहीं हुआ, मगर चुनाव में जीत कर आने के बाद हिमाचल प्रदेश में वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल बढ़ाया गया, तीन रुपये ऑन पेट्रोल एंड 10 रुपये ऑन डीजल। I want to ask that in January, 2023, what stopped the Congress Party from giving relief to the people in Himachal Pradesh. आप जनता को गुमराह करके, जीत कर आने के बाद रेट बढ़ा रहे हैं और इधर आकर हम से पूछ रहे हैं।… (व्यवधान) दूसरा, मैं उस विषय पर भी आती हूं। In Karnataka, again the Congress Government, in June, 2024, hiked the sales tax on fuel which made petrol and diesel costlier even there. Petrol and diesel prices went up by three rupees. उधर कांग्रेस की सरकार है, आप उधर जा कर रेट कट करवाइए।… (व्यवधान) मैं पंजाब के विषय पर आती हूं। पंजाब के बहुत सारे माननीय सदस्य कई विषय में मांग करते हैं। In June, 2023, the Punjab Government led by Aam Aadmi Party, part of the

INDI alliance, increased the valueadded tax on petrol and diesel by 10 per cent and 13 per cent respectively. इसके कारण पंजाब में पेट्रोल के दाम में 92 पैसे इंक्रीज हुए और डीजल के दाम में 88 पैसे इंक्रीज हुए और ये इधर आकर हम से पूछ रहे हैं। हम वह कर दिखाया। The Tamil Nadu Government led by DMK had promised in their election manifesto that they will cut prices by five rupees a litre and by four rupees a litre on petrol and diesel respectively. Only three rupees petrol cut was made in August, 2021 and no cut in diesel was made. ये इधर आकर हम से पूछते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कट करिए।… (व्यवधान) सो, एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल और डीजल के ऊपर लेक्चर देने के पहले, उन्हें अपने-अपने राज्यों में यह करके दिखाना चाहिए। माननीय सदस्य तनुज पुनिया जी ने प्रश्न पूछा है। Synthetic menthol from China and natural menthol made in India are both attracting 12 per cent of GST. यह सही नहीं है। मैं उनके लिए जवाब देना चाहती हूं। एक ही एचएस कोड था।

I do not know if hon. Member Shri Tanuj Punia Ji is here. I wanted to respond to him. In this, natural and synthetic menthol … (*Interruptions*) बिल्कुल सही है।

सर, मैं माननीय सदस्य पुनिया जी को जवाब देना चाहती हूं। Natural and synthetic menthol classification एक ही एसच कोड के नीचे आता है, उसके लिए अलग एचएस कोड नहीं है। उसके कारण, there are problems. A request was received from the State of Uttar Pradesh to increase the GST rate on synthetic menthol so that the natural menthol, which is produced in this country, can be treated fairly. However, because of the absence of tariff code or standards to distinguish between natural menthol and synthetic menthol, the issue had not been taken up. In this Finance Bill, it is proposed to create a separate HS code for natural menthol, and, therefore, after this, the GST Council can consider and take its decision on the matter.

(1745/KN/SM)

So, that is for hon. Member, Shri Punia who addressed this issue. Several suggestions have been given regarding GST. As I said, I will take it up with the Council. On this issue, I wish to utilise this opportunity to explain what this matter is … (*Interruptions*) Sorry, I cannot hear you … (*Interruptions*) सर, पता नहीं, वह क्या बोल रही हैं? … (व्यवधान)

सर, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी 18 परसेंट को रिमूव करो, मैं इस विषय पर बहुत से प्रश्न उठाना चाहती हूं।… (व्यवधान) It is amusing me. I am

sorry to use this word. It is thoroughly amusing me. मैं डिटेल में आऊंगी। ऑनरेबल मंत्री जी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी। मंत्रीगण चिट्ठी लिखते हैं। क्योंकि वह चिट्ठी किसी और के द्वारा पब्लिक में आ आई, खुलासा हुआ, उसके ऊपर चर्चा हो। Oh! there is a lot of difference of opinion in the Government! उसको पकड़ लो, मैं भी बोलता हूं। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम करो, क्योंकि उन्हें उनकी चिट्ठी मिल गई। … (व्यवधान) हाँ, ठीक है, जो भी हो। फिर उसके बाद 200 एमपीज़ के साथ इसके ऊपर से जीएसटी खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया।… (व्यवधान) उसमें सभी पार्टियां आ रही हैं। हम भी ध्यान से सुनते हैं। मगर दो विषय… (व्यवधान) सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर किसी को लग रहा है, तो वह अलग बात है।… (व्यवधान) मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से टैक्स था।… (व्यवधान) प्लीज आप ध्यान से सुनिये। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री-जीएसटी टैक्स लगता था। यह नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी शुरू होने के बाद नहीं आया। यह हर स्टेट में पहले था। आज इधर आकर प्रदर्शन करने वाले हरेक से मैं पूछ रही हूं कि क्या आपने अपने स्टेट में बात की है कि उसको हटाओ? आपने नहीं की है। … (व्यवधान) यह हर स्टेट में था। जीएसटी से पहले स्टेट में जो कानून था, वे सब जीएसटी में भी आ गए। Now, it is being said that GST is very, very exploitative. No, इसमें यह अभी नहीं आया। नहीं, जीएसटी से पहले भी आपके अपने-अपने राज्य में मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स था, वह पहले आपको मानना चाहिए।

दूसरा, अपने-अपने वित्त मंत्री जी, जो जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं, क्या उनको चिट्ठी लिखी? आपने नहीं लिखी। मगर इधर प्रदर्शन करो।… (व्यवधान) जीएसटी में टू थर्ड भाग लेने वाले स्टेट से क्या अपने-अपने वित्त मंत्री जी को लैटर लिखा है? आपने नहीं लिखा है। मगर इधर प्रदर्शन करो। मोदी जी, रेट कम करो। यह क्या डबल नाटक है? यह नाटक क्या है? … (व्यवधान)

(1750/VB/RCP)

सर, ठीक है, उन्होंने तब नहीं लिखा, अभी भी उन्होंने अपने-अपने स्टेट्स के वित्त मंत्री को नहीं कहा है। कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी उसमें बैठते हैं, 'आप' शासित राज्यों से वित्त मंत्री बैठते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी शासित राज्य के वित्त मंत्री भी जीएसटी काउंसिल बैठते हैं, टीएमसी के वित्त मंत्री बैठते हैं। मगर जीएसटी काउंसिल में इस विषय को, मैं यह भी बोलती हूँ खुले मन से… (व्यवधान) हाँ-हाँ, सभी वित्त मंत्री बैठे… (व्यवधान) मैं बोल रही हूँ सर।… (व्यवधान) That is why, you are referring. … (*Interruptions*) किसी दूसरे लेटर को उठाकर राजनीति करने वाले, राजनीतिक रोटी सेंकने वाले सोच लो।… (व्यवधान)

सर, जीएसटी काउंसिल की 31वीं मीटिंग में इस विषय को उठाया गया। उस पर डिसक्शन हुआ। फिर 37वीं मीटिंग में… (व्यवधान) I will come back to you Supriya ji.… (*Interruptions*) I am giving answers to every point that you have raised

as has been done for other Members. Listen to what I say as a reply. … (*Interruptions*) I have heard everybody's point. … (*Interruptions*)

सर, 31वीं मीटिंग में, … (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Why have you become aggressive? … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I have learnt this from you, *dada*. … (*Interruptions*) मैं आप से सीख रही हूँ दादा। इनसे सीख रही हूँ सर।… (व्यवधान) सॉफ्टली बोलने से ये चिल्ला-चिल्लाकर मुझे बिठा देते हैं।… (व्यवधान) इसलिए कल्याण बनर्जी दादा से मैं सीख रही हूँ कि थोड़ा एग्रेसिव रहना चाहिए।… (व्यवधान) 31वीं मीटिंग में डिसक्शन हुआ, उसके बाद 37वीं मीटिंग में भी डिसक्शन हुआ।… (व्यवधान) आप यह सुनिए।… (व्यवधान) आप आराम से बैठिए।… (व्यवधान) 31वीं मीटिंग में डिसक्शन हुआ, फिर 37वीं मीटिंग में भी डिसक्शन हुआ।… (व्यवधान) इसके बाद 47वीं मीटिंग में भी डिसक्शन हुआ। इसलिए जीएसटी काउंसिल में तीन बार इस पर चर्चा हुई है।… (व्यवधान)

मैं इसी विषय के संबंध में एक अहम मुद्दे पर आ रही हूँ।… (व्यवधान) किसी न्यूज़पेपर में, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, मैं उस पेपर का नाम नहीं ले रही हूँ… (व्यवधान) मगर… (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Please reply to the questions. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am coming to all the points. There is no point in distracting me. … (*Interruptions*)

सर, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, मैं न्यूज़पेपर का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर उसमें कहा गया कि the Centre has pocketed Rs. 24,529 crore on health insurance premium. यह एकदम गलत बयान है। उसका हेडिंग भी वही है- the Centre pocketed. It is totally wrong.

मैं कह रही हूँ कि जीएसटी कलेक्शन, मान लीजिए 18 फीसदी है, कुछ आइटम्स के ऊपर, इस विषय में 18 परसेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रिमीयम के ऊपर। Out of which, nine per cent goes to the States and nine per cent comes to the Centre. जो 9 परसेंट हमारे पास आता है, इस विषय में, Rs. 12,264 crore immediately, on collection, goes to the States. 24,529 करोड़ रुपए जो लिखा गया, वह गलत है, that it has been pocketed by the Centre. No, if the collection is Rs. 24,529 crore, Rs. 12,264 crore have gone to the States immediately. Later on, the amount of Rs. 12,264 crore, which comes to the Centre, out of which, 41 per cent

goes to the States. In totality, approximately 73 per cent to 74 per cent of this premium goes to the States.

मतलब आप एक सौ रुपए जीएसटी कलेक्ट करो, उसमें से 50 रुपए स्टेट को तुरंत चला जाता है, एनदर 50 रुपए, जो हमारे पास आते हैं, उसमें से भी... (व्यवधान) मेरे पास जो 50 परसेंट आता है, 50 रुपए, उसमें भी 29 रुपए 55 पैसे स्टेट्स को चले जाते हैं।... (व्यवधान) मतलब 74 रुपए और कुछ पैसे। हर सौ रुपए में से 74 रुपए स्टेट्स को चले जाते हैं।... (व्यवधान)

(1755/PC/NKL)

इसमें मोदी सरकार को दोषी रखो और इधर प्रदर्शन करो। ... (व्यवधान) हर स्टेट में, उनकी पार्टी को उधर जाकर उनके वित्त मंत्री के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। ... (व्यवधान) 74 रुपए आपने कमाए, रहम है? ... (व्यवधान) आपके हाथ में रहम है? ... (व्यवधान) वह वित्त मंत्री, हमारा वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, 74 रुपए कमाकर बैठे हो, गलत है, जाकर उधर बोलना चाहिए। ... (व्यवधान) 100 रुपए में से 74 रुपए उधर जाते हैं। ... (व्यवधान) इधर आकर प्रदर्शन कर रहे हो? जाकर अपने-अपने स्टेट में, अपने-अपने वित्त मंत्री जी से पूछ लो। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री गौरव गोगोई जी, मैं आपकी बात पर ही आ रही हूं, सिट-डाउन। ... (व्यवधान)

सर, इसीलिए, इधर खड़े होकर, वन-थर्ड मेंबरशिप हमारे हाथ में रखकर जीएसटी काउंसिल में जब टू-थर्ड राज्य मंत्रीगण बैठते हैं, मैं इतना तो कम से कम करूंगी कि माननीय सदस्यों के द्वारा यह हल्ला पार्लियामेंट में हुआ। ... (व्यवधान) उन्होंने अपने-अपने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, मुझे मालूम नहीं है। ... (व्यवधान) मैं काउंसिल में जरूर कहूंगी कि यही हुआ है। ... (व्यवधान)

धन्यवाद, सर।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 28, line 12, *for* “(c)”, *substitute* “(D)”. (14)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 15 से 19 प्रस्तुत कीजिए।

Amendments made:

Page 35, *omit* line 35. (15)

Page 35, line 39, *after* “inserted”, *insert* “with effect from the 1st day of October, 2024”. (16)

Page 36, *omit* lines 1 to 5. (17)

Page 36, line 6, *for* “(ii)”, *substitute* “(b)”. (18)

Page 36, *after* line 13, *insert* –

‘(c) after the proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 1st day of October, 2024, namely:-

“Provided further that no deduction shall be allowed in case of dividend income of the nature referred to in sub-clause (f) of clause (22) of section 2.”.’. (19)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 29

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, क्या आप संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I beg to move:

Page 38, *for* lines 34 to 39,-

substitute "shall be the aggregate of the amount of income-tax calculated on such short-term capital gains at the rate of ten per cent.". (9)

Page 39, *omit* lines 1 to 10. (10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 और 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1800/VR/CS)

Clause 30

माननीय अध्यक्ष : श्री विशाल पाटिल जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Sir, I am moving the amendment no.11. I beg to move:

Page 39, *for* lines 24 to 29,-

substitute "(A) at the rate of fifteen per cent. for any transfer which takes place before the 23rd day of July, 2024; and

(B) at the rate of ten per cent. for any transfer which takes place on or after the 23rd day of July, 2024:". (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री विशाल पाटिल जी द्वारा खंड 30 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : डॉ. टी. सुमति जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करना चाहती हैं?

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Sir, I am moving the amendment no.12. I beg to move:

Page 41, for lines 4 to 18,-

substitute "long-term capital gains at the rate of ten per cent:". (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. टी. सुमति जी द्वारा खंड 30 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 20 व 21 प्रस्तुत कीजिए।

Amendments made:

Page 39, *after* line 37, *insert*-

"Provided further that in the case of transfer of a long-term capital asset, being land or building or both, which is acquired before the 23rd day of July, 2024, where the income-tax computed under item (B) exceeds the income-tax computed in accordance with the provisions of this Act, as they stood immediately before their amendment by the Finance (No. 2), Act, 2024, such excess shall be ignored;". (20)

Page 40, lines 19 to 35, *substitute*-

"(ii) the amount of income-tax calculated on long-term capital gain [except where such gain arises from transfer of capital asset referred to in sub-clause (iii)],-

(A) at the rate of twenty per cent. for any transfer which takes place before the 23rd day of July, 2024; and

(B) at the rate of twelve and one-half per cent. for any transfer which takes place on or after the 23rd day of July. 2024; and

(iii) the amount of income-tax on long-term capital gains arising from the transfer of a capital asset, being unlisted securities or shares of a company not being a company in which the public are substantially interested, as computed without giving effect to the first and second provisos to section 48, calculated on such long-term capital gains, -

(A) at the rate of ten per cent. for any transfer which takes place before the 23rd day of July, 2024; and

(B) at the rate of twelve and one-half per cent. for any transfer which takes place on or after the 23rd day of July, 2024;". (21)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 51 से 55 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Parliament represents the will of the people. ....*(Interruptions)* I am appreciating the amendments brought in by the Government. I have moved five amendments. The hon. Minister has already accepted it in another way with regard to the taxation on long-term capital gains. Indexation has been done away with simultaneous reduction of rate from 20 per cent to 12.5 per cent. That was the original Bill that was presented before this House. Now, the Government has come with official

amendment. We do accept it. We do concede to the Government also. We are thankful to the Government since the Government has indirectly accepted the observations of the Opposition and the people at large. Hence, I do not move these five amendments. Thank you very much, Sir.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 30, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 और खंड 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

.....

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही इस विषय के समाप्त होने तक बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

खंड 33

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving the amendment no.59. I beg to move:

Page 42, line 13,-

for "twelve and one-half per cent."

substitute "five per cent.". (59)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 33 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

.....

खंड 34

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 60 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving the amendment no.60. I beg to move:

Page 42, line 25,-

for "twelve and one-half per cent."

substitute "five per cent.". (60)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 34 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 60 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 34 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

.....

खंड 35

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am moving the amendment no.61. I beg to move:

Page 43, line 1,-

for "twenty and one-half per cent."

substitute "five per cent.". (61)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 35 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 61 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 35 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।

.....

(1805/IND/SAN)

Clause 36

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 62 से 65 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 43, line 14,-

for "twenty per cent."

substitute "ten per cent.". (62)

Page 43, line 21,-

for "one lakh twenty-five thousand"

substitute "twenty lakh". (63)

Page 43, line 25,-

for "twelve and one-half per cent."

substitute "five per cent.". (64)

Page 43, lines 28 and 29,-

for "one lakh twenty-five thousand rupees"

substitute "twenty lakh rupees". (65)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 36 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 62 से 65 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 36 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 44

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 47, line 2, *after* "information", *insert* "under the scheme notified".

(22)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 44, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 44, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 45

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 48, line 37, *for* "books of accounts", *substitute* "books of account".

(23)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 45, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 47

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 49, line 32, *after* "Where", *insert* ", in a case other than that covered under sub-section (3),". (24)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 47, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 47, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 48 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 49

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25 से 28 प्रस्तुत कीजिए।

Amendments made:

Page 51, line 18, *after* "expense,", *insert* "exemption,". (25)

Page 53, line 27, *for* "such other materials or informations", *substitute* "any other material or information". (26)

Page 53, lines 31 and 32, *for* "such other materials or informations", *substitute* "any other material or information". (27)

Page 61, *omit* line 27. (28)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 49, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 50

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:-

Page 63, *for* lines 22 to 30, *substitute* –

'Provided that this sub-section shall not in any case have the effect of reducing the tax deductible from income under the head "Salaries", except where the loss under the head "Income from house property" and the tax deducted in accordance with other provisions of Part B and tax collected in accordance with the provisions of Part BB, of this Chapter, has been taken into account.'. (29)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 50, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 50, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 51

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत कीजिए।

Amendments made:

Page 63, line 37, *for* "8 per cent.", *substitute* “8%”. (30)

Page 63, line 38, *for* "7.75 per cent.", *substitute* 7.75%" (31)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 51, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 51, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 52 से 90 विधेयक में जोड़ दिये गये।

(1810/SNT/RV)

Clause 91

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 79, line 14, *for* “section 91”, *substitute* “this section”. (32)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि खंड 91, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 91, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 92 से 105 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 33* to the Finance (No.2) Bill, 2024 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 33* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

New Clause 105A

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 86, *after* line 8, *insert*–

51 of 1975 — 105A. In section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), for sub-section (12), the following sub-section shall be substituted, namely:– *Amendment of section 3.*

52 of 1962 — "(12) The provisions of the Customs Act, 1962 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the

---

* *Vide* Amendments List No.3 circulated on 6.8.2024

date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply to the duty or tax or cess, as the case may be, chargeable under this section as they apply in relation to duties leviable under that Act or all rules or regulation made thereunder, as the case maybe.".'. (33)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 105क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 105क विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 106

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Pages 86, lines 9-10, *omit* "1975, (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act),". (34)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 106, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 106, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 35* to the Finance (No.2) Bill, 2024 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 35* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

New Clauses 106A, 106B and 106C

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 86, after line 10, insert-

'106A. In section 8B of the Customs Tariff Act, for sub-section (9), the following subsection shall be substituted, namely: – Amendment of section 8B.

52 of 1962 "(9) The provisions of the Customs Act, 1962 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy,

* *Vide* Amendments List No. 3 circulated on 6.8.2024.

short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply to the duty chargeable under this section as they apply in relation to duties leviable under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe.";

106B. In section 9 of the Customs Tariff Act, for sub-section (7A), the following subsection shall be substituted, namely:– Amendment of section 9.

52 of 1962 "(7A) The provisions of the Customs Act, 1962 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply to the duty chargeable under this section as they apply in relation to duties leviable under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe.";

106C. In section 9A of the Customs Tariff Amendment Act, for sub-section (8), the following sub- of section 9A section shall be substituted, namely:– Amendment of section 9A.

52 of 1962 "(8) The provisions of the Customs 'Act, 1962 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties Shall, as far as may be, apply to the duty chargeable under this section as they apply in relation to duties leviable under that Act

or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe.”.’, (35)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि नये खंड 106क, 106ख, और 106ग विधेयक में जोड़ दिये जाएं।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नये खंड 106क, 106ख, और 106ग विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 107 से 154 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

“That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 36* to the Finance (No.2) Bill, 2024 and that this amendment may be allowed to be moved.”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 36* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

----

* *Vide* Amendments List No. 3 circulated on 6.8.2024.

New Clauses 154A, 154B and 154C

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 105, *after* line 35, *insert*–

PART 1A

AMENDMENT TO THE FINANCE ACT, 2001

'154A. In section 136 of the Finance Act, 2001, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:– Amendment of Act 14 of 2001.

1 of 1944. "(3) The provisions of the Central Excise Act, 1944 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the National Calamity duty leviable under this section in respect of the goods specified in the Seventh Schedule as they apply in relation to the levy and collection of duties of excise on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe.";

PART 1B

AMENDMENT OF THE FINANCE ACT, 2002

154B. In section 147 of the Finance Act, 2002, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:– Amendment of Act 20 of 2002.

1 of 1944 "(3) The provisions of the Central Excise Act, 1944 and all rules and regulations made thereunder,

including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the Special Additional Excise Duty leviable under this section in respect of the goods specified in the Eighth Schedule, as they apply in relation to the levy and collection of duties of excise on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe.";

PART 1C
AMENDMENT TO THE FINANCE ACT, 2003

154C. In section 134 of the Finance Act, 2003, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:– Amendment of Act 32 of 2003.

52 of 1962 "(4) The provisions of the Customs Act, 1962 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the National Calamity Duty of Customs leviable under this section in respect of the goods specified in the
14 of 2001 Seventh Schedule to the Finance Act, 2001, as amended by the Thirteenth Schedule, as they apply in relation to the levy and collection of duties of customs on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe."." (36)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नये खंड 154क, 154ख, और 154ग विधेयक में जोड़ दिये जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नये खंड 154क, 154ख, और 154ग विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 155 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1815/AK/GG)

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 37* to the Finance (No.2) Bill, 2024 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 37 को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

----

* *Vide* Amendments List No.3 circulated on 6.8.2024

New Clause 155A

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 106, after line 6, Insert-

PART IIA

AMENDMENT TO THE FINANCE ACT, 2005

155A. In section 85 of the Finance Act, 2005, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of Act 18 of 2005.

(3) The provisions of the Central Excise Act, 1944 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy. refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the additional duty of excise leviable under this section in respect of the goods specified in the Seventh Schedule as they apply in relation to the levy and collection of duties of excise on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe.".". (37)

1 of 1944

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 155क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>नया खंड 155क विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 156 से 157 विधेयक में जोड़ दिये गये।</u>

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, what about Clause No. 145? … (*Interruptions*) Sir, kindly see my amendment to Clause 145. It is regarding 18 per cent GST on life and health insurance premium. It is a very important amendment for which a notice has already been given, the recommendation of the President has been obtained, but I have not been called. … (*Interruptions*) It is amendment No. 66. … (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): It is a Member's right. You should accept it. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It is amendment No. 66. … (*Interruptions*)

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 38* to the Finance (No.2) Bill, 2024 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 की सरकारी संशोधन संख्या 38* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

----

* *Vide* Amendments List No.3 circulated on 6.8.2024

New Clauses 158, 159 and 160

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करें।

Amendment made:

Page 107, after line 14, insert-

'PART V

AMENDMENTS TO THE FINANCE ACT, 2018

158. In the Finance Act, 2018,- Amendment of Act 13 of 2018.

(a) in section 110, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

52 of 1962 (5) The provisions of the Customs Act, 1962 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short- levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the Social Welfare Surcharge on imported goods as they apply in relation to the levy and collection of duties of customs on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case may be.";

(b) in section 111, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

52 of 1962 "(3) The provisions of the Customs Act, 1962 and all rules and regulations made

thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short- levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the additional duty of customs leviable under this section in respect of scheduled goods as they apply in relation to the levy and collection of duties of customs on scheduled goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case may be.";

(c) in section 112, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) The provisions of the Central Excise Act, 1944 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the cess leviable under this section in respect of scheduled goods as they apply in relation to the levy and collection of duties of excise on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe.";

1 of 1944

PART VI

AMENDMENT TO THE FINANCE ACT, 2020

Amendment of Act 12 of 2020.

159. In section 141 of the Finance Act, 2020, for sub-section (5), the following sub- section

shall be substituted, namely:-

"(5) The provisions of the Customs Act and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty. assessment, non-levy, short-levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the Health Cess leviable under this Chapter in respect of the goods specified in the Fourth Schedule, as they apply in relation to the levy and collection of duties of customs on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case may be.":

PART VII

AMENDMENTS TO THE FINANCE ACT, 2021

160. In the Finance Act, 2021,- Amendment of Act 13 of 2021.

In section 124, for sub- section (5), the following sub- section shall be substituted, namely:-

(5) The provisions of the Customs Act, 1962
52 of 1962 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, non-levy, short- levy, refunds, exemptions, interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the Agriculture Infrastructure and Development Cess on imported goods as they apply in relation to the levy and collection

of duties of customs on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case may be.";

(b) in section 125, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely

"(4) The provisions of the Central Excise Act,
1 of 1944 1944 and all rules and regulations made thereunder, including but not limited to those relating to the date for determination of rate of duty, assessment, con-levy, short-levy, refunds, exemptions, Interest, recovery, appeals, offences and penalties shall, as far as may be, apply in relation to the levy and collection of the cess leviable under this section in respect of scheduled goods as they apply in relation to the levy and collection of duties of excise on such goods under that Act or all rules or regulations made thereunder, as the case maybe."."". (38)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि नये खंड 158, 159 और 160, विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नये खंड 158, 159 और 160 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन – संशोधन संख्या 2 से 4।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, is it on Clause 145?… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 2 से 4 वाला अमेंडमेंट है।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my amendment is in respect of 18 per cent GST on life and health insurance premium. … (*Interruptions*) By this amendment, you are penalizing the individual seeking to protect themselves and their families. … (*Interruptions*) I am moving this amendment. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह वाला नहीं है। फर्स्ट शिड्यूल वाला, 2 से 4 वाला है।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My point is that this is my right. … (*Interruptions*) Each Member has the right to move the amendment. It is a Constitutional right conferred upon the Members of Parliament. How can this amendment be passed without even calling me? … (*Interruptions*) How can it be done? … (*Interruptions*) It is a very important amendment. … (*Interruptions*)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, if the amendment is admitted, then it is the duty of the House to dispose it. … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It is circulated. … (*Interruptions*) It is in my hand. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं?

… (व्यवधान)

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, if it is not admitted, it is okay. … (*Interruptions*) But it is admitted. … (*Interruptions*)

(1820/UB/MY)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, first of all, GST amendments do not come through this House. It has to be done in the GST Council. So, proposing an amendment here is not even valid because that is a Council which is a Constitutional body which has to first clear it and only then can I bring it here. How can I comment?

माननीय अध्यक्ष: महामहिम राष्ट्रपति जी बाहर थीं, इसलिए उनकी अनुमति नहीं आई।

… (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 132, line 21,-

for "10 per cent."

substitute "1 per cent.". (2)

Page 132, *for* lines 23 to 26,-

substitute

"(2)	where the total income exceeds Rs. 10,000	Rs. 100 plus 2 per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 10,000;".

(3)

Page 132, *omit* lines 27 to 30. (4)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पहली अनुसूची में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 से 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39 से 44 प्रस्तुत कीजिए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Specifically, about the point of Shri N. K. Premachandran on GST related amendment, even if it is given by the hon. Member, Shri N. K. Premachandran, I would want to say that it is a Private Member Amendment which has been sent to the President of India. I cannot clear it. Nothing is pending before the Ministry of Finance that I am avoiding his amendment. Whatever has been cleared by the hon. President, that has been brought here. First of all, it has to be cleared by the GST Council.

It is a right of the hon. Member. Nobody is denying that. But it has to be cleared by the hon. President and then come to the Ministry of Finance. It is a Private Member Amendment which is sent to the hon. President. How can I include it here without the Council? … (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): In my notice of Amendment, I have specifically written that if President's recommendation is required, kindly get the recommendation of the hon. President. Normally, as per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, only after the recommendations are received, the Secretariat will accept the amendment and the amendments will be circulated. It has been circulated here. How has it happened? Without having the hon. President's recommendation, how was this Amendment circulated? Further, subsequent to my submission of the Private Member Amendment which went along with the Government's Amendments which got the consent of the hon. President, the Private Member Amendment did not receive the consent of the hon. President. It is an insult to the President's Office also. How has it happened? How has it come into the List of Business? How has it come as Amendment No. 66? Somebody has to explain this.

माननीय अध्यक्ष: सर्कुलेट करने की प्रक्रिया है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से अनुमति प्राप्त नहीं हुई।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 274 है। जब हमने जीएसटी का कानून पास किया तो इसमें हमने अनुच्छेद 269 से लेकर 276 तक नया ऐड किया।… (व्यवधान) अनुच्छेद 274 यह कहता है कि जहां राज्य का इंटरेस्ट है, वहां बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कोई भी चर्चा इस पार्लियामेंट में नहीं हो सकती है, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। इस जीएसटी में राज्य का इंटरेस्ट है। अनुच्छेद 274 यही कह रहा है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 39 से 44 प्रस्तुत कीजिए।

… (व्यवधान)

Amendments made:

Page 117, line 3, *omit* "10 per cent,;". (39)

Page 117, *for* lines 7 and 8, *substitute*—

"transfer which take place—

(I) before the 23rd day of July, 2024 10 per cent.;

(II) on or after the 23rd day of July, 2024 12.5 per cent.;".

(40)

Page 121, line 13, *omit* "10 per cent.;". (41)

Page 121, *for* lines 17 and 18, *substitute*—

"transfer which takes place—

(I) before the 23rd day of July 2024 10 per cent.;

(II) on or after the 23rd day of July, 2024 12.5 per cent.;".

(42)

Page 124, line 30, *omit* "10 per cent.;". (43)

Page 124, *for* lines 34 and 35, *substitute*—

"transfer which takes place—

(I) before the 23rd day of July 2024 10 per cent.;

(II) on or after the 23rd day of July, 2024 12.5 per cent.;".

(44)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी और तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गईं।

....

(व्यवधान)

1824 hours

(At this stage, Shri A. Raja and some other hon. Members left the House.)

चौथी अनुसूची

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 148, line 33, *for* "with", *substitute* "without". (45)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि चौथी अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चौथी अनुसूची, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई।

पांचवीं और छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

....

(1825/CP/SRG)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित, विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त, 2024 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1826 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 अगस्त 2024 / 17 श्रावण 1946 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।